International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

इक्कीसवी सदी के जनजातीय आधारित उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं का वर्णन

डॉ. शोभना जोशी
कु. अर्चना कदम (शोधार्थी)

सारांश :– इस शोध पत्र में इक्कसवीं सदी के जनजतीय आधारित उपन्यासों के द्वारा सामाजिक समस्याओं का वर्णन किया गया है। इनके उत्थान हेतु प्रशासन के द्वारा किए गए प्रयासों का संक्षेप में वर्णन प्रस्तुत किया गया है। जनजातियों की समस्याएँ एवं उनके निराकरण के लिए सुझाव, शोधार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए है।

मूल शब्द :– सामाजिक समस्याएँ, जनजातीय जीवन।

कार्य प्रणाली :– प्रस्तुत शोध पत्र में विचारात्मक एवं मूल्याकंन प्रणाली का प्रयोग किया गया है। शोध पत्र में दर्शायी गयी सामाजिक समस्याओ को पूर्व शोध–पत्रों, उपन्यासों, पुस्तकें एवं सरकारी वेबसाईट्स आदि से लिया गया है।

उद्देश्य :– 1. जनजातियो की सामाजिक समस्याओं का वर्णन प्रस्तुत करना।
2. उनके उत्थान हेतु प्रशासन के द्वारा किए गए प्रयासों का वर्णन करना।

विषय का प्रतिपादन :– सामाजिक समस्याएँ, सामान्य रूप से, ऐसी स्थिति है जो समाज के संतुलन को बाधित करती है। समस्याएँ हर जगह व्याप्त होती है जो असंतोष और सामाजिक विघटन का कारण बनती है। जनजातियों में भी कई प्रकार की समस्याएँ पायी जाती है जिससे उनका जीवन प्रभावित होता है। इन समस्याओं की प्रकृति और कारण भिन्न –भिन्न होते है। कुछ जनजातियों में जनसंख्या वृद्धि की समस्या पाई जाती है। जैसे– भील और गौंड में, तो कुछ जनजातियों की जनसंख्या घट रही है जैसे टोडा एवं कोखा। कई जनजातियॉ नगरीय संस्कृति के सम्पर्क में आयी है। जिसके कारण उनकी मूल संस्कृति में कई परिवर्तन हुए है। उनमें दिशा–हीनता एवं सांस्कृतिक छिन्न–भिन्नता उत्पन्न हुई है। एवं मानसिक असंतोष बढ़ा है।

उपन्यास साहित्य ने समय–समय पर समाज की विभिन्न समस्याओं को पाठको के समक्ष उदघाटित किया है। साहित्य समाज का दर्पण है। किसी भी राष्ट्र या सभ्यता की जानकारी उसके साहित्य से प्राप्त होती है।साहित्य लोकजीवन का अभिन्न अंग है। किसी भी काल के साहित्य से उस समय की परिस्थितियों के रहन–सहन खान–पान एवं विविध गतिविधियों का पता लगाया जा सकता है। वह जनसाधारण की भाव–दशाओं, आकांक्षाओं, प्रेरणाओं और प्रश्नाकुल समस्याओं का चित्रण करता है। वैसे तो हर युग में विभिन्न समस्याओं पर रचनाएँ हुई है उसी प्रकार इक्कीसवीं सदी के जनजातीय आधारित उपन्यास साहित्य ने विभिन्न जनजातियों की अनेक समस्याओं को उद्घाटित किया है।

- **जन–सुविधाओं का अभाव** :– जन सुविधाओं को प्राप्त करना हर नागरिक का अधिकार है। नगरो में और उनसे सटे गांवों में जन–सुविधाओं आग–जन को प्राप्त होती है परन्तु हम जंगल पहाडी और बोहड स्थानों की बात करे तो अधिकतर वह जन–सुविधाओं का अभाव पाया जाता है। वहॉ न तो ठीक से जल–सुविधा उपलब्ध होती है न ही बिजली, सड़क, रेल एवं आवागमन के साधन उपलब्ध होते है। यहॉ कहा जा सकता है कि बुनियादी जरूरतों के अभाव में जुझता इंसान अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा है, अपनी ही जाति से प्रशासन से और अपने आप से।

'सखुआपाट से भौंरापाट स्कूल जाने तक के लिए ट्रक भी नही मिलते।[1]

'पानी और जलावन जुटाने में ही हमारी औरतों की आधी जिन्दगी गुजर गयी। बरसात में गिंजन की तो मत पुछिये। कीचड़ में लौटते सूअरों और हमारे बच्चों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है।[2]

- **गांव से पलायन** :– गांव से पलायन भी गंभीर समस्या हैं जिसका मुख्य कारण होता है बेरोजगारी। बेरोजगारी के कारण ही ग्रामीण एक स्थान से दूसरे स्थान पर रोजगार पाने के लिए गांव छोड़ने पर विवश हो जाता हे। जिसके कारण धीरे–धीरे ग्रामीण संस्कृति का शहरीकरण होता जा

रहा है। ग्रामीण जैसे ही शहर के सम्पर्क में आते है वह शहरी रंग में ढलना शुरू हो जाते है।

''यहां भी समस्या है बेरोजगारी की जंगली इलाका होने के कारण यहॉ मक्का की खेती ही की जाती है। जिसके सहारे जिन्दगी कठिन हो जाती है। अगर मजदूरी या जंगल से रोजगार नही मिलता तो यहां के लोग आसाम–भूटान की ओर पलायन कर जाते है''।[3]

❖ **शिक्षा का अभाव** :– शिक्षा मनुष्य की ढाल है जिससे शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति का विकास सरल हो जाता है। शिक्षित व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा, पद, यश, गौरव सम्मान आदि को प्राप्त करता है। परंतु शिक्षा के अभाव में वह में वह असहाय हो जाता है। गांवों में शिक्षा का महत्व वैसा नही है जैसा शहरों में है। इसका कारण यह है कि जीविकोपार्जन के लिए माता–पिता के साथ बच्चों को भी जाना पड़ता है इसलिए उनमें शिक्षा के प्रति सजगता नही दिखाई देती है। यदि वह शिक्षित हो भी जाए तो जंगली इलाको में रोजगार की कोई सम्भावनाएॅ नही होती है।

''संजीदा कहता है, पढाई के बिना बैल बना रहता है आदमी। साहू जैसे महाजन और बेचू तिवारी जैसे जमींदारों की लाठी से हॉका जा रहा है मुण्डा पढता जो नही। पढ़े लिखे होने के चलते ही होशियार साहू ने और बेचू तिवारी ने भी गांव में हवेली ठोकली है और अनपढ़ मुण्डा झोपड़ी में ही रह गये।[4]

❖ **भूमि अधिग्रहण** :– आदिवासियों की भूमियों का अधिग्रहण होना भी मुख्य समस्या है। कई वर्षो से इनकी भूमि को हड़पा जा रहा है इन्हें बेघर किया जा रहा है। क्योंकि इनके पास लिखित दस्तावेज नही होते है जिससे इनकी भूमि को आसानी से हड़प लिया जाता है उन्हें बेघर कर दिया जाता है। जिसके कारण उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता है।

''गुंडाओं की लहरों ने उसके बाद आये उरॉवों की लहरों ने पीछे ठेलते खदेडते हमें यहॉ तक पहुॅचा दिया इस पहाड़ के उपर के पाट पर।[5]

❖ **शोषण एवं भ्रष्टाचार** :– सत्ताधारियों के द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाता है। उनकी बहु–बेटियों पर बूरी नजर रखी जाती है। उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। प्रशासन की निष्क्रियता एवं अकर्मण्यता के कारण अनेक स्थानों पर आदिवासियों का जीवन नारकीय बना दिया जाता है। या तो उन्हे चोर –डकेतों का तमगा दे दिया जाता है या फिर उन्हें नक्सलवादी घोषित कर गोली मार दी जाती है। भगवानदास मोरवाल कृत 'रेत' उपन्यास में कंजर जाति से ऐसा व्यवहार होता है कि शहर मे जब भी चोरी की वारदात होती है उन्हें जेल में जबरन बंद कर दिया जाता है।

'पठार पर कोहरा' उपन्यास में प्रशासन का सत्य उजागर किया गया है जिसमें गजली कोठी नामक स्थान में सरकारी विद्यालय केवल कागजों पर दिखाया गया है। उसी आधार पर वहॉ के सत्ताधरी जाली बिल दिखाकर सरकार से पैसा लेते है यदि कोई इनके विरूद्ध होता है तब या तो उन्हे डर के कारण उनमें शामिल होना पड़ता है या फिर उन्हें मृत्यु का सामना करना पड़ता है।

❖ **जनजातीय ललीत कलाओं का ह्रास** :– जनजातियों में नृत्य, संगीत, ललित कलाएॅ, लकडी पर नक्काशी आदि का काम दिन पर दिन घटता जा रहा है। बाह्य संस्कृतियों के सम्पर्क से जनजातियों के मन में इन ललित कलाओं के प्रति उदासीनता और अनादर बढ़ता जा रहा है।

1. **आदिवासियों की स्थिति में सुधार हेतु प्रशासन के द्वारा किए जाने वाले प्रयास** :– आदिवासियों की स्थिति में सुधार करने के लिए प्रशासन द्वारा समय–समय पर प्रयास किए गए है। एवं किए जा रहे है। अब यह आवश्यक हो गया है कि आदिवासी हितों के संरक्षण तथा उनकी संस्कृतियों के वैशिष्ट्य और सामाजिक स्थिति को प्रबल बनाने के लिए क्षेत्रिय एवं राष्ट्रीय विकास योजनाओं पर प्रभावी रूप से कार्य किया जाना चाहिए। भारत में वन्य प्रदेशों में निवास करने वाले करोड़ों आदिवासियों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रशासन को कड़े कदम उठाने चाहिए जिससे उनका जीवन स्तर सुधार सके। प्रशासन द्वारा समय समय किए जाने वाले प्रयास–

संवैधानिक व्यवस्थाएॅ जिनके द्वारा सरकारी सेवाएॅ एवं प्रतियोगिताओ में नियुक्त होने वाले पदों पर जनजातियों को लगभग 7.5 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं।

तुतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों को सेवाओं में भी राज्यों में जनजातियों की जनसंख्या के अनुपात में सेवाएँ सुरक्षित कर दी गई है। विभिन्न पदोन्नति, आयु –सीमा, चुनाव, योग्यता आदि मामलों में इन्हें विशेष रियायत मिलती है। इनके अतिरिक्त लोकसभा और विधानसभा में इनके लिए स्थान आरक्षित किया गया है। कल्याणकारी एवं सलाहकार संस्थाओं द्वारा समय–समय पर इनकी स्थिति में सुधार हेतु कार्य किए जाते है। आन्ध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, बिहार, झारखण्ड, असम, उडीसा आदि राज्यों जनजातियों की संस्कृति, रीति–रिवाज, धर्म, भाषा आदि के अध्ययन के लिए शोध संस्थाए स्थापित की गयी है। जिनके द्वारा गंभीर अनुसंधान का कार्य पूरा किया गया है। इनके विकास के लिए कन्या छात्रावास की व्यवस्था, शिक्षा का प्रचार, निर्धनता निवारण योजना, मद्य–निषेध, चिकित्सा व्यवस्था, यातायात का विकास आदि विषयों पर कार्य किया जा रहा है जिससे इनका विकास हो सके। समाज में इन्हें मजबूत स्थान मिल सके।

संदर्भ ग्रंथ संची :–

1. ग्लोबल गांव के देवता, रणेन्द्र, पृ. सं. 10
2. ग्लोबल गांव के देवता, रणेन्द्र पृ. सं. 17
3. ग्लोबल गांव के देवता, रणेन्द्र पृ. सं. 13
4. पठार पर कोहरा, राकेश कुमार सिंह पृ. सं. 184
5. ग्लोबल गांव के देवता, रणेन्द्र पृ. सं. 43
6. भगवान दास मोरवाल, रेत
7. 21 वीं शताब्दी में लोक प्रशासन, अशोक कुमार दूबे
8. समाजशास्त्र, प्रो. एम एन गुप्ता, डॉ. डी.डी. शर्मा

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

रीवा नगर निगम के अंतर्गत महिला नेतृत्व का आनुभाविक अध्ययन (सन् 1994 से 2014 तक)

डॉ. श्रीमती सरोज बिल्लोरे (शोध निर्देशिका)
प्राध्यापक–राजनीति विज्ञान विभाग, शासकीय माता जीजाबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, इन्दौर
श्रीमती मीरा कांठा (शोधार्थी)
शोध केन्द्र, समाज विज्ञान अध्ययनशाला, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर (म. प्र.)

प्रस्तावना :– भारत एक विकासशील राष्ट्र है एवं किसी भी देश के लिए लोकशक्ति का विशेष महत्व रहता है, इसमें स्त्री एवं पुरूष दोनों सम्मिलित है क्योंकि ये दोनों समाज के अनिवार्य अंग है। यदि किसी भी देश को विकसित करना है तो सबसे पहले महिलाओं का विकास करना होगा क्योंकि महिला ही समाज की जननी होती है भारतीय संविधान में भी लिंग की समानता का प्रावधान है।

प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। समाज में विभिन्न कुरीतियां विद्यमान थी जैसे – बाल विवाह, दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या इत्यादि। वर्तमान समाज में संवैधानिक प्रावधानों की व्यवस्था के कारण कुरीतियों का अंत हुआ है। महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हुई हैं, वे आज घर की चार दीवारी तक सीमित नही हैं बल्कि सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक नेतृत्व की भूमिका निभा रही हैं।

74 वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में नगर निगम की व्यवस्था की गई है तथा नगर निगम में अनु जाति., अनु. जनजाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग एवं महिलाओं को आरक्षण के माध्यम से प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है। 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है तथा 112 वें संशोधन द्वारा नगरीय निकाय में महिला आरक्षण को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया है। जिससे सभी वर्ग की महिलायें आरक्षण का लाभ उठा रही हैं।

उद्देश्य :–

1. महिलाओं के सामाजिक नेतृत्व का अध्ययन करना।
2. महिलाओं के आर्थिक नेतृत्व का अध्ययन करना।
3. महिलाओं के राजनीतिक नेतृत्व का अध्ययन करना।
4. महिलाओं द्वारा संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने में आने वाली बाधाओं का अध्ययन करना।

रीवा नगर निगम के बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है कि यहां 90 नेता 9 पहलवान और 1 जनता रहती है। इस बात से ये अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि यहां का राजनैतिक परिदृश्य किस प्रकार का है लेकिन इस राजनीति में महिलाएं कितनी जागरूक है ये अलग बात है और यही जानने की कोशिश में हमने महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार किया और प्राप्त जानकारी इस प्रकार है :–

तालिका क्रमांक 1
महिला नेताओं की राजनीति में रूचि

क्र.	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1.	स्थानीय	72	72
2.	प्रादेशिक	20	20
3.	राष्ट्रीय	6	6
4.	अंतर्राष्ट्रीय	0	0
5.	कोई उत्तर नहीं	2	2
	योग	**100**	**100**

उपरोक्त तालिका में स्थानीय राजनीति में 72 प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि रूचि लेती हैं वहीं 20 प्रतिशत लोगों का उत्तर प्रादेशिक राजनीति में रूचि लेने में है, इसी प्रकार राष्ट्रीय राजनीति में रूचि लेने वाली प्रतिनिधियों का प्रतिशत 6 है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी महिला जनप्रतिनिधि की रूचि नहीं है। एवं कोई उत्तर न देने वाली प्रतिनिधि का प्रतिशत 2 है इससे ज्ञात होता है कि वे अपने अधिकारों कर्तव्यों के बारे में कुछ नहीं जानती है।

प्रस्तुत विषय से संबंधित उन कार्यों का संक्षेप वर्णन जो इस क्षेत्र में पूर्व में किया गया है :–

जिला और स्थानीय प्रशासन, साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा–2005 :– (श्री बी. एल. फड़िया) अध्ययन दल की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि जब तक स्थानीय नेताओं को जिम्मेदारी और अधिकार नहीं सौंपे जाते, संविधान के निर्देशक सिद्धन्तों का राजनीतिक और विकास संबंधी लक्ष्य पूरा नहीं हो सकेगा।

अरूण कुमार शर्मा ''भारत में स्थानीय शासन'' राधाकृष्णन प्रकाशन, नई दिल्ली, वर्ष 1995 :– ने अपने अध्ययन में स्थानीय शासन के विभिन्न नियमों एवं

घटकों का अध्ययन किया है। उनके अनुसार स्थानीय शासन का लक्ष्य है स्थानीय प्रबंधन में स्थानीय लोगों की भागीदारी से आम नागरिक सुविधाऍं उपलब्ध कराना, किन्तु स्थानीय व्यवस्था आज अपने लक्ष्य से भटक गयी है, इसका कारण जहां एक ओर वित्तीय साधनों की कमी है वहीं दूसरी ओर महिलाओं में जागरूकता का अभाव है।

अध्ययन का क्षेत्र :– अध्ययन क्षेत्र के लिए मध्यप्रदेश के रीवा जिले का चयन किया गया है। रीवा जिले के अंतर्गत रीवा नगर निगम का चयन कर अध्ययन किया गया है।

अध्ययन का समग्र :– अध्ययन के लिए मध्यप्रदेश के रीवा जिले के अंतर्गत रीवा नगर निगम की महिलाओं को अध्ययन के समग्र के रूप में किया गया है।

अध्ययन की इकाई :– रीवा नगर निगम की महिला उत्तरदाताओं में से नगर निगम महापौर एवं पार्षद महिलायें अध्ययन की इकाई है।

निदर्शन विधि :– वर्तमान युग में मानव जीवन इतना विस्तृत है कि उसका अध्ययन संगणना विधि द्वारा करना अपने आप में जटिल कार्य है इसलिए निदर्शन प्रणाली का अनुसंधान में महत्व अधिक बढ़ गया है। निदर्शन प्रणाली में प्रस्तुत निदर्शन से निष्कर्ष निकाला जाता है। जिसको संपूर्ण क्षेत्र पर लागू किया जाता है। इस विधि के धन, समय और परिश्रम की बचत होती है।

शोध कार्य के अंतर्गत शोध की प्रकृति उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उद्देश्पूर्ण निदर्शन विधि के द्वारा रीवा जिले के नगर निगम की महिला पार्षदों एवं महिला महापौर का चयन किया गया है।

निदर्शन का प्रकार

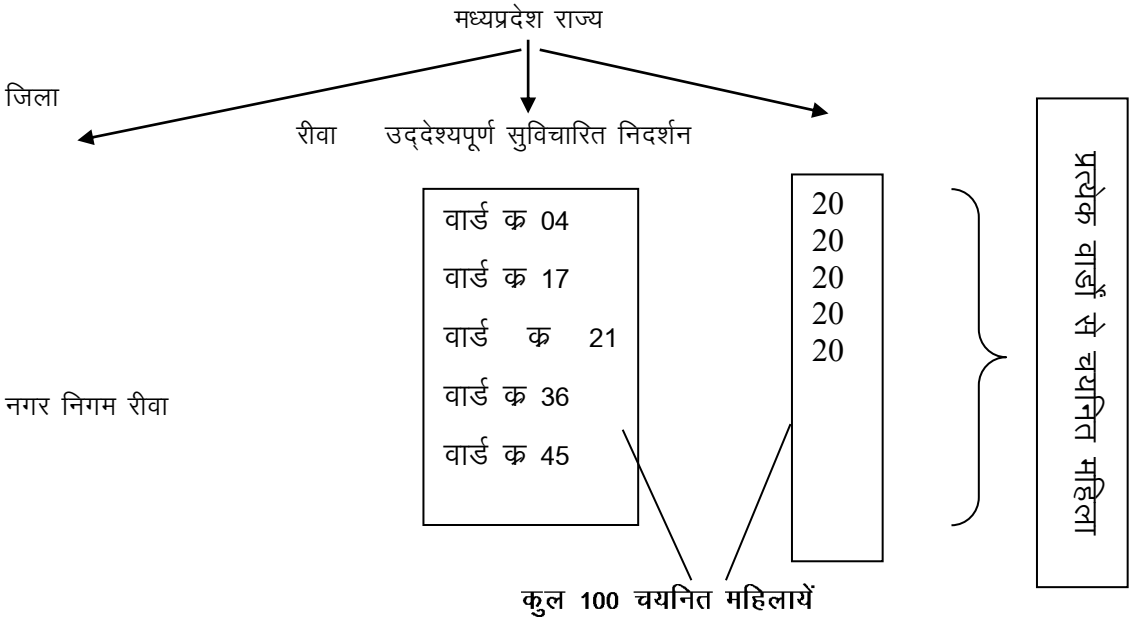

समंक एकत्रित करने के स्त्रोत :–

प्राथमिक समंकों का संकलन :– महिला उत्तरदाता से प्रत्यक्ष संपर्क कर उनसे जानकारी हासिल की। अनुसंधान क्षेत्र का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया गया। महिला उत्तरदाताओं से सामूहिक चर्चा की गई। उत्तरदाताओं से प्रश्न कर अनुसूची भरी गई एवं उनकी वास्तविक जानकारी प्राप्त की गई। प्राथमिक आंकड़ों को सारणी के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

द्वितीयक समंकों का संकलन :– जनगणना पुस्तिका सरकारी प्रतिवेदन द्वितीयक स्त्रोत जिसमें महिलाओं से संबंधित साहित्य का अध्ययन, पत्र – पत्रिकाएं, समाचार पत्र, जिला सांख्यिकी पुस्तिका रीवा एवं नगर निगम कार्यालय से प्रकाशित एवं अप्रकाशित सामग्री, नगर निगम की वार्षिक पत्रिका आदि के माध्यम से जानकारी प्राप्त की गई है। पुस्तकालय अनुसंधान जिसमें महिला नीति एवं शासन की प्रमुख योजनाओं से संबंधित पुस्तकों लेखों तथा सरकारी गैर सरकारी प्रकाशनों की विस्तृत छानबीन की गई है।

अध्ययन क्षेत्र का परिचय :– रीवा जिला रीवा मध्यप्रदेश प्रांत का नगर एवं संभाग है। रीवा जिला मध्यप्रदेश के 51 जिलों मे से एक है। इस जिले का ऐतिहासिक अध्ययन करने के बाद यह पता चला कि रीवा शब्द की उत्पत्ति रेवा नदी से हुई है जो कि अमरकंटक से बहती थी। जिसके नाम से ही इस जिले का नाम रीवा पडा, रेवा नदी ही आज नर्मदा नदी के नाम से जानी जाती है, राजाओं के जमाने से रीवा बघेलखंड की राजधानी हुआ करती थी मुगल सम्राट अकबर ने बांधवगढ नगर के ध्वस्त हो जाने के बाद 1597 ई. में रीवा को रियासत की राजधानी के रूप मे चुना। रीवा जिला मध्यप्रदेश राज्य के उत्तर पूर्व मे स्थित प्रमुख जिला है रीवा जिला मध्यप्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवंवर 1956 को अस्तित्व मे आया। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा व इलाहाबाद जिले, पूर्व में मिर्जापुर, दक्षिण में मध्यप्रदेश के शहडोल व सीधी जिला तथा पश्चिम में सतना जिला है। देश का प्रमुख राष्टीय राजमार्ग क्रमांक 7, क्रमांक 27, एवं क्रमांक 75 रीवा जिले से होकर गुजरता है।

रीवा जिले का विस्तार :– रीवा जिले की भौगोलिक स्थिति 24^0 10′ उत्तरी अक्षांश से 26^0 48′ उत्तरी अक्षांश एवं 74^0 50′ पूर्वी देशांतर से 79^0 18′ पूर्वी देशांतर है। रीवा जिला मध्यप्रदेश के पूर्वोत्तर कोने में $24^0$18′15′′ तथा 82^0 18′15′′ उत्तरी अक्षांश एवं 81^0 13′15′′ तथा $82^0$18′30′′ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है।

इसकी अधिकतम चौड़ाई उत्तर से दक्षिण की ओर 96 कि.मी. व अधिकतम लम्बाई पूर्व से पश्चिम 125 कि.मी. है।

इसका क्षेत्रफल 6287.5 वर्ग किलोमीटर है। इसके उत्तर में उत्तर प्रदेश के बांदा व इलाहाबाद जिले, पूर्व में मिर्जापुर, दक्षिण में मध्यप्रदेश के शहडोल व सीधी जिला तथा पश्चिम में सतना जिला है।

रीवा जिले के दक्षिण में कैमूर पर्वत श्रेणियॉ तथा मध्य में विन्ध्य पर्वत है। ये दोनो पहाड़ विन्ध्यांचल पर्वत की श्रृंखलाएँ है जो पूर्व से पश्चिम की ओर फैले हुए है। विंध्य पहाड़ रीवा जिले को दो भागो में बांटता है। जिसे तरिहार एवं उपरिहार कहते है। दोनो पहाड़ों के किनारे भूमि पथरीली व पहाड़ी है। परन्तु मैदानी इलाकों की भूमि समतल और उपजाऊ है। तरिहार की अपेक्षा उपरिहार समुद्रतल से लगभग 300 फिट ऊँचा है।

भौगोलिक दृष्टि से बघेलवंश के साम्राज्य का विस्तार उत्तर से दक्षिण 22^0 36′ से 26^0 18′ उत्तरी अक्षांश तथा पूर्वी से पश्चिम में $78^0$4′ से $82^0$5′ देशान्तर के मध्य स्थित रहा।[1] महत्वाकांक्षी राजाओं के साहस और वीरता के चलते राज्य में आंशिक विस्तार तथा कमी होते रहने के बावजूद प्रस्तुत साम्राज्य गोंडवाना क्षेत्र में बिलासपुर तक, बुन्देलखण्ड में पन्ना, कटनी, उत्तर में डभौरा, बांदा तक विस्तृत फैला था।[2] विन्ध्यगिरि की उपत्यकाओं में स्थित बांधवगढ़ के दक्षिण भाग में मैकाल, पूर्व में कैमूर, उत्तर–पूर्व में केहजुआ, पश्चिम में पन्ना और सारंगगिरि शाखाएँ अपने विस्तृत आगोश में समेटे हुए थी।

राज्य का दक्षिण पूर्वी भाग बहुत ही ऊँचा और पूर्व–उत्तर भाग अपेक्षाकृत चौरस था।[3] प्रदेश का ढाल उत्तर दिशा में होने के कारण इस प्रांत में बहने वाली तकरीबन सभी नदियाँ जिसमें सोन, टमस, बीहर, बिछिया, महाना, बेलन पस्वनी अपनी–अपनी सहायक नदियों का पानी बटोर कर गंगा–यमुना में जा मिलती है।

राज्य की केवल एक नदी नर्मदा पूर्व से पश्चिम की और बहकर कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है पहाड़ी नदियाँ होने के कारण गर्मी के दिनों में इनमें बहुत कम पानी रह जाता है फिर भी ये नदियाँ सुन्दर तथा गहरे जल प्रपात का निर्माण कर भौगोलिक परिदृश्य में अपनी अलग पहचान बनाये रखने में सक्षम थी।[4] जल प्रपातों में चचाई, क्योटी, बहुती, पुरवा, कपिलधारा, दुग्धधारा पूरे देश में अपने खूबसूरती एवं अनुपम क्षेत्र के लिए चर्चित रहे।

विंध्य क्षेत्र में बघेलवंश के अभ्युदय और सत्ता में केन्द्र बनने का अपना अलग ही इतिहास है। ऐतिहासिक तत्वों के अनुसार बघेलवंश के पूर्ववर्ती राजवंश इस परिक्षेत्र के अन्तर्गत निवासी रहे जो राजनैतिक गतिविधियों में रूचि रखने के कारण अवसर पाने पर कही न कही के सामंत, राजा बन जाते रहे। यहां का राजकीय इतिहास ईसा के पूर्व 3–4 सदी के मध्य तक का ही उपलब्ध है।

रीवा जिले की दशकीय अन्तर की प्रवृत्ति को देखने पर पता चलता है कि 1901–1911 से लेकर 1941–1951 तक इसमें वृद्धि दर सामान्य रही। 1911–21 में ऋणात्मक हो गई थी। 1951–61 में इसमें तेजी से वृद्धि हुई है। 1981–91 में यह वृद्धि 28.77

[1] द रेवा स्टेट डायरेक्टरी ' कृष्णमूर्ति सक्सेना, पृ. 77.

[2] व्ही – पृष्ठ – 23.

[3] रीवा राज्य दर्पण : जीतन सिंह , पृ. 73.

[4] रीवा राज्य दर्पण : जीतन सिंह पृ. 73.

प्रतिशत तक पहुंच गई। 1991–2001 में इसमें हल्की सी 19.3 प्रतिशत की गिरावट आई है और यह 26.84 प्रतिशत हो गई है।

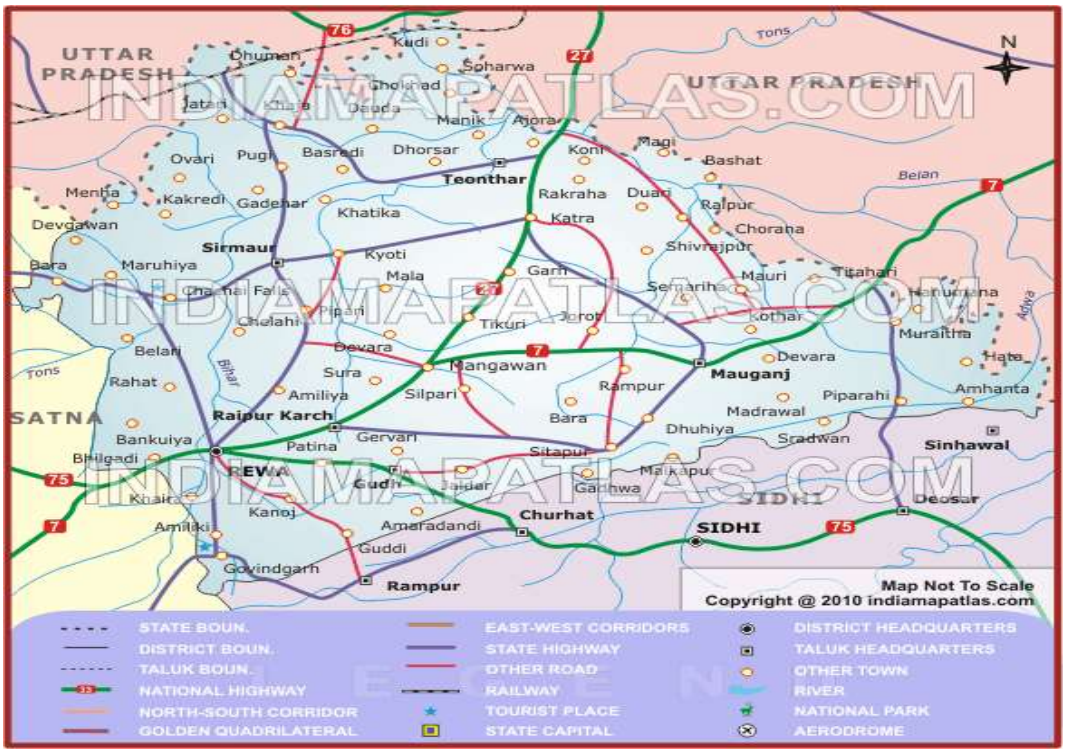

रीवा जिले का मानचित्र :–

जनसंख्या 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार :– रीवा जिले की कुल आबादी 2363744 है, वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से रीवा मध्यप्रदेश के 45 जिलों में सातवें स्थान पर है।, वर्ष 20011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2363744, जनसंख्या का घनत्व 970/मीटर^2, 2011 मे साक्षरता दर 73.42 प्रतिशत स्त्री पुरूष अनुपात 1991 में 927 एवं 2001 में यह बढ़कर 933 हो गई है। सन् 2001 की जनगणना में 1991 की तुलना में पूरे देश में स्त्री, पुरूष अनुपात बढ़ा है। रीवा जिले में 1991 में स्त्री पुरूष का अनुपात 932 था, यह अनुपात 2001 की जनणना में बढ़कर 939 हो गया। 2011 मे लिंगानुपात 930, घनत्व 970/मी^{2}, साक्षरता 73.42 प्रतिशत है।

ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या :– रीवा जिले की ग्रामीण जनसंख्या 1991 में 84.8 प्रतिशत था, 2001 में 83.75 प्रतिशत है आज भी रीवा की अधिकांश जनसंख्या गांवों में निवास करती थी। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 2363744 है।

जिले की साक्षरता :– वह व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ कर लिख पढ़ सकता है, वह साक्षर कहलाता है। जो पढ़ सकता है, परन्तु लिख नही सकता, साक्षर की श्रेणी में नही आता। 1961, 1971 तथा 1981 की जनगणनाओं में 0–4 आयु समूह के बच्चों को निरक्षर माना जाता रहा है, परन्तु 1991 की जनगणना से 0–6 आयु समूह तक के बच्चों को निरक्षर माना जा रहा है। 2001 की जनगणना में भारत का साक्षरता प्रतिशत 65. 38 है। वर्ष 1991 की जनगणना में प्रदेश का दूसरा सबसे कम साक्षर जिला रीवा है। 2011 की जनगणना में साक्षरता 73,42 प्रतिशत एवं लिंगानुपात 930 हो गया।

महिलाओं की ऐतिहासिक पष्ठभूमि :– उन्नीसवीं सदी का प्रारम्भ स्त्रियों को निम्न स्थिति सुधारने के चेतना के साथ हुआ। क्योंकि स्त्रियों की दिनोदिन गिरती हुई स्थिति में समाज के कुछ बुद्धिजीवियों को झकझोर दिया और उन्हें समाज में उचित सम्मान दिलाने के लिये सामाजिक सुधार आंदोलन का नेतृत्व करने को बाध्य कर दिया। इस दिशा में राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सरस्वती, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, केशवचन्द्र सेन का योगदान अविस्मरणीय है। राजा राममोहन राय द्वारा किये गये प्रयत्नों से सती प्रथा का अंत हुआ। इसी प्रकार दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज के माध्यम से बाल विवाह, पर्दा प्रथा को निरूत्साहित किया इसलिये पुनर्विवाह का तो प्रश्न ही नही'' इस प्रकार विधवाएँ स्वयं अपनी निम्न स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं फिर भी ईवरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ। स्पष्ट रूप से इन सभी प्रयत्नों से बाल–विवाह विधवा, निषेध, अतंर्जातीय विवाह, पर्दा प्रथा के प्रतिकूल अधिनियिम पास हुए जिससे महिलाओं की स्थिति में काफी सुधार हुआ। इन समाज सुधार आन्दोलनों के अतिरिक्त ईसाई मिशनरियों, ब्रिटिश शासन, महिला आन्दोलन ने भी महिलाओं की दयनीय स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

महिला आन्दोलन के प्रर्वतकों में संस्कृति की महान् विद्वान रमाबाई, मेडम कामा, तोरूदत्त तथा स्वर्गकुमारी देवी ने भी महिलाओं को शिक्षित करने; विधवाओं की दशा सुधारने के लिये पूना सेवासदन एवं नर्सिंग मेडिकल एसोसिएशन स्थापित करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त एनीबेसेन्ट, मारग्रेट नोबल, मारग्रेट कुशमस आदि महिलाओं ने अपना सबल एवं कुशल नेतृत्व प्रदान कर भारतीय स्त्री जागरण आन्दोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। महर्षि डी. के. कर्वे ने सन् 1907 में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा 1915 में देश का प्रथम महिला विश्वविद्यालय स्थापित किया। इसमें केवल परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रावधान न था, बल्कि इनका उद्देश्य था कि स्त्रियों को इस प्रकार की शिक्षा मिलनी चाहिए कि वे एक अच्छी पत्नियाँ, अच्छी माताएँ एवं अच्छी पड़ोसिन भी बन सकें। इस संगठनों के माध्यम से स्त्रियों में चेतना लाने एवं उन्हें सम्मानपूर्ण स्थान दिलाने के भी प्रयास किये गये है। फलस्वरूप भारतीय समाज विशेष रूप से हिन्दू सामाजिक संगठन में क्रांतिकारी मोड़ आया है और इन सब स्थितियों के पश्चात् भी स्वतंत्र भारत की सरकार ने समय–समय पर अनेक अधिनियमों को पारित कर नारियों का शोषण एवं अत्याचार से बचाने का प्रयास किया गया है। जिसके फलस्वरूप नारियाँ आवांछित एवं अविवेकपूर्ण मातृत्व के अनावश्यक कष्ट से बच सकती है।

डॉ. प्रमिला कपूर ने स्पष्टतः लिखा है कि, ''भारत का शिक्षित वर्ग विशेषतः युवा शिक्षित महिला वर्ग देश में सामाजिक क्रांति, परिवर्तन और चेतना लाने तथा लोगों के दृष्टिकोण, विचारधारा और कार्यकलाप बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है।

यही वर्ग भारतीय नारी में जागृत ला सकता है और ला रहा है'' पणिक्कर के अनुसार , ''परिवार की जायदाद में पुत्री, पत्नी एवं विधवा द्वारा बँटवारे की माँग से हिन्दू जीवन में एक महत्वपूर्ण किन्तु भौतिक क्रांति की आशंका है। नयी परिस्थितियों ने नयी समस्याएँ खड़ी कर दी है। प्राचीन भारत में नगरीय प्रशासन प्राचीन व्यवस्था स्थानीय स्वायत्त संस्था में यद्यपि आधुनिक काल का विकास है तथापि, अति प्राचील काल से ही हमारे देश में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था रही है। हम भारत में स्थानीय स्वशासन के इतिहास को निम्न युगों मे बांटा गया है:–

प्राचीन काल में स्थानीय स्वशासन :– प्राचीन भारत में स्थानीय शासन को आज की भांति ही नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। दोनों क्षेत्रों की प्रशासकीय व्यवस्था अलग–अलग रूप में की गई थी।

नगरों की सफाई, रोशनी, सड़क आदि की सुंदर व्यवस्था थी तथा गृह निर्माण के समय विविध सुविधाओं पर समुचित ध्यान दिया जाता था। गांव शासन की धुरी माने जाते थे। वैदिक युग में जब नगरों का स्थान नगण्य था, ग्राम शासन का महत्व अधिक था तब प्रत्येक गांव एक छोटा प्रजातंत्र था। गांवों में पंचायतें ग्रामवासियों द्वारा संगठित होती थी और प्रशासकीय तथा न्यायिक कार्यों का सम्पादन करती थी।

मनु संहिता में राजा और गांवों के बीच प्रत्यक्ष संबंध की चर्चा मिलती है और कौटिल्य के अर्थशास्त्र से पता चलता है कि राज्य ग्रामीण जीवन में बहुत कम हस्तक्षेप करता था।

मौर्यकाल में स्थानीय स्वशासन विकसित था। शासन की सुविधा के लिए प्रान्तों के 6 उपविभाग जनपद, स्थानिक, द्रोणमुख, संगम, ग्राम थे। कौटिल्य ने अपने ग्रंथ कौटिल्य में लिखा है, कि ''जनपद'' जिला का मुखिया ''स्थानिक'' कहलाता था, ग्राम का अधिकारी ''ग्रामीण'' कहा जाता था, ग्राम पदाधिकारियों के पास भूमि कर, सिंचाई, जंगल, यातायात, देखभाल तथा न्याय का कार्य था, पांच से दस गांवों का अधिकारी ''गोप'' कहलाता था। चन्द्रगुप्त मौर्य ने शासन के विकेन्द्रीयकरण की नीति अपनाते हुए स्वायत्त शासन प्रणाली लागू की थी। उसने ग्रामों की व्यवस्था कर वसूली तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों में ग्राम वृद्धों का सहयोग लिया था।

इस व्यवस्था से उसके साम्राज्य में विद्रोह की आशंका नहीं थी। चन्द्रगुप्त के शासन काल में दूर–दूर के प्रान्तों में भी सिंचाई, भूमि के नाप और यातायात मार्गों आदि का समुचित प्रबंध था। परिणामतः उसके साम्राज्य में चारों ओर शांति और समृद्धि दिखाई देने लगी थी।

डॉ. रमेशचन्द्र मजूमदार के शब्दों में ''मौर्य सम्राट संभवतः स्वयं मगध और आसपास के प्रदेशों के शासन की व्यवस्था करते थे। दूर के प्रान्त कुमारों और उपराजाओं के अधीन थे, जो प्रायः राज परिवार से ही चुने जाते थे।

केन्द्रीय सरकार उनके कार्यों पर प्रतिवेदक नामक कर्मचारियों के माध्यम से दृष्टि रखती थी। केन्द्रीय सरकार और प्रान्त दोनों में ही शासन व्यवस्था के लिए अनेक विभाग थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था और उसकी सहायता के लिए अनेक विभाग थे। प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होता था और उसकी सहायता के लिए अनेक विभागीय कर्मचारी होते थे। विशाल साम्राज्य के कार्यों के सुचारू संचालन के लिये एक अत्यन्त सुसंगठित नौकरशाही की व्यवस्था थी। साम्राज्य के विभिन्न भागों को जोड़ने के लिये सड़के बनी हुई थी, जिनमें से एक सड़क तो भारत की सारी चौड़ाई को पार करती हुई। सिंधु से लेकर गंगा के मुहाने तक थी। सिंचाई की व्यवस्था का कठियावाड़ जैसे साम्राज्य के दूरस्थ प्रांतों में भी की गई थी। शासन प्रायः सुव्यस्थित था। देश में शांति तथा समृद्धि थी और जनता संतुष्ट थी। इस तरह चन्द्रगुप्त मौर्य के काल में नगर की प्रशासन व्यवस्था संतोषजनक थी। कौटिल्य के अनुसार नगर का सबसे बड़ा पदाधिकारी ''नागरिक'' कहलाता था। जो गांव और स्थानीय लोगों की सहायता से गांव का प्रशासन करता था। प्रशासन का यह तरीका संभवतः छोटे नगरों के लिए ही था। राजधानी तथा बड़े नगरों का प्रशासन दूसरे ढंग से होता था, परंतु मेगस्थनीज के अनुसार अन्य बड़े नगर भी इसी प्रणाली में शामिल होते थे। गंगा और सोन पर बसा हुआ पाटलिपुत्र नगर (आधुनिक पटना) का क्षेत्र लगभग 9 मील लम्बा और 1.5 मील चौड़ा था। नगर के चारों ओर आत्मरक्षार्थ 600 फीट चौड़ी और 60 फीट गहरी खाई थी।

साम्राज्य के अन्य नगरों में भी निःसंदेह इसी प्रकार का रक्षा प्रबंध था। मेंगस्थनीज ने पाटलिपुत्र की व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया है, जिससे विदित होता है कि वह एक प्रकार की म्युनिसिपल व्यवस्था थी, जिसकी आज भी म्युनिसिपल कार्य–प्रणाली से तुलना की जा सकती है। उसका कथन है कि पाटलिपुत्र का प्रशासन पाँच–पाँच सदस्यों की 6 समितियों में विभक्त था। संयुक्त रूप से इन छहों समितियों की नगरपालिका पर सार्वजनिक भवनों की मरम्मत, बाजारों, नौकरगृहों और मंदिरों की देख–रेख, मूल्य निर्धारण आदि का उत्तरदायित्व था। यह नहीं कहा जा सकता कि यह म्युनिसिपल समितियां नागरिकों द्वारा निर्वाचित होती थी अथवा इसके सदस्य द्वारा मनोनीत होते थे। माना जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की समितियों के निर्माण में नागरिकों का हाथ रहता था किन्तु अन्य नगरों की समितियों के सदस्य संभवतः सरकार द्वारा मनोनीत होते थे।

74 वां संविधान संशोधन अधिनियम :– वर्ष 1992 में 74 वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरे देश में प्रभावशील हुआ। इन्ही संशोधनों एवं प्रावधानों के परिपेक्ष्य में मध्यप्रदेश शासन द्वारा लिखित प्रवधानों को समावेश करते हुए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम संशोधन अधिनियम दिनांक 29 मई 1994 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)

दिनांक 30 10 मई 1994 में प्रकाशित कर प्रभावशील किया गया। जिसके अनुसार मध्यप्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। अयोग के माध्यम से निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने लगे। रिक्त होने क छः माह के अन्द चुनाव कराया जाना एवं महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण किया गया तथा आवश्यक आरक्षण नियम पारित किये गये। उक्त संशोधन के तहत मध्यप्रदेश व रीवा जिले में भी महत्वपूर्ण प्रावधान किये गये हैं।

महापौर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, इन पदाधिकारियों को केवल अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के आधार पर नही हटाया जा सकेगा बल्कि जनता द्वारा निर्णय कराया जाता है। यदि जनता द्वारा मतदान में बहुमत के आधार पर कुर्सी से हटाने के पक्ष में मतदान किया जायेगा तो प्रतिनिधि कुर्सी से हट जायेगा अथवा यथावत बना रहेगा।

मध्यप्रदेश के इस प्रावधान व प्रयोग के तहत मध्यप्रदेश के रीवा संभाग के अनूपपुर नगर पालिका में किया गया व जनता ने अपने अपने अधिकारों का उपयोग कर अध्यक्ष को कुर्सी से हटा दिया। यह प्रदेश की प्रथम ऐतिहासिक लोकतंत्रिक प्रक्रिया व प्रयोग है। मेयर इन कौसिल का गठन प्रत्येक नगर पालिक निगम में मेयर इन कौसिल महापौर और दस सदस्यों से मिलकर बनती है।

सभी सदस्य, महिला वर्ग से दो सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग तथा एक सदस्य अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग से सम्मिलित होगा ये सभी सदस्य महापौर के प्रसाद पर्यन्त है। मेयर इन कौंसिल के सदस्य रह सकेंगे। मेयर इन कौंसिल के एक निश्चित सीमा तक वित्तीय व प्रशासकीय अधिकार भी दिये गये हैं। मेयर इन कौसिल को तीन लाख तक की जनसंख्या वाले नगर निगम में 50 हजार से 5 लाख तक व तीन लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगमों में 1 लाख से 10 लाख रूपये तक का अधिकार प्रदान किया गया है।

भारत की संसद द्वारा 1992 में पारित और जून 1953 में प्रवर्तित 74 वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग – 9 अ ''द म्यूनिसिपलिटीज'' शीर्षक से नया जोड़ा गया है। इस भाग के माध्यम से देश में नगरीय निकायों को संवैधानिक मान्यता और संवैधानिक संस्तर प्रदान किया गया है। संविधान संशोधन देशभर में त्रिस्तरीय नगर निकायों की व्यवस्था करता है। इस संविधान संशोधन की संरचना निम्न प्रकार है –

अ) नगर पंचायत – ऐसे क्षेत्रों के लिए जो ग्राम से नगर बनाने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया में है उनमें नगर पंचायत का गठन किया जाएगा।

ब) नगर परिषद (म्यूनिसिपल कौंसिल) – नगर परिषद का गठन छोटे नगरों में किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

स) नगर निगम का गठन वृहत्तर नगरीय क्षेत्रों अर्थात बड़े नगरों में किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

इस प्रावधान के परंतुक में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य के राज्यपाल किसी औद्योगिक क्षेत्र को उपर्युक्त प्रकार के निकाय के गठन से मुक्त कर सकते है। इसी प्रकार अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ग्राम से नगर बनाने की संक्रमणकालीन प्रक्रिया, छोटे नगर और बड़े नगर की परिभाषा व उसमें जनसंख्या/धनत्व व आय इत्यादि के विषय में स्पष्टीकरण राज्य के राज्यपाल द्वारा किया जावेगा।

इस संविधान संशोधन में ही सभी राज्यों से यह अपेक्षा की गई थी कि इसके प्रर्वतन की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर वे अपने राज्यों में नगर निकायों से संबंधित अधिनियम में इस संविधान संशोधन के प्रावधानों को समायोजित करते हुए आवश्यक संशोधन करेंगे। भारतीय संघ के प्रायः सभी राज्यों ने इस निर्देश का अनुसरण करते हुए या तो अपने पूर्ववर्ती विधान में यथा आवश्यक संशोधन करते हुए 74वें संविधान संशोधन की मूल भावना और विशेषताओं को उसमें सम्मिलित कर लिया।

अध्ययन का विश्लेषण एवं अध्ययन की मुख्य खोजें

महिला नेतृत्व एवं राजनैतिक विकास :– नगर निगम को स्थापित हुए लगभग 26 वर्ष हो चुके हैं एंव इनका प्रभाव समाज रीवा जिले में अनेक प्रकार से पड़ा है, इस तथ्य को अनेक अनुभव अध्ययन अन्य स्थानों के सन्दर्भ में पुष्टि करते हैं वकात्कम आरक्षण पद्धति की शक्ति, वयस्क मताधिकार शैक्षणिक नगर निगम राजनीति शहरी आंचलों में जीवन्त कर दिया है जिसमें जनता में राजनैतिक चेतना की अभिवृद्धि हुई है, यद्यपि

इस तथ्य के पीछे विभिन्न समाजों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, यही कारण है कि परिवार आज अपने बेटे–बेटियों और बहुओं को घर से बाहर जाने की इजाजत देने लगे हैं अर्थात् रीति रीवाज का पालन कम हुआ है। अतः जातीयता के आधार पर सामाजिक कार्य की कमी होती जा रही है, यद्यपि संयोजन का नवीन राजनैतिक रूप नगरीय व्यवस्था के मिलता है जो कि जातीय तौर पर टूट के रूपान्तरित हो जाते है जिससे परिवार व जाति के बन्धन महिला प्रतिनिधियों के सन्दर्भ में और सशक्त हो जाते है। अतः पंचायतीराज में त्रुटीय नेतृत्व में अति प्रभावशाली होता है।

वास्तव में 74वें संवैधानिक संशोधन का प्रभाव के माध्यम से क्षेत्र की राजनैतिक संरचना पर पड़ा जिससे कि राजनैतिक चेतना ग्रामीण आंचलों में जागृति हुई है तथा जातियां एवं उनके नेता धीरे–धीरे उच्च स्तर पर राजनैतिक गठबन्धन करने लगे हैं जिसके परिणाम स्वरूप पंचायतों के स्तर पर ये गठबन्धन शक्तिशाली केन्द्र बन कर ग्रामीण विकास को मूर्त रूप प्रदान कर रहे हैं। लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के पूर्व राजनैतिक सम्बन्ध उच्च जातियों एवं आर्थिक शक्तियों पर आधारित थे परंतु 74 वें संवैधानिक संशोधन जनित चक्राणुक्रम आरक्षण के कारण इस जातीय आर्थिक एवं राजनैतिक शक्ति के स्थान पर संख्यात्मक राजनैतिक शक्ति को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है, परिणामस्वरूप आज नेतृत्व उस वर्ग के पास है जो संख्यात्मक राजनैतिक शक्ति को एकत्रित करने की योग्यता रखता है।

प्रस्तुत अध्याय में यह देखने का प्रयास किया गया है कि पंचायत किस स्तर तक लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण में सफल है तथा ग्रामीण विकास एवं पुनर्निर्माण कराने में, इनकी उपयोगिता क्या है? एवं सामाजिक न्याय के प्रति इनकी कटिबद्धता का स्तर क्या?,जनभागीदारी सुनिश्चित करना, सामाजिक विकास के कार्यक्रमों का परिपालन तथा सामजिक न्याय की ओर अग्रसर होना। इसके अलावा एक ऐसे स्वायत्त शासन की स्थापना जो कि ग्राम स्तर से ही लोकतंत्र का प्रतीक बन सके। शोधकर्ताओं ने नगर निगम को सरकार की एक इकाई के ही रूप में परिभाषित किया है।

आरेख क्रमांक 1

महिला नेतृत्व : नगरीय विकास एवं पुनर्निर्माण की गति

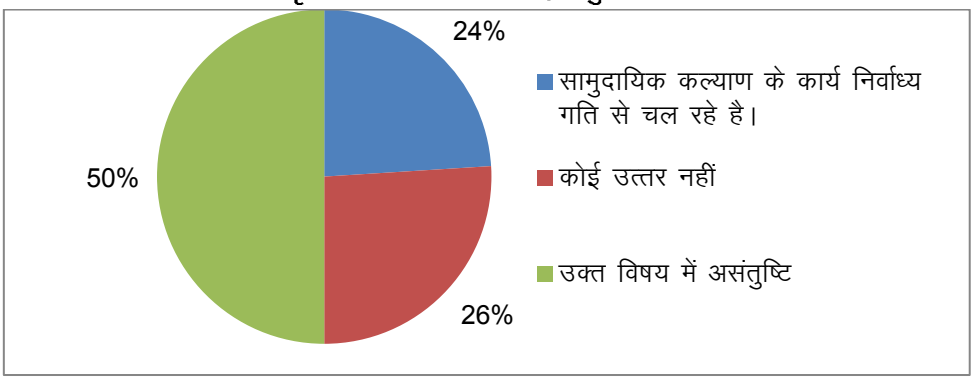

उपरोक्त तथ्य से स्पष्ट है कि नगर निगम अपने कार्य सम्पादन में पूर्ण रूपेण सफल नहीं है, यद्यपि महिला प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण से यह व्यक्त नहीं किया गया। यह अभिव्यक्ति उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, इसलिए असफलता के कारकों का जानना जरूरी है चूंकि असन्तुष्टता की दर ऊँची थी।

उक्त सम्बन्ध में अधिकांश महिला प्रतिनिधियों का मत रहा कि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से उन्हें उचित सहयोग नहीं प्राप्त होता है उसके अलावा द्वितीय स्तर पर वरिष्ट जनप्रतिनिधियों का उदासीन होना तीसरे स्तर पर स्वयं जनता जिनके लिए ये सारे कार्यक्रम निरूपित हुए है का निरूत्साहित होना, दर्शाया दगया तथा चौथा कारण जो सामने आया है वह वर्ग विशेष की ग्राम सभाओं मे जनसंख्या अधिक होना। प्रथम कारक को स्वीकार करती है 54 प्रतिशत। द्वितीयक कारक को स्वीकारती है 22 प्रतिशत। तृतीय कारक को स्वीकार करती है 15 प्रतिशत एवं बाकी शेष 9 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि अन्तिम कारक को उत्तरदायी ठहराती है।

आरेख क्रमांक 2

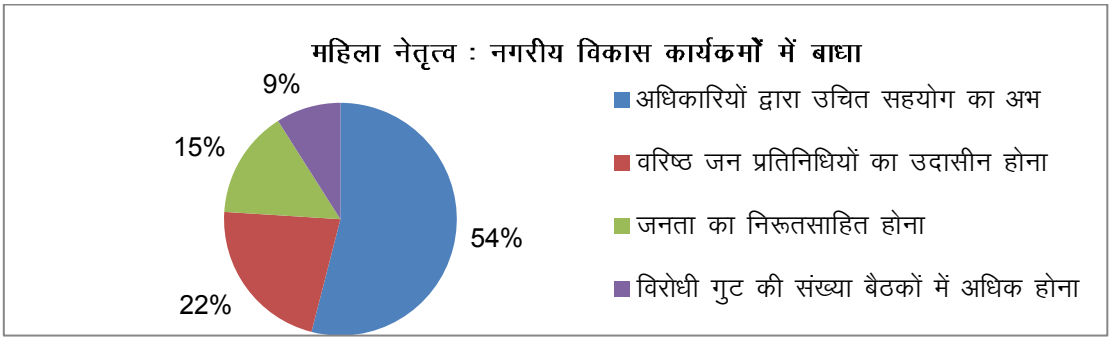

नगरीय सुधार कार्यक्रम :– वास्तव में नगरीय प्रशसन के नीति निर्धारण, नियोजन बजटीकरण कियान्वयन इत्यादि की शक्ति नवीन पंचायतीराज व्यवस्था में प्रदान की गयी है, इस तथ्य से संगठनात्मक व्यवस्था ग्रामीण विकास हेतु तो हो गयी है, परन्तु क्या इस प्रावधान का पंचायतीराज एवं महिला प्रतिनिधि लाभ उठा रहे है, इससे कल्याण राहत के कार्यक्रमों के विकर्षण में पहले से तेजी आये है, प्रति उत्तर में 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने व्यक्त किया कि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता आयी है परन्तु यह आशा से बहुत कम है। 45 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने विकास कार्यक्रमों में तीव्रता नहीं बल्कि पर्याप्त मानी है, जबकि 15 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नकारात्मक उत्तर प्रस्तुत किया।

आरेख क्रमांक 3

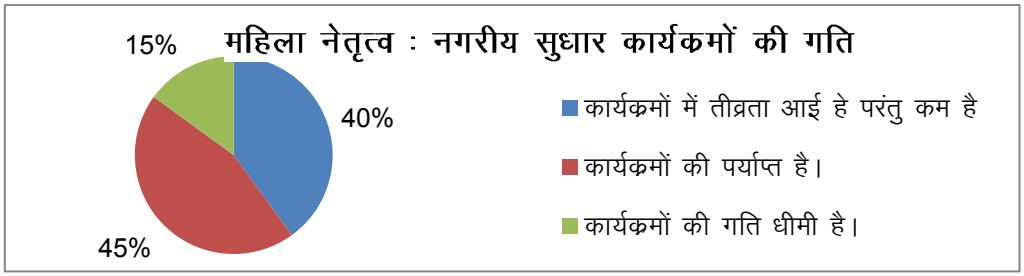

वास्तव में नगरीय विकास में विकास की ढेर सारी गुन्जाइश मौजूद है जिससे व्यक्ति विशेष स्वतः अपने मापदण्ड से नापता है, यह कटुसत्य है कि पिछले 10 वर्षों में नगरीय विकास की धारा खुल गयी है जैसे– सड़क, स्कूल, पुलिया, बांध, जल–ग्रहण, सामुदायिक भवन इत्यादि का निर्माण । परन्तु ग्रामीण निर्धनता में कमी नहीं आयी, आय के संसाधन सीमित है, रोजगार के अवसर सीमित कार्यक्रमों द्वारा ही प्राप्त है जो कि साल दर साल वक्त–बे–वक्त काट दिये जाते हैं

आरेख कमांक 4

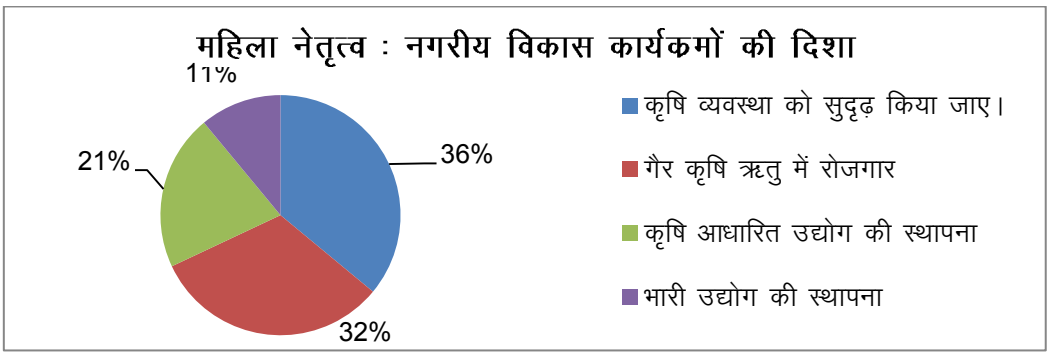

इस प्रश्न पर कि आप के समझ में किस प्रकार की व्यवस्था से आप का क्षेत्र जोड़ा जाये कि साधन सम्पन्नता बढ़े ? 36 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया कि कृषि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित ताकि बिजली, पानी इत्यादि मुहैया हो सके, जबकि 32 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने गैर कृषि ऋतु में रोजगार मुहैया कराने की बात कही 21 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने लघु उद्योग सम्बन्धी सयंत्र लगाने की बात कहीं जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके व उत्पादन बढ़ सके, जबकि 11 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने भारी उद्योग लगाने की बात कही?

वास्तव में उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि महिला प्रतिनिधि अपने नेतृत्वाधीन लोगों की मूल समस्याओं से अवगत ही नहीं भलीभांति परिचित है एवं क्षेत्रीय संसाधन उपलब्धता से अवगत है जिससे कि उन्हें वास्तविक पर्यावरण में उपलब्ध विकास की दिशायें दिख रही हैं क्योंकि भारी उद्योगों की बात उठाना इस क्षेत्र विशेष में मात्र 11 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों द्वारा उठाया जाना यह दर्शाता है कि वर्तमान व्यवस्था में संसाधन विहीन क्षेत्रान्तर्गत भारी उद्योग लगाना असम्भव है, परन्तु बाकी के 80 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नियोजकों को स्पष्ट संकेत दिया है कि इन दिशाओं में उनकी सोच सामाजिक विकास के सन्दर्भ में बेहतर उपलब्धि दिला सकती है।

आरेख क्रमांक – 5

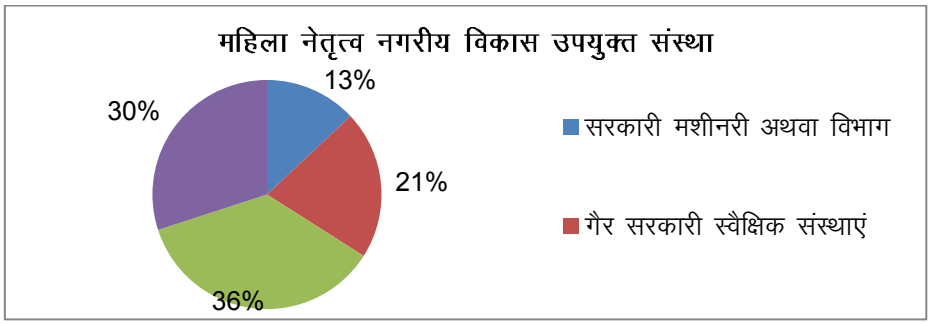

इसी तारतम्य में नगरीय विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कने हेतु कौन सी संस्था उपयुक्त मानी जाय का प्रश्न रखा गया। जिसके प्रति–उत्तर में 13 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नगरीय प्रशासन सबसे उपयोगी संस्था, सरकारी मशीनरी के अन्तर्गत सरकारी विभागों को माना, जबकि 21 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने यह विचार व्यक्त किया कि स्वैच्छिक संस्थाऐं विकास कार्यक्रमों का अच्छा संचालन कर सकती हैं। 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नगरीय प्रशासन को उचित संस्था ठहराया एवं 36 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नगर निगम को सम्पूर्ण विकास हेतु उपर्युक्त संस्था मानती है। अतः ये आंकड़े स्पष्ट रूप से स्थानीय प्रशासन एवं नगरीय प्रशासन की उपादयेता दर्शाते हैं।

वास्तव में परिस्थितियां इतनी खराब नहीं जितना कि विभिन्न अध्ययन जैसे– Pandey, G.S (2001) मानते है स्थानीय संस्थाऐं स्पष्ट रूप से प्रमुख अभिकर्ता नगरीय विकास की बनी हुई है ये अपने आप में 74 वें संवैधानिक संशोधन की सफलता का परिचायक है।

सामाजिक विकास में बाधक :– एक बात तो स्पष्ट है कि क्षेत्र द्वारा चुने गए नेता क्षेत्र के विकास हेतु तत्पर है इस तथ्य में महिला प्रतिनिधि भी उतने ही अंश में समर्पित है जितना कि पुरूष अन्य अध्ययनों Jain, IIaben (1994) परन्तु फिर भी इन कार्यक्रमों की असफलता का कारक हम पूर्व में भी अध्ययन कर चुके हैं पर इस दृष्टिकोण से अध्ययन करना आवश्यक है कि नगर निगम की आर्थिक सामाजिक एंव सांस्कृतिक वृद्धि को कौन से तत्व फलीभूत नहीं होने देते, इस हेतु महिला प्रतिनिधियों से प्रश्न उठाने पर यह ज्ञात हुआ कि उनके क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक विकास में बाधक तत्व अधिकारियों व कर्मचारियों की लापरवाही का विचार 28 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने व्यक्त किया, 19 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने त्रिस्तरीय पंचायत के विभिन्न पदाधिकारियों एवं वरिष्ठ जन प्रतिनिधियों को दोषी ठहराया, 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने प्रशासन के असहयोगी व्यवहार को प्रमुख रूप से सामाजिक विकास में बाधक बनने का श्रेय दिया तथा 23 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने माना की समय पर सूचनाओं के आदान–प्रदान के अभाव के कारण भी असफलता मिलती है।

आरेख क्रमांक 6

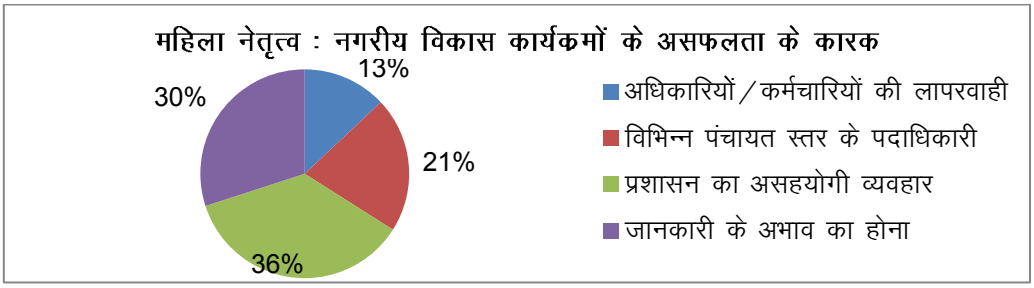

अतः इन आंकड़ों के आधार पर रीवा जिले के सामाजिक आर्थिक विकास में प्रशासकों की भूमिका घटती जा रही है जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए शुभ सूचक रहेगा ऐसा कई अध्ययनों ने स्थापित भी किया है Buch, Nirmala (1994) एवं Kumar, Ranjana (2000)[10] ।

वास्तव में महिला प्रतिनिधियों का चयन आरक्षण जनित था जो कि किसी भी योग्यता परख पर आधारित नहीं था, यद्यपि महिलाओं के बीच में ही टकराहट की स्थिति कई जगह उत्पन्न हुई। परन्तु सभी माप दण्ड इनके लिए गिरा दिये गये, परन्तु 13 वर्ष बाद इन परिस्थितियों को एक मुद्दा बना कर आज इन्हें ग्रामीण राजनीति में जो स्थान प्राप्त है। उनके लिए अयोग्य ठहराना अपने आप में एक भूल होगी, क्योंकि वे समस्त गुणवादी विशिष्टताओं से युक्त हो गयी है जिन्हें समाज नेतृत्व के लिए आवश्यक मानता है।

आज स्व–विकास का माध्यम नेतृत्व बना है जिससे कि परिवार की प्रतिष्ठा गतिशीलता एवं उपादेयता में वृद्धि हुई है 79 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने यह माना कि उनकी परिवार की प्रतिष्ठा उनके प्रतिनिधि ने परिवार की प्रतिष्ठा में अपना योगदान न्यून माना। 18 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने उत्तर देना उचित नहीं समझा।

आरेख क्रमांक 7

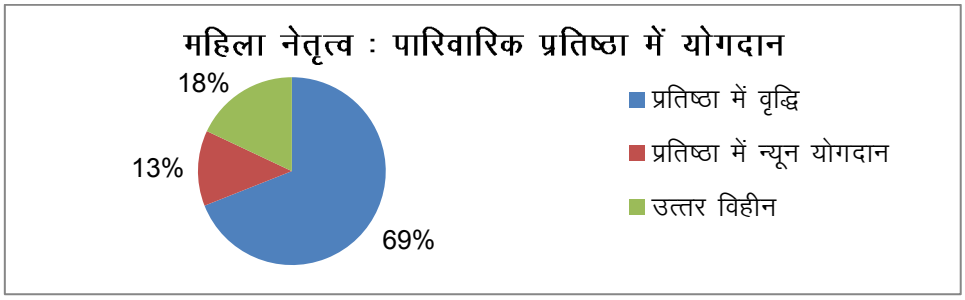

इसी तरह परिवार की गतिशीलता पर प्रश्न किया गया कि क्या आप के नेतृत्व से परिवार की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलता है? जिसका उत्तर 72 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने सहमति में दिया 10 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने असहमति में दिया एंव 18 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने उत्तर देने से इन्कार किया।

आरेख क्रमांक 8

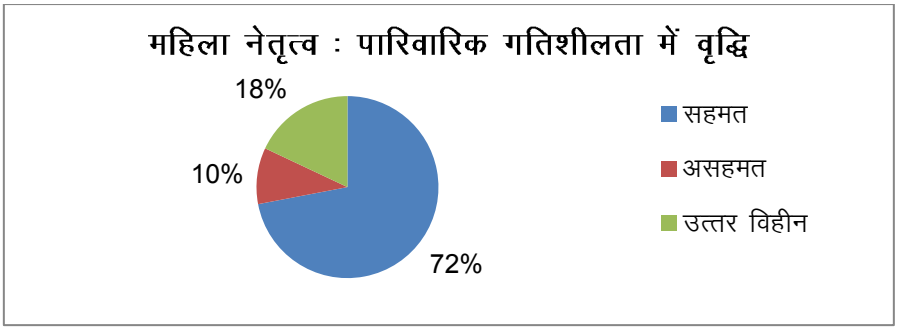

महिला नेतृत्व एवं जाति :– जाति प्रथा में खान–पान, उठना–बैठना, मेल–जोल सम्बन्धी रीति–रिवाज समाहित है, ऐसी मान्यता पूर्व में थी कि उच्च जाति वालों को निम्न जाति वालों की कच्ची रसोई नहीं खानी चाहिए तथा कुछ जातियों के साथ खान–पान संबंधी कठोर प्रतिबंध है लेकिन आज के परिवेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के वशीकरण, ग्रामीण एवं परिवारों को इस आधुनिकता को अपनाना पड़ा है, ऐसा महिला प्रतिनिधियों के संबंध में भी परिलक्षित होता है। वास्तव में इस परिवर्तन के विभिन्न स्वरूप दिखाई पड़ते हैं जिसमें प्रमुख रूप से यह देखा गया है कि महिला प्रतिनिधि चाहे जिस भी ऊँची जाति की हो सबके साथ ऊँच–नीच का भेद–भाव छोड़कर भाई–चारे का संबंध रखने का तत्पर है एवं हर स्तर के लोगों के साथ उठना–बैठना, खाना–पीना, उत्सवों में भाग लेना पड़ता है, अतः नेतृत्व के लिए यह आवश्यक हो गया है। वह विभिन्न धर्म व सम्प्रदाय के लोगों को समान महत्व देने का प्रयास करती है यही कारण है कि राजनैतिक जीवन में उनकी सफलता परिलक्षित होती है। अतः हम यह कह सकते हैं कि पारिवारिक आधुनिकीकरण नेतृत्व के माध्यम से प्रभावित होता है।

उपरोक्त आशय को ज्ञात करने हेतु पूछा गया कि उनके नेतृत्व से उच्च जातियों अथवा निम्न जातियों से सम्पर्क बढ़ा है। 42 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि वे अन्य जातियों के यहां खान–पान का सम्बन्ध चुनाव उपरान्त बना 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने पारिवारिक संबंध बनने अन्य जातियों के यहां उत्सवों में सहानुभागिता हेतु अवसर प्राप्त हुए । अतः ये स्पष्ट हुआ कि सामाजिक दूरियां घटी हैं नवीन नगरीय प्रशासन के तत्वाधान में।

आरेख क्रमांक 9

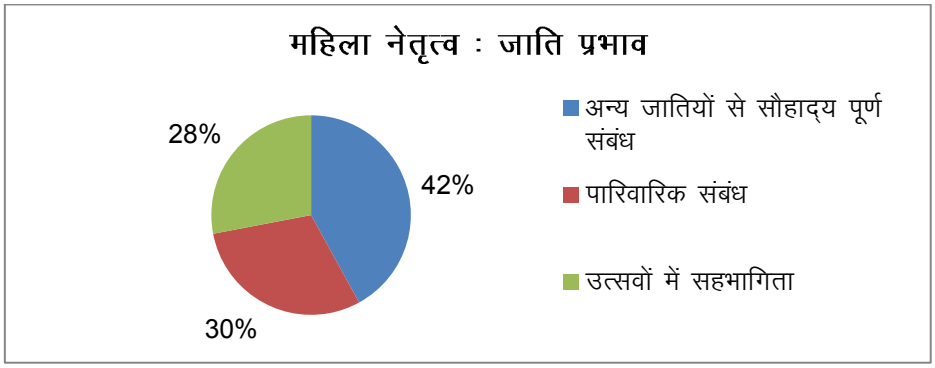

शक्ति संरचना का आधार :– परम्परागत शक्ति संरचना की मान्यताऐं धीरे–धीरे खण्डित हो चुकी है एवं नई शक्ति संरचना को वर्तमान में आर्थिक भू–मण्डलीकरण के दवाब में 74 वें संवैधानिक संशोधन ने मार्ग प्रशस्त किया है, जिससे औद्योगिकरण, नगरीकरण, साक्षरता, क्षेत्रीयता, अपराधीकरण इत्यादि प्रभावित करते हैं। इसके विपरीत पितृ–प्रधान व्यवस्था एवं सामान्तवाद भावकारी बिन्दुओं पर प्रकाश डाला है जो कि धरातलीय राजनीति पर हावी होता है। जाति व्यवस्था का प्रभाव कुछ न कुछ तो रहेगा ही

आरेख क्रमांक 10

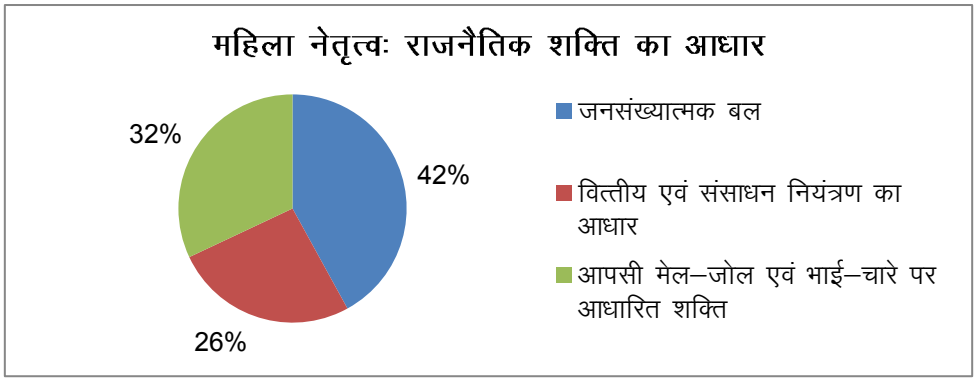

शक्ति सरंचना को प्रभावी करने वाले कारक पर प्रश्न किये जाने पर स्पष्ट रूप से जनसंख्यात्मक रूप से प्राथमिकता दी गयी जिसके अन्तर्गत 42 प्रतिशत महिला प्रतिभागियों ने अपना मत व्यक्त किया। दूसरा मत वित्तीय एवं संसाधन नियन्त्रण का आधार 26 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने व्यक्त किया। जबकि तीसरे मत से आपसी मेल–जोल एवं भाई–चारे पर आधारित शक्ति संरचना की बात कही गयी जिसमें 32 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने अपना मत व्यक्त किया जो कि वास्तव ने सहकारिता एवं सहयोग की माप में जालीतंत्र निर्माण का द्योतक है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट होता है कि धरातलीय परिस्थितियां बदल रही है जो कि अन्य अध्ययनों क निष्कर्षों से भी समर्थित होता है।

सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन का जहां तक एक तरफ पूर्व उल्लेखित कारक जिम्मेदार है, वहीं से दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य इसके लिए सरकारी प्रयास का है। वास्तव में समस्त राष्ट्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान हेतु पिछले 60 वर्षों से व्यापक चेष्टा की जा रही है, परन्तु इसकी सफलता या असफलता विवादास्पद ही रही है। अतः इसका मूल्यांकन आवश्यक समझा गया, यह ध्यान में रखते हुए परिवर्तनों को तीन श्रेणी में विभक्त किया गया है– प्रथम श्रेणी अच्छा लेकिन मन्द, द्वितीय श्रेणी अच्छा लेकिन तेज तथा तृतीय श्रेणी परिवर्तन के विरोध में था।

आरेख क्रमांक 11

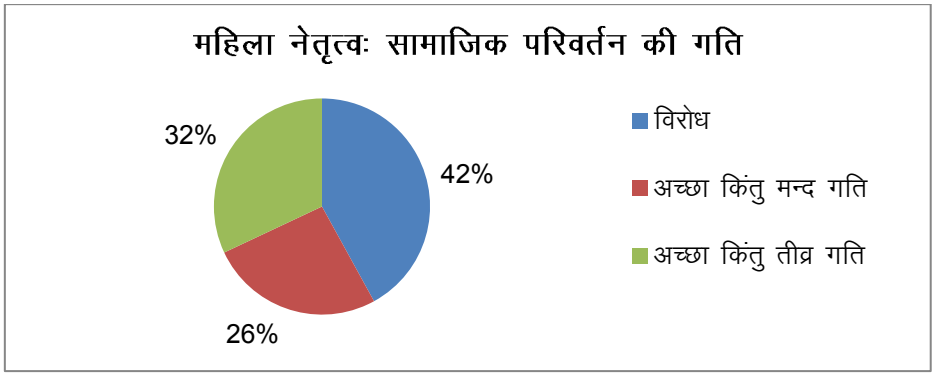

महिला प्रतिनिधियों से प्राप्त मतों से स्पष्ट हुआ है कि क्षेत्र विशेष में हो रहे सामाजिक परिवर्तन के विरोध में उत्तरदाताओं का प्रतिशत 42 था। परिवर्तनों को अच्छा मानते हुए मन्दगति वाले मत में 26 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने प्रकट किया। 32 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने परिवर्तन को अच्छा परन्तु तीव्र माना। अतः उक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि महिला प्रतिनिधियों ने अपने आपको बदलती हुई परिस्थितियों से आत्मसात किया है, परन्तु सामाजिक परिवर्तन से 42 प्रतिशत असन्तुष्ट है। यह निष्कर्ष भी अन्य शोध कार्यों द्वारा समर्थित ही रहा, जिनका कार्य पश्चिम बंगाल एवं राजस्थान पर है व इनके अनुसार, सामाजिक परिवर्तन निम्न जातियों के हित में नहीं हो रहा है।

महिला नेतृत्व एवं आकांक्षाऐं :– महिला प्रतिनिधियों की महत्वकांक्षाऐं उनकी सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक पृष्ठिभूमि से निर्धारित होती है जिस तरह के परिवार में रहकर उनका सामाजिकरण हुआ होगा उस तरह के सामाजिक प्रतिमानों एंव आदर्श व्यवहारों को वे प्रतिबिम्बित करेगी और उसी तरह का व्यक्तित्व विकसित होगा।

महत्वकांक्षाओं को विशेष दिशा प्रदान करने में शिक्षा की भूमिका है, शिक्षा के द्वारा ही वे ऊपर की ओर गतिशीलता का अवसर प्राप्त करेंगी। इसके अतिरिक्त आर्थिक स्थित, सामाजिक स्थित, व्यवसाय इत्यादि भी आकांक्षाओं के निर्धारक होते हैं, तथा सत्ता एवं प्रतिष्ठा से सम्बद्ध होते हैं। अतः स्पष्ट है कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति की कुछ न कुछ न आकांक्षाएं होती है इसी प्रकार महिला प्रतिनिधियों की भी आकांक्षाऐं उनमें अन्तर्निहित हैं, जिसे प्राप्त करने हेतु वे सुनियोजित एवं क्रमबद्ध तरीके से कार्य करती है।

आरेख कमांक 12

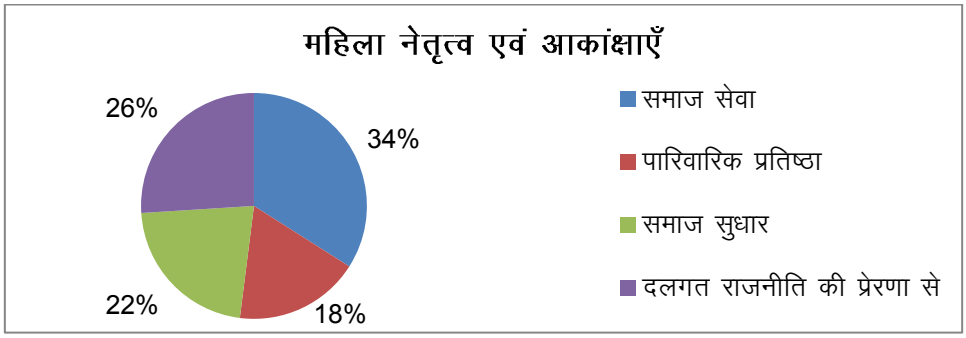

इन महत्वकांक्षाओं के विषय में जानकारी लेने पर ज्ञात हुआ है कि 34 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि समाज सेवा की महत्वाकांक्षा लेकर चुनाव में भागीदारी निभाई थी, 26 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने सामाजिक सुधार लाने हेतु तथा शेष 18 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने दलगत राजनीति के कारण निर्वाचन मे भाग ली जिससे यह स्पष्ट होता है कि 56 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि की भूमिका क्षेत्रीय राजनीति में सकारात्मक प्रतीत होती है, जबकि 44 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि की भूमिका परम्परावादी है जो कि अन्य अध्ययनों से पुष्टि होती है।

निष्कर्ष :– प्रस्तुत शोध प्रबंध ''शोध विषय'' (म. प्र. के रीवा जिले के विशेष संदर्भ में) संबंधित है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए म. प्र. के रीवा जिले के रीवा नगर निगम के वार्डों में से 100 चयनित महिलाओं को उद्देश्यपूर्ण निदर्शन विधि द्वारा अध्ययन हेतु लिया गया है। शोध संबंधी जानकारी, साक्षात्कार, अनुसूची, व्यक्तिगत साक्षात्कार, स्वनिरीक्षण द्वारा प्राप्त की गई है शोधकर्ता द्वारा महिला उत्तरदाताओं से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करके उनके जीवन को समझने एवं वास्तविकता की तह तक जाने का प्रयास किया गया है।

सर्वेक्षण के उपरांत जो तथ्य उभरकर आये हैं उनकी व्याख्या करते हुए वास्तविक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है और उससे जो भी तथ्य हमारे सामने आये उससे यह निष्कर्ष निकलता है कि रीवा नगर निगम में मलिाओं का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक नेतृत्व का विकास हुआ है।

अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि रीवा नगर निगम में महिलाएं कितनी जागरूक हैं और यह जानने की कोशिश में हमने महिला प्रतिनिधियों से साक्षात्कार किया और प्राप्त जानकारी इस प्रकार है :–

- राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण दोगली नीतियों से हम संपूर्ण देश के विकास का स्वप्न यदि देखते हैं, तो यह सोचना हमारी बहुत बड़ी भूल होगी। वस्तुतः राजनैतिक हस्तक्षेप के कारण ही अधिकांश जनता निष्क्रिय तथा तटस्थ मानसिकता लिए हुए सबकुछ चुपचाप सह रही है।
- नगर निगम अपने कार्य सम्पादन में पूर्ण रूपेण सफल नहीं है, यद्यपि महिला प्रतिनिधियों के दृष्टिकोण से यह व्यक्त नहीं किया गया। यह अभिव्यक्ति उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है, इसलिए असफलता के कारकों का जानना जरूरी है चूंकि असन्तुष्टता की दर ऊँची थी।
- अधिकांश महिला प्रतिनिधियों का मत रहा कि सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों के माध्यम से उन्हें उचित सहयोग नहीं प्राप्त होता है उसके अलावा द्वितीय स्तर पर वरिष्ट जनप्रतिनिधियों का उदासीन होना तीसरे स्तर पर स्वयं जनता जिनके लिए ये सारे कार्यक्रम निरूपित हुए है का निरूत्साहित होना, दर्शाया गया तथा चौथा कारण जो सामने आया है वह वर्ग विशेष की ग्राम सभाओं मे जनसंख्या अधिक होना। प्रथम कारक को स्वीकार करती है 54 प्रतिशत। द्वितीयक कारक को स्वीकारती है 22 प्रतिशत। तृतीय कारक को स्वीकार करती है 15 प्रतिशत एवं बाकी शेष 9 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि अन्तिम कारक को उत्तरदायी ठहराती है।
- वास्तव में नगरीय प्रशासन के नीति निर्धारण, नियोजन बजटीकरण कियान्वयन इत्यादि की शक्ति नवीन नगरीय व्यवस्था में प्रदान की गयी है, इस तथ्य से संगठनात्मक व्यवस्था नगरीय विकास हेतु तो हो गयी है,
- परन्तु क्या इस प्रावधान का नगरीय विकास एवं महिला प्रतिनिधि लाभ उठा रहे है, इससे कल्याण

राहत के कार्यक्रमों के विकर्षण में पहले से तेजी आयी है, प्रति उत्तर में 40 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने व्यक्त किया कि सुधार कार्यक्रमों में तीव्रता आयी है परन्तु यह आशा से बहुत कम है। 45 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने विकास कार्यक्रमों में तीव्रता नहीं बल्कि पर्याप्त मानी है, जबकि 15 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नकारात्मक उत्तर प्रस्तुत किया।

- वास्तव में नगरीय विकास में विकास की ढेर सारी गुन्जाइश मौजूद है जिससे व्यक्ति विशेष स्वतः अपने मापदण्ड से नापता है, यह कटुसत्य है कि पिछले 10 वर्षों में नगरीय विकास की धारा खुल गयी है जैसे– सड़क, स्कूल, पुलिया, बांध, जल–ग्रहण, सामुदायिक भवन इत्यादि का निर्माण। परन्तु ग्रामीण निर्धनता में कमी नहीं आयी, आय के संसाधन सीमित है, रोजगार के अवसर सीमित कार्यक्रमों द्वारा ही प्राप्त है जो कि साल दर साल वक्त–वे–वक्त काट दिये जाते हैं।
- इस प्रश्न पर कि आप के समझ में किस प्रकार की व्यवस्था से आप का क्षेत्र जोड़ा जाये कि साधन सम्पन्नता बढ़े ?
- 36 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने अपने उत्तर में स्पष्ट किया कि कृषि व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित हो ताकि बिजली, पानी इत्यादि मुहैया हो सके, जबकि 32 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने गैर कृषि ऋतु में रोजगार मुहैया कराने की बात कही 21 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने लघु उद्योग सम्बन्धी सयंत्र लगाने की बात कहीं जिससे बेरोजगारी खत्म हो सके व उत्पादन बढ़ सके, जबकि 11 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने भारी उद्योग लगाने की बात कही?
- वास्तव में महिला प्रतिनिधि अपने नेतृत्वाधीन लोगों की मूल समस्याओं से अवगत ही नहीं भलीभांति परिचित है एवं क्षेत्रीय संसाधन उपलब्धता से अवगत है जिससे कि उन्हें वास्तविक पर्यावरण में उपलब्ध विकास की दिशायें दिख रही हैं क्योंकि भारी उद्योगों की बात उठाना इस क्षेत्र विशेष में मात्र 11 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों द्वारा उठाया जाना यह दर्शाता है कि वर्तमान व्यवस्था में संसाधन विहीन क्षेत्रान्तर्गत भारी उद्योग लगाना असम्भव है, परन्तु बाकी के 80 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नियोजकों को स्पष्ट संकेत दिया है कि इन दिशाओं में उनकी सोच सामाजिक विकास के सन्दर्भ में बेहतर उपलब्धि दिला सकती है।

इसी तारतम्य में नगरीय विकास के कार्यक्रमों को कार्यान्वित कने हेतु कौन सी संस्था उपयुक्त मानी जाय का प्रश्न रखा गया। जिसके प्रति–उत्तर में 13 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नगरीय प्रशासन सबसे उपयोगी संस्था, सरकारी मशीनरी के अन्तर्गत सरकारी विभागों को माना, जबकि 21 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने यह विचार व्यक्त किया कि स्वैच्छिक संस्थाएं विकास कार्यक्रमों का अच्छा संचालन कर सकती हैं। 30 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने नगरीय प्रशासन को उचित संस्था ठहराया एवं 36 प्रतिशत महिला प्रतिनिधि नगर निगम को सम्पूर्ण विकास हेतु उपर्युक्त संस्था मानती है। अतः ये आंकड़े स्पष्ट रूप से स्थानीय प्रशासन एवं नगरीय प्रशासन की उपादयेता दर्शाते हैं। ये अपने आप में 74 वें संवैधानिक संशोधन की सफलता का परिचायक है।

- आंकड़ों के आधार पर रीवा जिले के सामाजिक आर्थिक विकास में प्रशासकों की भूमिका घटती जा रही है जो कि महिला सशक्तिकरण के लिए शुभ सूचक रहेगा ऐसा कई अध्ययनों ने स्थापित भी किया है।
- वास्तव में महिला प्रतिनिधियों का चयन आरक्षण जनित था जो कि किसी भी योग्यता परख पर आधारित नहीं था, यद्यपि महिलाओं के बीच में ही टकराहट की स्थिति कई जगह उत्पन्न हुई। परन्तु सभी माप दण्ड इनके लिए गिरा दिये गये, परन्तु 13 वर्ष बाद इन परिस्थितियों को एक मुद्दा बना कर आज इन्हें ग्रामीण राजनीति में जो स्थान प्राप्त है। उनके लिए अयोग्य ठहराना अपने आप में एक भूल होगी, क्योंकि वे समस्त गुणवादी विशिष्टताओं से युक्त हो गयी है जिन्हें समाज नेतृत्व के लिए आवश्यक मानता है।
- आज स्व–विकास का माध्यम नेतृत्व बना है जिससे कि परिवार की प्रतिष्ठा गतिशीलता एवं उपादेयता में वृद्धि हुई है 79 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने यह माना कि उनकी परिवार की प्रतिष्ठा उनके प्रतिनिधि ने परिवार की प्रतिष्ठा में अपना योगदान न्यून माना। 18 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने उत्तर देना उचित नहीं समझा।
- इसी तरह परिवार की गतिशीलता पर प्रश्न किया गया कि क्या आप के नेतृत्व से परिवार की गतिशीलता को प्रोत्साहन मिलता है? जिसका उत्तर 72 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने सहमति में दिया 10 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने असहमति

में दिया एंव 18 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने उत्तर देने से इन्कार किया।

- परिवारों की उपादेयता के संबंध में महिला प्रतिनिधियों का दृष्टिकोण जानने का प्रयास किया गया, क्योंकि यह मान्यता जन–मानस के मन में बनी हुई थी कि महिलाएं बिना परिवार के सुरक्षा कवच के क्षेत्र विशेष के सन्दर्भ में नही रह सकती तथा यह तथ्य तो पहले से स्थापित हो चुका है कि संयुक्त परिवार ही नगरीय विकास हेतु उपयुक्त है, इसी दृष्टिकोण के साथ यह पूछा गया कि क्या पारिवारिक उपयोगिता आप अपने कार्य क्षेत्र में समझती है?

जिसके प्रति उत्तर में 72 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने इसकी उपयुक्तता ही नहीं इसकी उपादेयता गिनाने में कमी नहीं की। वास्तव मे 28 प्रतिशत महिला प्रतिनिधियों ने अपना मत इस हेतु व्यक्त ही नहीं किया क्योंकि वे शादी–शुदा नहीं थी अथवा विधवा थी इत्यादि पर परिवार व्यवसाय के विरोध में किसी भी महिला ने कहना उचित नहीं समझा इस निष्कर्ष पर वास्तव में कई अन्य अध्ययनों ने भी समर्थन किया है जिन में प्रमुख है महिला नेतृत्व एवं जातिः ।

सुझाव :–

1. जनतांत्रिक समाज में कार्य व्यक्तिगत आदेश से नहीं बल्कि संविधान, विधान, नियमों और कार्य प्रणालियों से होता है इन्हें जाने बिना राजनीतिक प्रक्रिया में सहयोगी नहीं बनाया जा सकता है। इसी दृष्टि से नगरीय निकायों के कार्यों में महिलाओं की सफल भागीदारी के लिए उनका शिक्षित होना आवश्यक है।
2. मीडिया का उपयोग कर महिलाओं में राजनीतिक अभिरूचि और अभिप्रेरणाओं को विकसित किया जा सकता है।
3. शासकीय एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में अतीत व वर्तमान में सफल रही महिलाओं के विषय में व्यापक प्रचार कर महिलाओं में स्त्री शक्ति चेतना उत्पन्न करनी चाहिए।
4. महिलाओं में आत्मविश्वास उत्पन्न कर राजनीति में उनकी सहभागिता में सुधार किया जा सकता है।
5. महिलाओं में नेतृत्व के गुणों का विकास होना आवश्यक है जिसके माध्यम में राजनेत्री के रूप में वे जनता का प्रतिनिधित्व कर सकेगी।
6. नगर निगम में महिलाओं को स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद ग्रहण करने के पश्चात् उनके पद संबंधी उनके ज्ञान को विकसित करने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
7. रीवा नगर निगम के अंतर्गत शहरी क्षेत्र में महिलाओं को नुक्कड़ – नाटक के माध्यम से उनके अधिकारों के प्रति जागृत करना चाहिए।
8. नगरीय निकायों तक सीमित न रखकर महिलाओं को विधानसभा व लोकसभा चुनाव में भी भाग लेना चाहिए।
9. महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं राजनीतिक स्तर को ऊँचा उठाने के लिए सरकार द्वारा प्रत्यन किये जाने चाहिए जिससे इनका पिछड़ापन समाप्त हो सके।
10. समाज कल्याण विभाग द्वारा कियान्वित योजना का लाभ महिलाओं को भी मिलना चाहिए।
11. समाज में व्याप्त रूढ़िवदिता महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने एवं स्वतंत्रतापूर्वक जीवन यापन करने से रोकती है उसे समाप्त करने के लिए प्रयास किये जाने चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. सिसोदिया, यतीन्द्र (2003), मध्यप्रदेश की ग्राम पंचायतों में अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व, पूर्व देवा सामाजिक विज्ञान शोध पत्रिका, उज्जैन, पृष्ठ 20।
2. मिश्र, यतीश (2015), ग्रामीण स्थानीय प्रशासन, यादव, सुषमा एवं गौतम, बलवान (संपा.), लोक प्रशासन सिद्धांत एवं व्यवहार, ओरियंट ब्लैकस्वान प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, पृष्ठ 446।
3. महीपाल (2015), पंचायती राज चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली, पृष्ठ 14–22।
4. Aslam, M. (2015), Panchayati Raj in India, National book trusts India, New Delhi, Pp. (20-21).
5. भारत का संविधान, 9 नवम्बर, 2015 को यथाविद्यमान, भारत सरकार विधि एवं न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), राज भाषा खण्ड, नई दिल्ली, पृष्ठ 147–148।
6. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत आम निर्वाचन 2014–2015।

7. भदौरिया, जितेन्द्र सिंह एवं गौतम राकेश (2019), मध्यप्रदेश एक परिचय, एम.सी.ग्रेव हिल एजूकेशन (इंडिया) प्राईवेट लिमिटेड, चेन्नई, पृष्ठ 19.5।
8. सक्सेना, आलोक (2015), मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, इण्डिया पब्लिशिंग कम्पनी, इन्दौर, पृष्ठ–22।
9. भदौरिया, जितेन्द्र सिंह एवं गौतम, राकेश (2019), वही. पृष्ठ संख्या 195।
10. मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, पंचायत आम निर्वाचन, 2014–15।
11. सक्सेना, आलोक (2 015), वही. पृष्ठ संख्या 24–25।
12. प्रमिला कुमार – 1984, मानव भूगोल, रस्तोगी पब्लिकेशन, शिवाजी रोड़, मेरठ।
13. कन्हैयालाल अग्रवाल – 1987, बिन्ध्य क्षेत्र का ऐतिहासिक भूगोल, नईदुनियॉ प्रिंटरी।
14. अरूण कुमार शर्मा – 1990, भारत में स्थानीय शासन, राधाकृष्ण प्रकाशन, नई दिल्ली।
15. मीनाक्षी पंवार – 1995, स्थानीय स्वायत शासन, निकुंज प्रकाशन, बड़वानी
16. आर.पी. जोशी डॉ. अरूणा भारद्वाज – 2000, भारत में स्थानीय प्रशासन, शीलसन्स, जयपुर।
17. डॉ. वी.एम. सिंह – 2006, नगरीय समाजशास्त्र, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली।
18. डॉ. अशोक डी. पाटिल – 2007, ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र, म.प्र. हिन्दी ग्रंथ अकादमी, रविन्द्रनाथ ठाकुर मार्ग,बाणगंगा, भोपाल म.प्र।
19. डॉ. जी.आर. मदन – 2009, भारतीय सामाजिक समस्याऍ, विवेक प्रकाशन, 7–यू.ए., जवाहर नगर, दिल्ली।
20. रतनसिंह – 2009, नगरीय समाजशास्त्र, ओमेगा प्रकाशन, नई दिल्ली।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

अध्ययन क्षेत्र छिंदवाडा जिले की भौगोलिक एवं आर्थिक स्थिति का अध्ययन

राजश्री साहू
डॉ. मंजू शर्मा
ज्योति विद्यापीठ वूमेन्स विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

छिन्दवाड़ा जिला भूमि के रकबे के हिसाब से सम्पूर्ण मध्यप्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। इसका कुल रकबा अर्थात क्षेत्रफल 11815 वर्ग किलोमीटर है। इस जिले का गठन 1 नवम्बर 1956 को किया गया।

यह जिला सतपुड़ा के पठार के दक्षिण–पश्चिम हिस्सें में 21.28^0 से 22.49^0 उत्तर अक्षांश तथा 78.10^0 से 79.24^0 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। इस जिले का तापमान कम से कम 4^0 से 6^0 डिग्री सेल्सियस रहता है।

इस जिले की लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर लगभग 136 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम कमी ओर चौड़ाई 104 किलोमीटर है। दक्षिण में जिले की सीमा महाराष्ट्र राज्य के नागपुर और अमरावती जिले में मैदानी भाग से लगती है। उत्तर में नर्मदा घाटी स्थित होशंगाबाद और नरसिंहपुर जिले इसकी सीमा बनाते है। पश्चिम और पूर्व में क्रमशः बैतूल और सिवनी जिला स्थित है।

छिंदवाड़ा नगर, नागपुर तथा जबलपुर जिलों से रेलमार्ग तथा सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। इसके सबसे नजदीक हवाई अड्डा नागपुर है जो छिंदवाड़ा से 125 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

जिले की संरचना के महत्वपूर्ण बिंदु :–

1. यह जिला वर्तमान में 9 तहसीलों में बँटा हुआ है।

(1) छिंदवाड़ा (2) परासिया (3) जुन्नारदेव (4) तामिया (5) अमरवाड़ा (6) चौरई (7) बिछुआ (8) सौंसर (9) पांढुर्णा।

2. जिलें में 11 विकासखण्ड है।

(1) छिंदवाड़ा (2) परासिया (3) जुन्नारदेव (4) तामिया (5) अमरवाड़ा (6) चौरई (7) बिछुआ (8) हर्रई (9) मोहखेड़ (10) सौंसर (11) पांढुर्णा।

3. जिले में 4 नगरपालिकाएँ है।

(1) छिंदवाड़ा (2) परासिया (3) जुन्नारदेव (4) पांढुर्णा।

4. इस जिलें में 8 नगर पंचायतें कार्यरत है।

(1) सौंसर (2) अमरवाड़ा (3) चान्दामेटा–बुटरिया (4) न्यूटन चिखली (5) हर्रई (6) मोहगाँव (7) चौरई (8) लोधीखेड़ा।

5. इसके अलावा 10 छोटे टाउन है।

(1) दिघावानी (2) जाटाछापर (3) इकलेरा (4) पगारा (5) कालीछापर (6) दमुआ (7) पाला चौरई (8) भमोड़ी (9) अम्बाड़ा (10) बड़कुही।

6. इस जिले को 19 राजस्व सर्किल्स में विभक्त किया गया है। इसमें 319 पटवारी हल्का हैं।
7. कुल पंचायतों की संख्या 808 है।
8. इस जिले में 1984 ग्राम स्थित हैं, जिनमें 81 वीरान है। इसके 4217 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में 49 वन ग्राम भी स्थित है।
9. जिले में एक संसदीय क्षेत्र तथा 7 विधानसभा क्षेत्र है।

(1) छिंदवाड़ा (2) परासिया (3) अमरवाड़ा (4) चौरई (5) जुन्नारदेव (6) सौंसर (7) पांढुर्णा विधानसभा क्षेत्र है।

10. जिले के भूभाग की सामान्य औसत ऊँचाई 2150 फुट आंकी गयी है। उत्तरी भाग की ऊँची पर्वत श्रेणियों की औसत ऊँचाई 2500 फुट तथा दक्षिणी पठारी भाग की औसत ऊँचाई लगभग 1900 फीट है।
11. वर्ष 2001 की जनगणना के प्राविधिक अनुमानों के अनुसार जिले की कुल जनसंख्या 18,48,882 हैं, जिसमें 9,46,582 पुरूष एवं 9,02,300 महिलाएँ हैं। जिलें में पुरूष–स्त्री अनुपात में प्रति हजार पुरूषों पर 953 महिलाएँ हैं।
12. सन् 2001 में की गयी जनगणना के अनुसार छिंदवाड़ा नगर की जनसंख्या 122309 पाई गयी।
13. हर वर्गमील पर 133 लोग निवास करते पाये गये।
14. भूगर्भीय संरचना के आधार पर इस जिले को तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है।

(अ) नागपुर जिले की सीमा से लगी समतल भूमि, जिसमें सौंसर और पांढुर्णा तहसीलें प्रमुख हैं।

(ब) जिले का माध्यम, जिसमें छिंदवाड़ा, अमरवाड़ा का दक्षिणी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग भी कहा जाता है।

(स) इस जिले का तीसरा भाग उत्तरी है। यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है।

15. **छिंदवाड़ा जिले की प्रमुख नदियाँ** – इस जिले में प्रमुख 5 नदियाँ है।

(1) **कन्हान** – कन्हान नदी का बहाव दक्षिण की ओर है। यह नदी छिंदवाड़ा जिले के पश्चिमी भागों से बहती

हुई, महाराष्ट्र राज्य में कामठी में वैनगंगा नदी में मिल जाती है।

(2) **पेंच** – पेंच नदी मुतोर के पहाड़ से निकल कर छिंदवाड़ा जिले तथा सिवनी जिले की सीमाओं से बहती हुई, नागपुर जिले में पहुँच कर कन्हान नदी में मिल गयी हैं। इस नदी के कछार में दोनों और कोयले के विशाल भण्डार हैं। झिलमिली ग्राम के पास 'पेंच डाइवर्सन बाँध' भी प्रस्तावित है। इसे इस जिले की जीवन रेखा भी कहा जा सकता है।

(3) **जाम** – जाम नदी बैतूल, छिंदवाड़ा की सीमा पर तड़ेगाँव के पास मोही पर्वत क्षेत्र से निकली है। यह सौंसर तहसील के अधिकतर भाग से बहती हुई, लोधीखेड़ा के पास कन्हान नदी में मिल गयी है।

(4) **कुलबहरा** – उमरेठ के गजिन डोह से निकल कर छिदंवाड़ा–पिपरिया मार्ग को घुमाव के कारण दो बार पार करती है इसकी लम्बाई लगभग 80 किलोमीटर हैं। यह अपने किनारों (कुल) के बाहर बहने से कुलकहरा कहलाती है। यह नदी चाँद ग्राम के पास पेंच नदी से मिलती है।

(5) **दूधी** – यह प्रतापगढ़ से निकलकर, उत्तर–पश्चिम कोण से इस जिले में लगभग 35 किलोमीटर बहकर नरसिंहपुर जिले में नर्मदा नदी से मिल जाती है।

इसके अतिरिक्त कुछ छोटी नदियाँ अथवा कम बहने वाली नदियाँ यथा देनवा, तवा, शक्कर, हरद, सीता–रेवा एवं ठेल आदि भी इस भूभाग को यदा–कदा हरा–भरा बनाए रखने में सहायक है।

16. **अंचल की कृषि का आंकलन** – (कृषि विभाग के सौजन्य से) इस अंचल की प्रमुख फसलें, गेहूँ, ज्वार, सोयाबीन, गन्ना, मूँगफली, चना, तुअर दाल, सन्तरे, अदरक, लहसुन एवं साग–सब्जियाँ हैं।

(अ) अंचल की भूमि एवं फसल का रकबा –
(1) इस अंचल की भूमि का रकबा 1184923 हेक्टेयर्स मापा गया है।
(2) इसमें सम्पूर्ण फसल का रकबा 618926 है।

क) द्विफसली रकबा – 135553 हेक्टेयर्स
ख) अन्य फसलों का रकबा – 484373 हेक्टेयर्स
(ब) इन फसलों के रकबे में सिंचाई के क्षेत्र –
क) सिंचित क्षेत्र – 126805 हेक्टेयर्स
ख) अर्द्ध सिंचित क्षेत्र – 150400 हेक्टेयर्स
(स) सिंचाई के साधन –
क) नहर से सिंचाई – 10749 हेक्टेयर्स
ख) तालाब से सिंचाई – 4234 हेक्टेयर्स
ग) नलकूप से सिंचाई – 36710 हेक्टेयर्स
घ) कुओं से सिंचाई – 92834 हेक्टेयर्स
ड) अन्य क्षेत्रों से सिंचाई – 5842 हेक्टेयर्स
(द) सिंचाई के कुल स्त्रोत –
क) जलाशय – 56
ख) नहरें – 63
ग) नलकूप – 7280
घ) कुएँ – 86282

उपरोक्त तथ्य बताते है कि कुल फसल का रकबा यद्यपि 618926 हेक्टेयर्स है किन्तु इस सिंचित तथा अर्द्धसिंचित रकबा 277205 हेक्टेयर्स ही है। अर्थात् करीब 341721 हेक्टेयर्स जमीन पर सिंचाई नहीं हो पा रही है। ये आंकड़े इस बात की ओर इंगित करते है कि सिंचाई के साधन बढ़ाने की कितनी आवश्यकता है। इस अंचल के किसान बहुत मेहनतकश है किन्तु सिंचाई के साधन न उपलब्ध हो पाने से वे वर्षा पर ही निर्भर है। इतने में भू–भाग पर आश्रित किसानों को सिंचाई के साधन उपलब्ध करा दिये जाने से तथा साथ ही कृषि आधारित व्यवसाय के साधन इन छोटी जोत वाले किसानों को उपलब्ध कराना भी आवश्यक है। आंकड़े यह बताते है कि 2 हेक्टेयर जोत वाले किसानों की मासिक आमदनी 212 रूपये से लेकर 548 रूपये तक ही होती है। यह आय किसी भी परिवार के लिए अपर्याप्त है। ऐसे में तकनीकी मदद से उत्पादन बढ़ाने और कृषि से जुड़े वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण है। इसमें केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, मैसूर आदि से सहयोग लाभकारी होगा। इन उपायों से इस पूरे अंचल की तस्वीर बदली जा सकती है। अव वर्षा की सालाना स्थिति पर एक दृष्टि डाल लें।

17. **वर्षा की जानकारी**

सन्	2003–04	753.6	मि.मी.
सन्	2004–05	769.9	मि.मी.
सन्	2005–06	940.5	मि.मी.
सन्	2006–07	1091.1	मि.मी.
सन्	2007–08	768.9	मि.मी.
सन्	2008–09	1419.3	मि.मी.

सन्	2009–10	1000.8	मि.मी.
सन्	2010–11	1040.9	मि.मी.
सन्	2011–12	524.8	मि.मी.

(यह रिकॉर्ड 1 जून से 31 मई तक आंका जाता है।)

उपरोक्त जानकारी से यह ज्ञात होता है कि वर्षा कभी किसानों के लिए अनुकूल और कभी कितनी प्रतिकूल परिस्थितियाँ पैदा कर देती है। यद्यपि शासन द्वारा बलराम तालाब एवं खेत तालाब योजनाएँ प्रारम्भ कर दी गयी हैं किन्तु इनको युद्ध स्तर पर अमल में लाना आवश्यक है।

इन तालाबों के निर्माण में सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी के द्वारा निरीक्षण, इसके पश्चात कृषि विभाग द्वारा उसकी तकनीकी स्वीकृति के प्रशासनिक स्वीकृति हेतु जनपद पंचायत को प्रस्तुत किया जाता है। इसके पश्चात कार्य का सम्पादन कृषि विकास अधिकारी, भूमि संरक्षण द्वारा कराया जाता है। यह अपेक्षा है कि इन ऐजेन्सियों को जो इतने महत्वपूर्ण कार्य में संलग्न हैं, कि अधिक तत्परता की आवश्यकता है ताकि किसानों की बहुत बड़ी संख्या को लाभ पहुँच सके।

इसके अतिरिक्त एच.आई.बी.पी. योजना, जो केन्द्र शासन द्वारा संचालित है, तथा आदिवासी क्षेत्रों के लिए प्रभावी है, के द्वारा इस त्वरित सिंचाई योजना का लाभ आदिवासी अंचल के लोगों को मिले और सूरते हाल बदल सके, यही शासन की भावना है।

इसके अतिरिक्त परकुलेटिव टेंक की योजना भी है। इसे 5–7 कृषक के सहयोग एवं शासकीय सहायता से टेंक बनाये जाते है। इस योजना को अमली जामा भी पहनाया जाता है।

एक अच्छी शुरूआत की गयी है कृषि विभाग द्वारा, जिसमें 40 हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता वाले 6 तालाबों का निर्माण मार्च 2008 तक किया गया है। ये तालाब 'माइक्रो माइनर इरीगेशन टेंक' के अन्तर्गत बनाये गये है। यह एक सराहनीय कार्य है।

जिले में संसाधन विभाग की अपनी वृहत् योजनाएँ है जिनका उल्लेख किया जाना समीचीन होगा।

छिंदवाड़ा जिले में कार्यरत कार्यपालन यन्त्री, जल संसाधन संभाग के अपने विभागीय आँकड़े है। उनके अनुसार जिले में 11.95 लाख हेक्टेयर्स भौगोलिक क्षेत्रफल में मात्र 4.96 लाख हेक्टेयर्स कुल कृषि योग्य भूमि है।

दिसम्बर 2003 तक विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पन्न किये गए थे।

मध्यम योजनाएँ –

1. कन्हर गाँव जलाशय
2. वाध्यनाला जलाशय
3. 48 लघु सिंचाई योजनाएँ
4. 20 उद्‌वहन सिंचाई योजनाएँ
5. 2 विनियन्त्रक

इन उपरोक्त 72 योजनाओं से जिलें में 28902 हेक्टेयर्स क्षेत्र में खरीफ एवं रबी फसलों हेतु सिंचाई क्षमता निर्मित की गयी।

शासन से उपलब्ध योजनामद के अन्तर्गत 10 लघु सिंचाई योजनाएँ निर्माणाधीन है। इनसे 1328 हेक्टेयर्स जमीन पर सिंचाई की जा सकेगी।

इसी प्रकार जिले में विभाग के पास 30 प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त सिंचाई योजनाएँ है जिनकी लागत 11762.04 लाख एवं रूपांकित सिंचाई क्षमता 11227 हेक्टेयर्स है। इन योजनाओं को नाबार्ड/ए.आई. बी.पी. मद के अन्तर्गत कार्य किया जाना प्रस्तावित है। संभाग ने 50 सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण किया जाना शेष है।

यदि दी गई सभी समयावधि में पूर्ण कर लिये जायें तो कृषकों के जीवन में सुखद परिवर्तन की अपेक्षा की जा सकती है। साथ ही, इस अंचल की समृद्धि हो सकेगी।

(क) सन् 2003 तथा बाद में पूर्ण योजनाएँ

1. पाढुर्णा विकास खण्ड में खैरीपका, सिवनी, मोहखेड़ी, डोलनखापा, हिवरा, भण्डार गोंदी जलाशय तथा जामनदी व्यपर्वतन योजनाएँ पूर्ण हो चुकी है। इससे 1794 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता रूपांकित होगी।
2. सौंसर विकास खण्ड में डोलापंजरा, सातकी जलाशय तथा जामठी स्टाप डेम के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इससे सिंचाई क्षमता 60 हेक्टेयर्स में रूपांकित की गई है।
3. विकासखण्ड चौरई एवं छिंदवाड़ा में लोहरा, सिंगोड़ी, झिरलिंगा जलाशय तथा लोनीबर्रा, भूलामोहगाँव चन्हियाकला स्टाप डेम के कार्य पूर्ण हो चुके हैं। इससे 1261 हेक्टेयर्स भूमि पर सिंचाई क्षमता रूपांकित की गई है।
4. तामिया तथा अमरवाड़ा विकास खण्ड में चाखला, सफरवाड़ा हिवरासानी जलाशय के कार्य पूर्ण हो

गए है। इससे 1533 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता रूपांकित की गई है।

5. परासिया एवं जुन्नारदेव विकास खण्ड में कारी डोंगरी, भरदी जलाशय एवं करनपिपरिया स्टाप डेम के कार्यपूर्ण हो गए है। इससे 359 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता रूपांकित की गई है।
6. परासिया विकास खण्ड में पलटवाड़ा तथा लोहांगी स्टाप डेम के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। इसमें सिंचाई क्षमता 150 हेक्टेयर्स में अनुमानित है।

(ख) इसके अतिरिक्त कुछ योजनाओं की यद्यपि प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्ति तो बताई गयी हैं, किन्तु इनकी स्थिति स्पष्ट नहीं है।

1. पांढुर्णा विकास खण्ड की बिछुआसानी उतमडेरा तथा सौंसर की अम्बाखापा जलाशय योजना, जिनसे 1280 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता अपेक्षित है।
2. पांढुर्णा विकास खण्ड में गूजरखेड़ी, भाजीपानी, सीताढाना, पाठई, भोजकुण्ड जलाशय योजना, जिससे 4143 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता रूपांकित है।
3. बिछुआ एवं चौरई विकास खण्ड में जमुनिया, खमरिया ताल, पिपरिया खाती जलाशय योजना, जिससे 323 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता रूपांकित है।
4. चौरई एवं अमरवाड़ा विकास खण्ड की मोरखा, बांद्रा, टुंडवाड़ा, नवेगाँव, खैरघाट वियर, सलकनी जलाशय, सर्रा स्टापडेम, सिरज साजपानी, स्टापडेम की योजना जिसमें 2879 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता रूपांकित की गई है।
5. हर्रई एवं अमरवाड़ा विकास खण्ड में भेड़ा, रीछननाला, खामी बडेला, भुमका, बांधनी, गाडरवाड़ा जलाशय की योजना जिससे 3265 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता रूपांकित की गई है।
6. तामिया तथा जामई विकास खण्ड की घोघरीढाना, खुलशान, मोहलीमाता, मोढेढ़ाना, कोल्हिया जलाशय योजना, जिनसे 617 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता रूपांकित की गई है।

यदि इन योजनाओं को यथा शीघ्र स्वीकृति मिल जाये तथा कार्य प्रारम्भ किया जा सके तो 11227 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता का सीधा लाभ अंचल के किसानों को मिल सकेगा।

(ग) इसी प्रकार पांढुर्णा विकास खण्ड की देवनाला जलाशय, पांढराखेड़ी, छतरापुरा, जाटलापुर, उमरीकला, पांढुर्णा स्टाप डेम तथा जाटलापुर, बनाबकोड़ा, वाडेगाँव स्टाप डेम का यद्यपि सर्वेक्षण पूर कर लिया गया था, किन्तु योजना की लागत प्रति हेक्टेयर अधिक होने से शासन द्वारा अमान्य कर दिया गया।

1. पांढुर्णा विकास खण्ड की जाटलापुर एंव सियाकुंड जलाशय जिससे 251 हेक्टेयर्स में सिंचाई संभावित है अभी विचाराधीन है।
2. बिछुआ तथा सौंसर विकास खण्ड की ढूंडा सिवनी, छोड़े बोरगाँव, गोडी बड़ोना, तिनखेड़ा, देनी, बिसनपुर, जाखीवाड़ा, लोहांगी वियर, मोहपानी वियर जलाशयों की योजना, जिससे 2070 हेक्टेयर्स में सिंचाई संभावित है अभी विचाराधीन या प्रकरण प्रस्तुत करने का कार्य प्रगति पर है।
3. चौरई विकास खण्ड में अम्बा बोह जलाशय योजना, जिससे 554 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता रूपांकित की गई है, अभी विचाराधीन है। जबकि चोरतरी, पटियापोला, नागझिर, पाटला जंगली माल, निशानजानाजी जलाशय योजना, जिससे 752 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता अपेक्षित की गयी थी, शासन द्वारा प्रति हेक्टेयर्स लागत अधिक होने से अमान्य कर दी गयी है।
4. अमरवाड़ा एवं चौरई विकास खण्ड में कलकोटी, सीदम बतरी जलाशय तथा अकलमा, स्टापडेम के अलावा विकला वियर, सिमरिया कला वियर, कासघाट वियर, जिससे 2380 हेक्टेयर्स में सिंचाई क्षमता अपेक्षित है अभी प्रकरण की तैयारी या प्रारंभिक अवस्था में है।
5. अमरवाड़ा विकास खण्ड के पथरकटी, पिपरियाभारती, लहगडुआ, बरघाना, बंकी, बोरी, पिपरिया भानु, गुटेरा जलाशय, जिससे 1101 हेक्टेयर्स कृषि भूमि सिंचाई क्षमता अपेक्षित है कभी योजना अभी प्रारंभिक अवस्था में है।
6. जुन्नारदेव एवं तामिया विकास खण्ड की घोड़ापाड़ी, खटुआढाना, जलाशय योजना तथा छिन्दी कामथ, बंधी एवं रामपुर स्टाप डेम योजना जिससे 270 हेक्टेयर्स की सिंचाई क्षमता अपेक्षित है योजना अपनी प्रारंभिक अवस्था में है।
7. परासिया विकास खण्ड में पिडरई, ढाला, चिखली, स्टापडेम/वियर, जिनसे 178 हेक्टेयर्स भूमि सिंचाई क्षमता अपेक्षित है प्रति हेक्टेयर्स लागत अधिक होने से योजना शासन द्वारा अमान्य कर दी गई है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. गुडे डब्ल्यू जे.एण्ड स्केट्स पी. 1960 ऐन इन्ट्रोडक्शन टू सोसल रिसर्च, ऐनिजल एण्ड सट्टन हाउस, (प्रा.लि.), नई दिल्ली पृ. 310
2. मध्यप्रदेश संदर्भ 2012 प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टैंगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 31
3. मध्यप्रदेश ''आज और कल'' प्रकाशक रामभुवन सिंह कुशवाह, अरूणा कुशवाह, प्रियंका ऑफसेट 25 प्रेस काम्पलेक्स, भोपाल पृष्ठ सं. 53
4. अवस्थी मध्यप्रदेश प्रदेश प्रशासन, हिन्दीग्रंथ अकादमी, भोपाल, पृष्ठ सं. 26
5. मध्यप्रदेश संदेश, अंक 9 सितम्बर 2012, पृष्ठ सं. 21
6. मध्यप्रदेश संदर्भ 2012 प्रकाशक आयुक्त जनसंपर्क जनसंपर्क भवन टैंगोर मार्ग, भोपाल, पृष्ठ सं. 58

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

राजस्थान के जयपुर जिले (अध्ययन क्षेत्र) का विश्लेषणात्मक

रितु वैश्य (शोधार्थी)
डॉ. मिनी अमित अरवतिया
निदेशक, अनुसंधान और विकास निदेशालय, ज्योति विद्यापीठ वूमेन्स विश्वविद्यालय, जयपुर (राज.)

पर्यटन के लिहाज से जयपुर भारत के सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से हैं। राजस्थान में स्थित इस शहर को महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने 18 नवम्बर 1727 को स्थापित किया था। जयपुर प्राकृतिक सौंदर्य के साथ महान इतिहास की भी धरती हैं। इसका पर्यटन उद्योग बहुत ही समृद्ध हैं। गुलाबी शहर के नाम से मशहूर यह शहर राजस्थान की राजधानी भी हैं। हवाई, सड़क और रेल के मजबूत नेटवर्क के चलते यह दुनिया भर के कई हिस्सों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ हैं।

जयपुर के महल देशी और विदेशी सैलानियों के पसंदीदा स्थान है। जयपुर के कई पुराने और उपेक्षित महल और किले अब हेरिटेज होटल में तब्दील किए जा चुके है। जयपुर के सेवा क्षेत्र की प्रतिष्ठा उसके पर्यटन, रियल स्टेट, बीमा और होटल उद्योग से हैं।

जयपुर राजस्थान में शिक्षा का केन्द्र हैं। इस भाहर में प्रतिष्ठित कॉलेज हैं जो दुनिया भर के छात्रों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। व्यवसायिक डिग्री के अलावा जयपुर में ऐसे कई कॉलेज हैं जो आर्ट्स, कॉमर्स और विज्ञान में डिग्री मुहैया कराते हैं। जयपुर के कई कॉलेज अपने शैक्षिक इतिहास और सुविधाओं के लिऐ जाने जाते हैं। कुछ प्रमुख कॉलेजों में सत्य साई महिला कॉलेज, श्री खंडेलवाल वैश्य कॉलेज, वैदिक कन्या कॉलेज, शासकीय महाराजा आचार्य संस्कृत कॉलेज, बियानी कॉलेज, भारत लॉ कॉलेज आदि अन्य हैं।

जयपुर का सड़क नेटवर्क सबसे अच्छी तरह से सहेजा गया सड़क नेटवर्क है। भारत के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से इस शहर तक आसानी से पहुचा जा सकता है। हवाई, सड़क और रेल के माध्यम से जयपुर उत्कृष्ट तौर पर सबसे जुड़ा हुआ है। इस शहर का रेल्वे स्टेशन और एयरपोर्ट राज्य में प्रवेश के प्रमुख केन्द्र है। जयपुर की यात्रा इसलिए भी और आसान हैं क्योंकि यह भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल हैं।

जयपुर का भारत के सभी महानगरों और शहरों से शानदार हवाई संपर्क हैं। जयपुर एयरपोर्ट मुख्य शहर से 13 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ज्यादातर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं जयपुर के लिए और जयपुर से उड़ाने भरती है। दिल्ली और मुंबई से जयपुर के लिए नियमित उड़ाने मिलती हैं। जयपुर से शारजाह और मस्कट के लिए नियमित रूप से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने उपलब्ध हैं।

जयपुर रेल्वे स्टेशन राजस्थान का मुख्य स्टेशन है। भारत के ज्यादातर शहर और कस्बे जयपुर से जुड़े हैं। बड़ी संख्या में रेलें रोजाना जयपुर से और जयपुर से लिए चलती हैं जयपुर की कुछ महत्वपूर्ण रेल हैं। शताब्दी, मंडारे एक्सप्रेस, जम्मू तवी एक्सप्रेस, आश्रम एक्सप्रेस, अहमदाबाद मेल, इबादत एक्सप्रेस आदि।

जयपुर गुलाबी शहर के नाम से मशहूर हैं जो कि पश्चिमी भारत के राजस्थान राज्य की राजधानी हैं। जयपुर जिले का कुल क्षेत्र 11,117 वर्ग किलोमीटर हैं जिसका औसत जनसंख्या घनत्व 470 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार जयपुर की आबादी 6626178 हैं। इसमें ग्रामीण और शहरी जनसंख्या बराबर हैं। जयपुर जिला राजस्थान के पूर्वी भाग में है। यह उत्तर की ओर से सीकर और हरियाणा राज्य के महेन्द्रगढ़ से घिरा हैं। इसके दक्षिण में टोंक जिला, पूर्व में सवाई माधोपुर और दौसा जिले हैं। राज्य की राजधानी होने के नाते जयपुर में विधान सभा भी हैं। इस जिले में 13 तहसील और उपतहसील हैं जिनके नाम जयपुर, चोमू, आमेर, सांगानेर, शाहपुर, बस्सी, चाकसू, मोजमाबाद, जामवा रामगढ़, फागी, फुलेरा, कोटपुतली, विराटनगर हैं, साथ ही यहां 13 पंचायत समितियां और 2369 गावं हैं।

राजस्थान में होने के कारण जयपुर की जलवायु शुष्क हैं। गर्मियों में जयपुर का मौसम बहुत गर्म और सर्दियों में बहुत ठंडा रहता हैं। जयपुर में तीन मौसम प्रमुख हैं, गमी, सर्दी और मानसून। गर्मियां अक्सर अप्रैल से जुलाई अंत तक रहती हैं। गर्मियों में तापमान आमतौर पर 30 डिग्री से 45 डिग्री रहता है। मानसून जुलाई से आता है, पर आमतौर पर जून से शुरू हो जाता हैं। इस शहर में सालभर में 650 मिलीमीटर बरसात होती हैं। जयपुर का मानसून

आमतौर पर भारी बरसात वाला होता हैं और इसमें लगातार बारिश के साथ गरज भी होती हैं। यहां घूमने आने का सबसे अच्छ समय सर्दियों का होता हैं। इस शहर में सर्दिया नवम्बर से शुरू हो जाती हैं। इस दौरान यहां का तापमान 15–18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता हैं। यहां की सर्दियां सुहावनी होती है और शीतलहर नहीं होती, ना ही चरम ठंड होती हैं। जयपुर के लिए उड़ाने सांगानेर हवाई अड्डे पर उतरती हैं। 2006 में सांगानेर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिला था और यह भारत का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था। जयपुर के घरेलू हवाई अड्डे पर खाने पीने के कई स्थान, शॉपिंग सेंटर और मेडिकल सुविधा केन्द्र हैं। कई घरेलू उड़ाने नियमित रूप से जयपुर से उड़ती हैं। जयपुर से दिल्ली, मुंबई और अहमदाबाद के लिए लगभग हर दिन उड़ाने उपलब्ध हैं। जयपुर से कुछ लोकप्रिय उड़ानों में इंडियन एयरलाइंस, एयर–सहारा, स्पाइस जेट, एयर डेक्कन किंगफिशर एयरलाइंस, एलायंस एयर, गो एयर और जेट एयरवेज हैं।

जयपुर के शाही शहर में पूरे साल कई त्यौहार भरपूर उत्साह से मनाए जाते हैं। जयपुर में कई त्यौहार होते हैं। यह मेले और त्यौहार जयपुर की पहचान का अभिन्न हिस्सा हैं।

जयपुर दिल्ली से 260 किलोमीटर और आगरा से 240 किलोमीटर हैं और यह ''गोल्डन टूरिस्ट सर्किट'' का हिस्सा है। इस शहर में दुनिया भर से हजारो सैलानी आकर्षण से खिंचे चले आते हैं। जयपुर तब अस्तित्व में आया जब महाराजा सवाई जय सिंह ने इस खूबसूरत शहर की स्थापना 1727 में की। जयपुर में कई शाही राजवंशों का उदय हुआ और यह उस समय का महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केन्द्र भी रहा।

जयपुर राजस्थान के पूर्वी भाग में स्थित हैं। जयपुर अपनी सीमा उत्तर की ओर से सीकर और अलवर से साझा करता हैं और इसके दक्षिण में टोंक, अलवर और सवाई माधोपुर और पूर्व में दौसा और भरतपुर और पश्चिम में नागौर, सीकर और अजमेर हैं। बुनियादी ढांचा जयपुर हवाई, सड़क और रेल के मजबूत नेटवर्क के चलते भारत के कई हिस्सों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ हैं।

शोध के उद्देश्य :– प्रस्तुत शोध अध्ययन महिला सशक्तिकरण में उद्यमिता की भूमिका का अध्ययन (जयपुर में कुटीर उद्योग के संदर्भ में) की मुख्य धारा से पृथक है, जिनकी विशिष्ट पहचान है। अध्ययन में अध्ययन क्षेत्र, अध्ययन के उद्देश्यों तथा परीक्षणार्थ परिकल्पनाओं का निर्माण कर लेने के पश्चात्, अध्ययनकर्ता के समक्ष सबसे प्रमुख तथा जटिल समस्या निदर्शितों का चयन करने की होती है जो कि शोध कार्य की आधारशिला होती है। यह आधारशिला जितनी स्पष्ट तथा सुदृढ़ होगी, अध्ययन के परिणाम, उतने ही अधिक मौलिक, वस्तुनिष्ठ, सार्थक, विश्वसनीय, वैद्व तथा परिशुद्ध होगे; क्योंकि एक निदर्शन, किसी समूह का वह लघु किन्तु प्रतिनिधिक अंश होता है जिसमें उस समूह के समस्त गुण–धर्म विद्यमान होते है। निदर्शन प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं निम्नवत् है, जिनकी वजह से अध्ययन की इकाईयों के चुनने के लिये निदर्शन पद्धति को चुना गया है :–

1. निदर्शन पद्धति द्वारा चुनी गयी इकाईयां, समग्र के समस्त गुण धर्मो का प्रतिनिधित्व करती है।
2. समग्र की इकाईयों की तुलना में निदर्शन इकाईयां संख्या (आकार) में सीमित तथा कम होती है क्योंकि समग्र की इकाईयों में से ही कुछ प्रतिशत इकाईयां चुन कर अध्ययन सम्पादित किया जाता है।
3. निदर्शन पद्धति, मिथ्या झुकाव तथा पक्षपात से रहित होती है।
4. कुछ ही चयनित इकईयों से अध्ययन पूर्ण किया जा सकता है अतः समय धन तथा श्रम कम अपव्यय होता है।
5. निदर्शन एक वैज्ञानिक पद्धति है जो कि तर्क पर आधारित होती है।

शोधार्थी ने उपर्युक्त विशेषताओं के कारण निदर्शन प्रणाली का चयन किया है न कि संगणना पद्धति का। सामाजिक शोध अध्ययनों में इकाईयों के चयन में निदर्शन की भूमिका अहम् व अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है क्योंकि निष्कर्षो की वैज्ञानिक परिशुद्धता चयनित प्रतिनिधि निर्देश पर ही निर्भर करती है। इसलिए यह आधारशिला जितनी सुदृढ़ होगी; अनुसंधान के परिणाम उतने ही वैज्ञानिक, तार्किक, मौलिक, परिशुद्ध तथ्यपरक तथा विश्वसनीय होंगे। किन्तु अनुसंधान के सम्पादन हेतु निदर्श इकाईयों का चयन करना स्वयं में एक जटिल समस्या होती है क्योंकि

निदर्शन के चयन की कई एक पद्धतियां है। प्रस्तुत शोध समस्या के अध्ययनार्थ निदर्षित चयन करना यद्यपि यह एक जटिल समस्या रही है।

प्रस्तुत शोध अध्ययन महिला सशक्तिकरण में उद्दीमता की भूमिका का अध्ययन (जयपुर में कुटीर उद्योग के संदर्भ में) में कार्य को ध्यान में रखकर शोध के निम्न उद्देश्य को रखा गया हैं। जिसमें अध्ययन का उद्देश्य निम्नानुसार हैं –

1. महिलाओं का शैक्षिक स्तर, सामाजिक संरचना, आर्थिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. महिलाओं को लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से उपलब्ध कराये गये शासन स्तर की योजनाओं का अध्ययन करना।
3. महिला सशक्तिकरण विभाग के माध्यम से किये गये सहयोग का अध्ययन करना।
4. लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से महिलाओं में जागरूकता आ रही हैं या नहीं इसका अध्ययन करना।
5. जयपुर जिले में लघु एवं कुटीर उद्योगों के माध्यम से व्यक्तिगत जीवन में लाये बदलाव का अध्ययन करना।

परिकल्पनाएं :– सामान्यतः अनुसंधान हेतु निर्मित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अध्ययनकर्ता को परिकल्पनाये निर्मित करनी होती है। अध्ययन के अन्तिम सोपान में इन परिकल्पनाओं की सत्यता तथा सार्थकता का परीक्षण करके निष्कर्ष उद्घाटित (स्थापित) किये जाते है, जिसे सिद्धान्तीकरण कहते है। अध्ययनकर्ता ने भी कतिपय परिकल्पनाएँ निर्मित की है अनुसंधान कार्य हेतु यह परमावश्यक होता है कि सर्वप्रथम ''परिकल्पनाएँ'' शब्द की अवधारणा स्पष्ट कर ली जाए। सामान्यतः शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से परिकल्पना (परि+कल्पना) दो शब्दों का योग है जिनके अर्थ क्रमशः ''चारों'' ओर तथा ''विचार या चिन्तन करना'' है अर्थात अध्ययन समस्या के सन्दर्भ में एक सामान्य अनुमान के आधार पर विचार करना। इस प्रकार एक शोधकर्ता अनुसंधान कार्य आरम्भ करने के पूर्व ही अध्ययन की समस्या के विभिन्न पक्षों तथा उद्देश्यों से सम्बन्धित कुछ सामान्य अनुमान लगा लेता है, जिसका उद्देश्य अध्ययन के लिए एक निश्चित दिशा निर्धारित करना होता है ताकि अध्ययनकर्ता इधर–उधर निरर्थक न भटक कर सुनिश्चित आधार पर सम्बन्धित आकड़े एकत्रित करता है।

इस प्रकार परिकल्पनाएँ अध्ययनकर्ता को उचित दिशा प्रदान करते हुए मार्ग दर्शक बनकर उसे गन्तव्य तक पहुँचाती है। इसी प्रसंग में सर्वश्री गुडे एण्ड हाट ने लिखा है कि– ''परिकल्पना; सिद्धान्त और शोध के बीच की एक आवश्यक कड़ी होती है जो नवीन तथ्यो के सम्बन्ध में अतिरिक्त ज्ञान की खोज करने में सहायक होती है।'' स्पष्टतः परिकल्पनाएं, अनुसंधान के लिए एक ऐसा आवश्यक आधार प्रस्तुत करती है; जिसकी सहायता से नवीन तथ्यों को खोजा जाता है।

किसी भी शोध को केन्द्रित करने के लिये परिकल्पनाओं का सहारा लेना आवश्यक है, जिससे शोध को दिशा निर्देश दिया जा सके। प्रस्तुत अध्ययन को वैज्ञानिक आधार पर निर्देशित दिशा की ओर ले जाने हेतु कुछ उपकल्पनाओं (पूर्वानुमानित निष्कर्षो) का निर्माण किया गया है और इन्हीं उपकल्पनाओं को (निष्कर्ष को) उत्तरदाताओं की सहायता से वैज्ञानिक आधार पर प्रमाणीकृत करने की चेष्टा की गयी है।

उपकल्पना वैज्ञानिक अनुसंधान का अत्यंत महत्वपूर्ण चरण है। शोध या अनुसंधान शुरू करने से पहले अनुसंधान के कारणों और परिणामों के बारे में शोधकर्ता जो एक निश्चित अवधारणा बना लेता है, उसे ही उपकल्पना या प्राक्कल्पना कहते है।

'प्राक्कल्पना' शब्द दो शब्दों का योग है– प्रा (अर्थात् प्राम्भिक)+ कल्पना (अर्थात–विचार)। इस प्रकार प्राक्कल्पना अनुसंधान विषय के संबंध में प्रारंभिक विचार है।

परिभाषा :–

पी.वी. यंग–''एक कार्यवाहक विचार, बनता है, कार्यवाहक उपकल्पना माना जाता है।''

लुण्डबर्ग–''प्राक्कल्पना एक काल्पनिक सामान्यीकरण है जिसकी प्रामाणिकता की जाँच करना अभी शेष है। प्रारम्भिक स्तर पर एक प्राक्कल्पना प्रतिभा, अनुमान काल्पनिक विचार या सहज ज्ञान हो सकता है जो क्रिया या शोध का आधार बन सकता है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट हो जाता है कि प्राक्कल्पना एक काल्पनिक प्रस्तावना या विचार है जो

सामाजिक तथ्यों एवं घटनाओं की खोज करने एवं विभिन्न चरों में कार्यकरण संबंधो का पता लगाने का आधार बनती है।

अनुसंधान के लिये परिकल्पना का निर्धारण करना होता हैं। परिकल्पना समस्या के रूप में मनःपटल पर उठने वाले प्रश्न होते है जिसके आधार पर निष्कर्षो को प्राप्त किया जाता हैं। अतः शोध अध्ययन हेतु निम्नलिखित परिकल्पनाओं का निर्धारिण किया गया हैं–

1). आधुनिक समाज में महिलाओं के द्वारा उनकी आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक स्थिति को सुधारने के लिए किये गये नवीन लघु एवं कुटीर उद्योगों में क्या परिवर्तन आया हैं।
2). लघु एवं कुटीर उद्योग के माध्यम से इनकी सामाजिक स्थिति में जागरूकता आ रही हैं या नहीं इसका अध्ययन करना।
3). महिलाओं को कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए शासन द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनायें इनकी समस्याओं को प्रभावित करती हैं।
4). जयपुर जिले में विभिन्न समाजों में महिलाओं को सशक्त करने के लिए स्थानीय सरकार द्वारा समय–समय पर किये जाने वाली योजनाओं का उपयोग महिलाओं तक पहुॅच पा रहा हैं या नहीं, इसका अवलोकन करना।
5). जयपुर जिले में महिलाओं के द्वारा स्थापित लघु एवं कुटीर उद्योगों के द्वारा शासकीय योजनाओं का प्रभाव का अध्ययन करना।

संदर्भ ग्रंथ :–

1) शर्मा ब्रह्मदेव, आदिवासी स्वशासन प्रकाशन संस्थान नईदिल्ली
2) श्रीवास्तव आर.एन., सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविधि म.प्र. हिन्दीग्रंथ अकादमी, भोपाल पृ.स. 261, 63
3) बघेल डी.एस. एवं किरण : अनुसंधान पद्धतिशास्त्र कैलाश पुस्तक सदन, भोपाल पृ. 510
4) चौबे रमेश : सामाजिक अनुसंधान तथा शोध प्रविधि हिन्दी ग्रंथ अकादमी भोपाल पृ.स. 232
5) सिंह एस.डी. : वैज्ञानिक सामाजिक अनुसंधान एवं सर्वेक्षण के मूलतत्व कमल प्रकाशन दिल्ली पृ. सं 28

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

सिवनी जिले का सामान्य परिचय

डॉ. अरविन्द्र कुमार चौरसिया (निर्देशक)
प्राध्यापक, शासकीय पी. जी. कॉलेज सिवनी (म.प्र.)
मनेन्द्र सिंह सिहोसे (शोधार्थी)

भारत का हृदय स्थल मध्यप्रदेश जहाँ पर विकास का एकमात्र साधन पंचायती राज संस्था है मध्यप्रदेश के अंतर्गत 50 जिला, 352 तहसील, 313 विकासखण्ड, 50 जिला पंचायत, 313 जनपद पंचायत, 23006 ग्राम पचायंत, एवं कुल ग्राम 54903 है।

जिला सिवनी वर्तमान स्वरूप में 1 नवम्बर 1956 को मध्यप्रदेश के पुर्नगठन के समय स्थापित हुआ था। इससे पूर्व सिवनी को ब्रिटिश शासन काल में सन् 1931 में छिंदवाड़ा जिले की एक तहसील के रूप में मान्यता दी गई थी सिवनी जिले के नामकरण के संबंध में दो धारणायें प्रचलित हैं। प्रथम धारणा के अनुसार जिले का यह नाम 'सेवन' वृक्षों की अधिकता के कारण पड़ा है तथा दूसरी धारणा के अनुसार इस जिले का नाम आल्हा की पत्नी ''सोनारानी'' के नाम पर रखा गया है इसके अतिरिक्त धारणा है कि यहॉ एक प्राचीन शिव मंदिर है, इस कारण से इस जिले का नाम ''शिवपणी'' पड़ा है, हो सकता है वही नाम अपभ्रंश होते–होते ''सिवनी'' के नाम से प्रचलित हो गया हो। भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश की प्रशासनिक और राजनैतिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने उद्देश्य के से राज्य पुर्नगठन हेतु एक पुर्नगठन आयोग स्थापित किया गया इसी आयोग में पुर्नगठित मध्यप्रदेश में सिवनी और लखनादौन तहसील को छिंदवाड़ा जिले से अलग करके जबलपुर संभाग के अंतर्गत एक पृथक जिले के रूप में मान्यता प्रदान की गई। भारत की "हृदय स्थली" मध्यप्रदेश राज्य के दक्षिण पूर्वी भाग में, सतपुड़ा अंचल की उच्च भूमि पर सिवनी जिला स्थित है। जिले को वर्तमान स्वरूप मध्यप्रदेश के गठन के साथ ही 1 नवंबर 1956 को प्राप्त हुआ। सिवनी जिला मूल रूप से पहाड़ों एवं जंगलों से घिरा हुआ आदिवासी बहुल क्षेत्र है। यहां निवासरत आदिवासियों में गोंड जनजाति की संख्या सर्वाधिक है। जिला इमारती लकड़ी के संसाधन में धनी क्षेत्र है। जिले के छपारा विकासखण्ड में भीमगढ़ बाँध निर्मित है, जो ''एशिया का लार्जेस्ट मड डेम'' के नाम से जाना जाता है। पर्यटन का आकर्षण केन्द्र ''पेंच टाईगर रिजर्व'' है सिवनी जिला समस्त भारत में सीताफल के लिए प्रसिद्ध है।

आदिवासी बाहुल्य जिला सिवनी मध्यप्रदेश का प्रमुख क्षेत्र है। सिवनी की भौगोलिक स्थिति 21°36′ अंक्षाश से 22°57′ उत्तरी अंक्षाश एवं 79°9′ देशान्तर से 80°17′ पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। सिवनी जिला का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8758 वर्ग कि.मी. है, जो समुद्रतल से 619 मीटर की ऊंचाई पर बसा है। जिसके उत्तर में जबलपुर और दक्षिण में नागपुर है। यह जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है यहॉ पर कुल आठ जनपद एवं कुल 645 ग्राम पंचायते एवं इन ग्राम पंचायतों के अंतर्गत 1599 गांव है। सिवनी जिले की 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 13,79,131 है। जिनमें 6,95,879 पुरूष एवं 6,83,252 महिला जनसंख्या है। भारत का हृदय स्थल मध्यप्रदेश जहॉ पर विकास का एकमात्र साधन पंचायती राज संस्था है। जहॉ से लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमेशा इनसे अधिकतर सेवाएं की मांग करते है। यहॉ पर पंचायती राज संस्था एक ऐसा सशक्त माध्यम है जिनसे लोग जुड़ें हैं। पंचायती राज संस्था ग्रामीण विकास विभाग का सबसे प्रथम सोपान है।

सिवनी जिले को एकीकृत कार्ययोजना और अनुसूचित क्षेत्र भी घोषित किया गया है। इतनी बड़ी कार्ययोजना के माध्यम से इस क्षेत्र के विकास के लिए अन्य मदों का भी विशेष प्रावधान किया गया है ताकि विकास तेजी से हो सके। किन्तु सही मायने में विकास नही हो पाने के कारण निर्धनता, बेरोजगारी, जनजागरूकता का अभाव, शासकीय योजना की अनभिज्ञता आदि समस्याऍ एवं चुनोतियां है। शासन द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं का एक गहन अध्ययन हो सके, जिसमें प्रबंधन के कुशल आयाम एवं आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ता का सही पहचान हो सके।

अतः उपर्युक्त शोध विषय पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति एवं प्रबंधन का अध्ययन सिवनी जिले के विशेष संदर्भ में विषय अन्तर्गत पंचायती

राज संस्था की विगत वर्षों में योजनाओं, बजट एवं आय–व्यय स्थिति का विश्लेषणात्मक कर अध्ययन किया जावेगा।

मनरेगा, आई.ए.पी. (एकीकृत कार्ययोजना), पंचपरमेश्वर, मूलभूत, 12, 13 एवं 14 वित्त, सांसद, विधायक निधि, मर्यादा अभियान, इंदिरा आवास, बी.आर. जी.एफ., पेंशन, परफारमेन्स ग्रांट फंड एवं अन्य स्थानीय मदों का अध्ययन आय एवं व्यय के पर्याप्त कारण एवं विकास की गति इन निधियों की उपलब्धता का विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जावेगा।

जिला सिवनी की स्थिति 21°36′ से 22° 57′ उत्तरी अक्षांश तथा 79°19′ से 80° 17′ पूर्वी देशांन्तर है। जिले का आकार बहुत विषमता लिए हुए है। दक्षिण की ओर संकरा तथा उत्तर की ओर अपेक्षाकृत चौड़ा है। जिले की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 153 किलोमीटर है, तथा चौड़ाई 69 किलोमीटर है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 8758 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सिवनी जिला प्रदेश में 24वें स्थान पर है। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 619 मीटर है। सिवनी जिला जबलपुर संभाग में स्थित है। यह जिला पाँच जिलों से घिरा हुआ है। इसके उत्तर में जबलपुर जिला स्थित है, उत्तर – पूर्व में मंडला जिला, उत्तर पश्चिम में नरसिंहपुर जिला, दक्षिण पूर्व में बालाघाट जिला तथा दक्षिण पश्चिम में छिंदवाड़ा जिला स्थित है। जिले के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य के दो जिले नागपुर एवं भण्डारा स्थित हैं। जिले में 6 तहसील (सिवनी, कुरई, लखनादौन, घंसौर, केवलारी एवं बरघाट) तथा 8 विकासखण्ड (सिवनी, कुरई, लखनादौन, घंसौर, छपारा, केवलारी, धनोरा एवं बरघाट) हैं। (मानचित्र क्र. 3.1) जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार जिले में कुल 1612 ग्राम हैं, जिसमें 1585 आबाद ग्राम हैं तथा 27 वीरान ग्राम हैं। जिले में कुल ग्रामों में 36 वन ग्राम हैं। सिवनी जिले में तीन नगरपालिका (सिवनी, लखनादौन तथा बरघाट) 8 जनपद पंचायत एवं 645 ग्राम पंचायत हैं।

प्राकृतिक पृष्ठभूमि :– सिवनी जिला म.प्र. के दक्षिण पूर्व में स्थित है यह सतपुड़ा पठार पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 सिवनी नगर के मध्य से गुजरता है। यह जिला उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में सकरा है जिले का फैलाव 21.36 अंश से 22.57 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 79.19 अंश से 80.17 अंश पूर्वी देशांश तक है। जिले की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 138 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई लगभग 69 किलोमीटर है जिले का कुल क्षेत्रफल 8758 वर्ग किलोमीटर है इसकी सीमायें पश्चिम में छिंदवाड़ा उत्तर पश्चिम में नरसिंहपुर, उत्तर पूर्व में मंडला, उत्तर में जबलपुर, पूर्व में बालाघाट, दक्षिण–पूर्व में भंडारा (महाराष्ट्र) तथा दक्षिण में नागपुर (महाराष्ट्र) को स्पर्श करती है। इस प्रकार सिवनी जिला महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के मध्य संबंधों को सुचारू बनाने में सेतु जैसी भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

नदिया एवं पर्वत :– बैनगंगा नदी जिले की मुख्य नदी है यह दक्षिण में सिवनी मुख्यालय से 16 कि.मी. दूर ग्राम मुंडारा (परतापुर) से निकलकर उत्तर पूर्व की ओर बहती हुई जिले के मध्यग्राम छपारा के पास जबलपुर नागपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.7 को पार करती हुई पूर्व की ओर थावर नदी के संगम पर एक प्राकृतिक दृश्य उपस्थित करती है।

इसके अतिरिक्त इस जिले में हिर्री एवं सागर नदियां, सोनार, टेनूर तथा पेंच नदी भी गुजरती है। जिले के उत्तरी, मध्य और दक्षिण भाग में पहाड़िया फैली हुई है। इन्हीं पहाड़ियॉ के मध्य लखनादौन और सिवनी के छोटे–छोटे मैदानी भाग हैं। इसके अतिरिक्त उत्तरी भाग में सेलुआ घाटी और कलमुखी पहाड़ियॉ पूर्व में गुरेरा पहाड़ियॉ मध्य भाग में करिया पहाड़ तथा उनकी शाखायें पश्चिम में मनोरी पहाड़ दक्षिण में कुरई व इसकी शाखायें तथा पूर्व में काला भीमसेन पहाड़ क्वारी पहाड़ी महादेव पहाड़ी इत्यादि जिले भर में फैली हुई है।

समुद्र सतह से ऊँचाई :– सिवनी जिले की समुद्र सतह से सामान्य ऊॅचाई लगभग 619 मीटर है। सिवनी तहसील के उत्तर–पश्चिम में मनोरी पहाड़ की ऊॅचाई 838 मीटर तथा करिया पहाड़ की ऊॅचाई 725 मीटर है जिले में सबसे अधिक जिले में सबसे अधिक ऊॅचाई मनौरी पहाड़ की है जिले के पूर्व की और समुद्र सतह से धरातल की ऊॅचाई क्रमशः घटती जाती है रूखड़ से दखिण लखनादौन से उत्तर की और भी ऊॅचाई घटती जाती है केवलारी तथा कान्हीवाड़ा के पास ऊॅचाई लगभग 400 मीटर है तथा घंसौर के पास पिपारिया कला नामक स्थान और भी नीचा है समुद्र सतह से इस स्थान की ऊॅचाई करीब 180 मीटर है। जिले का सबसे ऊंचा स्थान मनौरी पहाड़ तथा सबसे नीचा स्थान पिपारिया कला नामक स्थान है। तहसील की दृष्टि से देखा जाये तो जिले की दो तहसीलों सिवनी और

लखनादौन की समुद्र सतह से सामान्य ऊँचाई क्रमशः 510 मीटर और 550 मीटर है।

सिवनी जिला म.प्र. के दक्षिण पूर्व में स्थित है यह सतपुड़ा पठार पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक–7 सिवनी नगर के मध्य से गुजरता है। यह जिला उत्तर में चौड़ा और दक्षिण में सकरा है जिले का फैलाव 21.36 अंश से 22.57 अंश उत्तरी अक्षांश तथा 79.19 अंश से 80.17 अंश पूर्वी देशांश तक है। जिले की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई लगभग 138 कि.मी. तथा पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई लगभग 69 किलोमीटर है जिले का कुल क्षेत्रफल 8758 वर्ग किलोमीटर है इसकी सीमायें पश्चिम में छिंदवाड़ा उत्तर पश्चिम में नरसिंहपुर, उत्तर पूर्व में मंडला, उत्तर में जबलपुर, पूर्व में बालाघाट, दक्षिण–पूर्व में भंडारा (महाराष्ट्र) तथा दक्षिण में नागपुर (महाराष्ट्र) को स्पर्श करती है। इस प्रकार सिवनी जिला महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश के मध्य संबंधों को सुचारू बनाने में सेतु जैसी भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

वर्षा तापमान :– मध्यप्रदेश के अन्य जिलों की अपेक्षा सिवनी जिले का प्राकृतिक वातावरण अर्थात् जलवायु बेहद सुखद एवं स्वास्थ्यप्रद है। जिले का 36 प्रतिशत् भाग वनों से आच्छादित होने के कारण यहां की जलवायु समशीतोष्ण कहीं जाती है। जिले में ग्रीष्म ऋतु का प्रभाव नवम्बर से फरवरी माह तक रहता है। लेकिन यहां न तो कभी कड़ाके ठंड ही पड़ती है और नहीं कभी भीषण गर्मी। जिले में अधिकतम तापक्रम 45 डिग्री सेल्शियस मई माह में तथा न्यूनतम तापक्रम 7 डिग्री सेल्शियस जनवरी माह में रहता है। उत्तरी और पूर्वी भाग में 140 से.मी. से अधिक और दक्षिण भाग में 140 से.मी. से कम वर्षा होती है। जुलाई व अगस्त माह में सर्वाधिक वर्षा रिकार्ड की जाती है। पिछले 10 वर्षों में सिवनी जिले में रिकार्ड की गई वर्षा मि.मी. में इस प्रकार रही।

सिवनी जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 875401 हेक्टेयर है, जिसमें वन भूमि 328481 हेक्टेयर, अकृष्ट भूमि 60,221 हेक्टेयर, कृषि योग्य भूमि 40,912 हेक्टेयर, पड़ती भूमि 52947 तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 3,72,317 हेक्टेयर है। सर्वाधिक क्षेत्रफल सिवनी विकासखंड का 128659 हेक्टेयर है, जिसमें वन भूमि का 4,714 हेक्टेयर, कृषि योग्य भूमि 7730 हेक्टेयर, पड़ती भूमि 8689 हेक्टेयर तथा इसका शुद्ध बोया गया क्षेत्र 88124 हेक्टेयर है, इस विकासखंड में वन भूमि उपयोग अन्य विकासखंडों की तुलना में कम है। क्षेत्रफल की दृष्टि से लखनादौन विकासखंड का सबसे कम क्षेत्रफल है, जो 33726 हेक्टेयर है, यहां वन भूमि 15192 हेक्टयर पर है, जो जिले में सर्वाधिक है तथा अकृष्ट भूमि 8,876 हेक्टेयर, कृषि योग्य भूमि 7,122 हेक्टेयर, पड़ती भूमि 1,567 तथा शुद्ध बोया गया क्षेत्र 61,890 हेक्टेयर है।

संदर्भ सूची :–

1. म.प्र. के आर्थिक सर्वेक्षण सांख्यिकीय संचालनालय म.प्र.।
2. म.प्र. की पंचवर्षीय योजनाएँ– आर्थिक योजनाएं एवं सांख्यिकी विभाग म.प्र. भोपाल।
3. योजना पत्रिका–सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय पटियाला हाउस, नई दिल्ली।
4. अर्थव्यवस्था अवलोकन – धनकड़ पब्लिकेशन मेरठ।
5. प्रतियोगिता दर्पण मासिक – उपकार प्रकाशन आगरा।
6. नीति मार्ग मासिक – पंचायत एवं ग्राम विकास संचालक जयंत वर्मा।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

शिशु मृत्यु मध्यप्रदेश के संदर्भ में विश्लेषणात्मक अध्ययन

सपना जामेनर

शिशु मृत्यु का अर्थ होता है गर्भ में शिशु की हत्या (गर्भपात)। यह प्रक्रिया अनायास होती है और जानबूझकर भी की जाती है जानबूझकर किए गए गर्भपात को प्रेरित गर्भपात कहा जाता है। आधुनिक युग में गर्भपात के लिए दवा या सर्जरी का उपयोग किया जाता है। विकसित देशों में गर्भपात कानूनी अनुमति दी जाती है। भारत जैसे विकासशील देश में आज भी बेटियों को अभिशाप माना जाता है। इसी का प्रतिफल है कि एक हजार पुरूष पर 910 महिलाएं है।

गर्भस्थ शिशु की जांच करने हेतु सोनोग्रॉफी सेंटर पर इशारों–इशारों में बता दिया जाता है कि गर्भ में पलने वाला शिशु नर है अथवा मादा। प्राचीन काल में गर्भपात के लिए आयुर्वेदिक दवाओं, तेज उपकरण या अन्य पांरपरिक तरीकों का उपयोग किया जाता था। गर्भपात कानून और गर्भपात की संस्कृति धार्मिक क्षेत्रों में दूनिया भर में अलग–अलग है। जो लोग गर्भपात के खिलाफ है वह एक भ्रूण के जीवित रहने के लिए अधिकार मांग रहे हैं। प्रेरित गर्भपात के अंतर्गत वैद्यता भी है। गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए भी गर्भपात किया जाता है। जिससे महिला के भाारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान को रोका जा सके, यह महिला के अनुरोध पर भी किया जाता है।

भ्रूण के गुणसूत्रों की जानकारी प्राप्तकर किया गया गर्भपात, अमानवीय तथा विधि के नियम विरूद्ध है। कन्या को पालने–पोशने उसकी अस्मितता की रक्षा करने और जवान होने पर भारी दहेज देकर उसका विवाह करने से बचने के लिए आजकल लोग कन्या जन्म को अभिशाप मानने लगे हैं और इस अभिशाप से बचने के लिए वे कन्या भ्रूण को मां की कोख में ही हत्या कर देते है।

कन्या भ्रूण का गर्भपात कराना, कानून में अपराध घोषित कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग ने 2 जुलाई 1995 के परिपत्र के अनुसार 3 माह से अधिक माह के भ्रूण का गर्भपात एमटीपी एक्ट के तहत आता है और भारतीय दण्ड संहिता की धारा 312 और 313 के तहत यह एक गंभीर दण्डनीय अपराध है इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार ने भ्रूण परीक्षण के बढ़ते दुरूपयोग को देखते हुए भ्रूण की लिंग जांच 'जनवरी 1996' से गैर कानूनी कर दी है।

परन्तु आज इन कानूनों को ताक में रखकर लिंग परीक्षण कराना एक आम बात बन गई है। स्त्री चाहे ग्रामीण हो या नगरीय शिक्षित हो या अशिक्षित सभी में अल्ट्रा साउण्ड के माध्यम से लिंग की जांच की जिज्ञासा बनी रहती है और जब भ्रूण लिंग परीक्षण के द्वारा ज्ञात होता है कि गर्भस्थ शिशु कन्या है तब तुरंत उसका गर्भपात करा दिया जाता है समाज में निरंतर ऐसी अमानवीय घटना घट रही है। हमारे मानस पटल पर ऐसे अनेक प्रश्न आए कि ऐसा क्यों होता है क्या लड़की होना पाप है वे कौन सी परिस्थिति या मजबूरी है जिसके तहत एक अबोध अजन्मी कन्या का वध मां के गर्भ में ही करा दिया जाता है।

लिंगानुपात एक सामाजिक अवधारणा है। इसका मतलब सिर्फ स्त्री–पुरूष अनुपात समझना या कहना हमारी भूल हो सकती है। इस सामाजिक अवधारणा को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझना होगा। आज स्त्रियों का अनुपात पुरूषों की संख्या में कम होना चिंतनीय विषय है।

इतिहास गवाह है कि वैदिक युग में समाज में महिलाओं का स्थान पुरूषों की बराबरी का था कोई भी सामाजिक धार्मिक, अध्यात्मिक, रचनात्मक कार्य बगैर महिलाओं की गैर मौजूदगी से सम्पन्न नहीं होता था। समाज में मिले महिलाओं के उच्च स्थान के फलस्वरूप कहा गया है कि 'जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी।' विवाह, हवन, आहुति, पूजन–पाठ, मंदिरों में प्रवेश यहां तक कि ऋषि–मुनियों के आश्रम में महिलाओं को प्रवेश की पात्रता थी। सीता, सावित्री आदि अनेक नारियां आज भी आदर्श नारियों के रूप में मान्य है।

लेकिन बाद के कालों में स्त्रियां परतंत्र निःसहाय एवं निर्बल मानी जाने लगी। धर्म और संस्कृति की रक्षा के नाम पर उन पर अनेक प्रतिबंध लगाये गए और उनकी स्थिति को और अधिक निम्न कर दिया गया लेकिन जैसे–जैसे विकास होता गया उनकी स्थिति में सुधार आना प्रारंभ हुआ। लेकिन आज भी कई कुप्रथाएं समाज में विद्यमान है उनमें से एक है कन्या

भ्रूण हत्या। प्राचीन समय से ही कन्याओं की उत्पन्न होते ही हत्या कर दी जाती थी इसलिए लिंगानुपात असमानता भारत में हमेशा से विद्यमान रही है।

मध्यकाल में परिस्थितियां बदलती गई और समाज ने करवट ली और पुरूष प्रधान समाज की रचना कर डाली। मौजूदा युग में नारी इस प्रकार चारदीवारी को लांघकर आगे तो बढ़ी लेकिन अपने अस्तित्व के खतरे को साथ लेकर। बालिका भ्रूण हत्या जैसे घिनौने अत्याचार उस पर शुरू हो गए। परिवार में लड़कियों का पैदा होना अभिशाप माना जाने लगा। स्वतंत्रता के 6 दशक से ज्यादा वक्त बीत चुका है और महिला सुरक्षा, समानता का अधिकार हिंसा के कानूनों के बन जाने के बाद भी नारी अपने अस्तित्व की रक्षा नहीं कर पाई है। नारी की कोख में ही नारी का कत्ल बड़ी निर्ममता से हो रहा है। संतान के रूप में स्त्री–पुरूष अनुपात साल दर साल घटता जा रहा है।

संतान के रूप में बेटियां किसी सर्द मौसम की गुनगुनी धुप के अहसास से कम नहीं होती है। बेटियों में हमें मिलती है भविष्य की एक मां, बहन या पत्नि। एक ऐसी नारी जो समाज परिवार, समाज व देश को सुशिक्षित, संस्कारवान और सुसंस्कृत बनाती है। हमारे देश में बेटियां होने का मतलब दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी भी है ऐसे में विज्ञान के नए आविष्कार उसके अस्तित्व को निरंतर बौना करते जा रहे है।

देश के सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय सुनाते हुए वेदों का उदाहरण देते हुए कहा है कि ''किसी का जीवन लेना केवल अपराध नहीं पाप भी है'' यह भी कहा कि ''गर्भाधान के समय से ही भ्रूण को एक मानव जीवन माना जाता है।'' महात्मा गांधी के कथन को दोहराते हुए उन्होनें यह भी कहा कि ''जीवन केवल भगवान ही ले सकता है'' एक वही जीवन देने वाला है हर छोटे बड़े प्राणी को जीने का पूर्ण अधिकार है। किसी का जीवन नष्ट करने का अधिकार किसी को भी नहीं है। न किसी मां–बाप को अपनी जीती–जागती संतान की हत्या करने या करवाने की छूट विश्व के किसी धर्म ने प्रदान की है।

गर्भ में लिंग की जांच और फिर कन्या भ्रूण हत्या के कारण दिन प्रतिदिन कम होती स्त्रियों की संख्या से समाज में चिंताजनक स्थिति निर्मित हो चुकी है। किन्तु कोई ये नहीं सोच पा रहा है कि बेटी नहीं होगी तो ये संसार कब तक चलेगा। बेटी है तो समाज है, घर है क्योंकि बेटी एक नहीं दो–दो परिवार का मान बढ़ाती है।

महिला एंव बाल विकास की रिपोर्ट के अनुसार पिछले एक दशक में लिंग असमानता में कमी दर्ज की गई है 22 जनवरी 2010 की जारी रिपोर्ट कें अनुसार यह सुधार अखिल भारतीय स्तर के साथ विभिन्न राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में समग्र रूप से आया है जिसमें देश की राजधानी दिल्ली सबसे उपर है। लिंग अधिकारिता उपाय की गणना राजनैतिक भागीदारी, आर्थिक सहभागिता निर्णय लेने की शक्ति एवं महिलाओं की आर्थिक संसाधन के आधार पर की जाती है।

रिपोर्ट के अनुसार लिंग अधिकारिता उपाय अखिल भारतीय स्तर पर 1996 में 0.416 अंक से बढ़कर 0.497 हो गया। वर्ष 2006 में देश के 14 राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 0.485 अंक हासिल किए, जबकि वर्ष 1996 में मात्र 2 ही थीं। गोवा व केरल ऐसे दो राज्य है जिन्होनें वर्ष 1996 और 2006 दोनों में ही 0.485 अंक हासिल किए थे वर्ष 2006 में राश्ट्रीय राजधानी दिल्ली का अंक 0.546 है और उनमे तीन पदों से वृद्धि के बाद शीर्ष स्थान कर लिया है। दूसरी ओर नागालैण्ड ने वर्ष 1996 व 2006 में दोनों में ही क्रमशः 0.165 और 0.289 अंकों के साथ लिंग अधिकारिता उपाय में सबसे नीचे स्तर पर बना हुआ है। 13 राज्यों ने अपनी रैंक में सुधार किया है जबकि 19 राज्यों में उनकी पहले की रैंक में गिरावट दर्ज की है नवगठित राज्य झारखण्ड और उत्तरांचल में क्रमशः 0.157 और 0. 132 अंकों के लाभ के साथ स्थिति में सुधार किया और दोनों ही छठवी रैंक पर पहुंच गए जबकि उत्तर प्रदेश और बिहार में अपनी पहले की स्थिति में क्रमशः 0.118 और 0.101 अंकों का मामूली सुधार किया है। छत्तीसगढ़ ने म.प्र. के 0.058 का सुधार किया है हालांकि सबसे अधिक लिंग अधिकारिता का उपाय का लाभ जम्मू कश्मीर, केरल, म.प्र. मणिपुर, राजस्थान, तमिलनाडू, त्रिपुरा, चण्डीगढ़ और लक्षद्वीप को हुआ है।

मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) लिंग विकास सूचकांक (जी.डी.आई.) लिंग अधिकारिता उपाय द्वारा राज्यों और संघ शासित प्रदेशों कें आर्थिक विकास जीवन की बेहतर गुणवत्ता प्रदान करने हेतु किए गए उपाय का पता चलता है। भारत का एच.डी. आई स्कोर वर्ष 1996 और 2006 में क्रमशः 0.530 और 0.605 अंक था वर्ष 2006 के लिए एच.डी.आई. चण्डीगढ़

के लिए सर्वाधिक 0.784 अंक और बिहार के लिए सबसे कम 0.507 का रहा। भारत के लिए वर्ष 2006 में जी.डी. आई. 0.509 अंक है जबकि 1996 में यह 0.514 था। राज्यों के स्तर पर 2006 में सबसे अधिक जी.डी.आई 0. 763 चण्डीगढ़ का था जबकि सबसे कम 0.479 रहा।

गर्भपात होने के कारण शारीरिक ही नहीं, मनोवैज्ञानिक या मानसिक कारण भी होते है अत्याधिक चिंता मानसिक आघात, शोक, आत्मग्लानि, किसी प्रियजन की मृत्यु से बार–बार फूटकर रोने दिल दहलने से, पति के जीवन भर की कमाई चोरी होने पर या लूट जाने से गंभीर सोच विचार या भयंकर घायल हुए व्यक्ति को देखकर दिल दहल जाने आदि कारणों से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते है।

भारत के नर नारी अनुपात के आंकड़ों को देखने पर यह ज्ञात हुआ कि भारत में सदैव ही स्त्रियों का जनसंख्यात्मक अनुपात से अपेक्षाकृत कम ही रहा है। कुछ वर्षों से भारत में नर–नारी अनुपात में स्त्रियों की संख्या लगातार कम होती जा रही है जिससे प्राकृतिक संतुलन डगमगा उठा है ये धरती भ्रूण लिंग हत्यारों का बोझ सहते–सहते आखिर कब तक भ्रूण परीक्षण के बहाने भ्रूण लिंग हत्या होती रहेगी। कब तक अस्वस्थ नारी की संज्ञा देकर कन्याओं को मौत के घाट उतारा जाएगा। ऐसी परिस्थितियों पर नियंत्रण रखने के लिए तथा प्राकृतिक संतुलन बनाये रखने के लिए केन्द्रीय सरकार ने अल्ट्रासाउण्ड (भ्रूण लिंग परीक्षण) एवं भ्रूण हत्या (गर्भपात) पर रोक लगा दी। कुछ विशेष परिस्थितियों में अल्ट्रासाउण्ड एवं गर्भपात कराने की अनुमति दी गई है जिसे हम भ्रूण परीक्षण कानून एवं गर्भपात कानून के नाम से जानते है।

अवैध गर्भपात रोकने व महिलाओं के स्वास्थ्य एवं सुरक्षित गर्भपात की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सन् 1971 में एक अधिनियम पारित किया गया था इस कानून का नाम एम.टी.पी. (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) अधिनियम 1971 रखा गया। इस अधिनियम के अनुसार इस बात का कठोर निर्देश दिया गया कि गर्भपात सरकारी अस्पतालों या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त चिकित्सा केन्द्रों पर की किया जा सकता है परंतु भारतीय समाज की ये सबसे बड़ी त्रासदी है कि तमाम कानूनी प्रावधानों को ताक में रखकर अयोग्य अकुशल नीम, हकीम, चिकित्सकों की सहायता से गर्भपात कराये जाते है।

केन्द्रीय सरकार ने भ्रूण लिंग परीक्षण के बढ़ते हुए दुरूपयोग को देखते हुए भ्रूण की लिंग जांच को अवैध घोषित कर दिया है गर्भस्थ शिशु (भ्रूण) लिंग की जांच के लिए अल्ट्रासोनोग्रॉफी, एम्यूनिसेंटेसीस टेस्ट आदि जैसे प्रसव पूर्व निदान तकनीक का प्रयोग करना और भ्रूण के लिंग संबंधित जानकारी देना 1 जनवरी 1996 से गैर कानूनी है।

भारतीय दण्ड संहिता के तहत भ्रूण लिंग परीक्षण कानून की स्थापना की गई जिसके अंतर्गत अलग–अलग धाराओं जैसे धारा 4 के अनुसार भ्रूण लिंग परीक्षण के दुरूपयोग के संबंध में इस धारा के तहत अन्य जांच (लिंग निर्धारण के अलावा) की जा सकती है। बशर्ते महिला की उम्र 35 वर्ष से अधिक हो। दो या दो से अधिक बार गर्भपात हो गया है, मानसिक रोग की परिवार में परंपरा हो। धारा 5 के अनुसार गर्भवती महिला की लिखित सहमति होना अनिवार्य है। धारा 22 के अनुसार लिंग के परीक्षण संबंधित प्रावधानों में कहा गया है कि लिंग परीक्षण के बारे में किसी प्रकार का विज्ञापन नहीं दिया जा सकता है विज्ञापन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। धारा 24 के अनुसार महिला को पति या अन्य संबंधि को लिंग परीक्षण करवाने के लिए विवश किया गया है तो ऐसे व्यक्ति को अपराध करने के लिए दण्डित किया जाएगा।

राज्य में निरंतर घटते लिंगानुपात को रोकने के लिए सरकार ने भ्रूण परीक्षण की सूचना देने पर पुरस्कार राशि के पहले 10 हजार से दस गुना बढ़ाकर 1 लाख रूपये कर दी है। ध्यान रहे कि भ्रूण लिंग परीक्षण और लिंग आधारित गर्भपात रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 1996 में पीसी एंड पीएनडीटी अधिनियम लागू किया था इसके उल्लंघन करने वाले व्यक्ति की सूचना देने वाले को 10 हजार रूपये के इनाम का प्रावधान किया गया था।

राज्य सरकार के द्वारा इसे बढ़ाकर किये गए 1 लाख रूपये में से सूचना देने वाले को प्रथम चरण में 50 हजार रूपये तथा दूसरे चरण में दोषी व्यक्ति के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही के बाद 50 हजार रूपये दिये जाने की व्यवस्था है। पुरस्कार प्राप्त करने के लिए शिकायतकर्ता को कुछ साक्ष्य भी प्रस्तुत करने पड़ेगें जिनकी पुष्टि जिला और राज्य स्तर पर गठित एक विशेष समिति करेगी। इसके साथ ही सरकार ने इस संबंध में स्टिंग ऑपरेशन को भी साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया है। इसमें ट्रेप विटनेस

की भूमिका निभाने वाली महिला की भूमिका को भी मान्यता प्रदान की जायेगी। बिना कैमरे और रिकार्डर के भी स्टिंग ऑपरेशन किया जा सकता है परन्तु ऐसी स्थिति में समुचित प्राधिकारी का उपस्थित रहना आव यक होगा। इस प्रकार से जो साक्ष्य उपलब्ध कराये जायेगें उससे भी पुरस्कार प्रदान किया जायेगा।

सैद्धांतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो गर्भ गिराने वाली दवाओं को एक बोलिक्स कहते है। इस प्रकार की दवाएं गर्भाशय में उत्तेजना उत्पन्न करके संकुचन पैदा करती है। बंद या रूके प्रदर को जारी करने वाली दवा को प्रदरान्तक कहते है ये दवायें गर्भाशय में उत्तेजना उत्पन्न करके प्रदर जारी कर देती है और इसके साथ ही भ्रूण को बाहर निकालने में भी सहायता करती है। अंग्रेजी में गर्भपात को एबार्शन कहते है। ''36 या 37 हफ्तों से पहले जो गर्भ गिरा दिया जाए उसे गर्भपात कहते है।

हमारे समाज में आज ममता, वात्सल्य, स्नेह जैसे शब्द वास्तव में अर्थ खो चुके है। जो कभी भारत के प्राणों के स्पंद हुआ करते थे। परंतु आज स्थिति इसके विपरीत है दुर्भाग्यवश आज ममता, वात्सल्य की साक्षात प्रतिमा मानी जाने वाली स्वयं नारी ने क्रूरता का रूप धारण कर लिया है आज जन्म देने वाली मां ही संहारक बन गई है सृष्टि के सृजन में सहायक स्त्रियां आज बेझिझक अपने गर्भ में पल रहे उस अंजान अजन्में शिशु की हत्या कर देती है जिसने अभी संसार ही नहीं देखा।

वर्तमान में कितनें ही बच्चों की गर्भ में ही हत्या कर दी जाती है क्योंकि माता–पिता लड़की को नहीं चाहते है। पत्नि को ऐसा कुकृत्य करने के लिए पति अथवा परिवार के सदस्यों के निर्णय के सामने झुकना पड़ता है और वह मजबूर होकर ऐसा कुकृत्य कर बैठती है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1) अंतर्राष्ट्रीय विधि एवं मानव अधिकार : डॉ. अग्रवाल एच.ओ., सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी 2006

2) मानवाधिकार विधि : मिश्र ओम प्रकाश, जबलपुर लॉ पब्लिकेशन 2007

3) महिला एवं बाल कानून : डॉ. बाबेल बसन्तीलाल, सेन्ट्रल लॉ एजेन्सी

4) गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक अधिनियम : बेयरऐक्ट, खेत्रपाल लॉ पब्लिकेशन

5) गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम : बेयरऐक्ट, खेत्रपाल लॉ पब्लिकेशन

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

कपिल धारा योजना का ग्रामीण विकास पर संभावित प्रभाव

डॉ. ओ.पी. टपा (निर्देशक)
प्राध्यापक, शा. रानी दुर्गावती स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मंडला (म.प्र.)
मुकेश कारतिके (शोधार्थी)

कपिल धारा योजना के द्वारा ग्रामीण विकास को प्रोत्साहन मिला। इसके अंतर्गत द्विफसलीय क्षेत्र में वृद्धि, कृषि योग्य भूमि का विस्तार, सिंचाई से उत्पादन में वृद्वि पड़त भूमि में कमी, कृषि विकास, सिंचित भूमि के क्षेत्रफल में वृद्धि, सिंचाई के निजी स्त्रोंतो का विकास एवं सिंचित फसलों के उत्पादन को बढ़ावा मिला हैं। कपिलधारा योजना मुख्य रूप से कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ कर ग्रामीण विकास को गति प्रदान की हैं। कपिलधारा योजना उसके उपभोक्ताओं के बीच जल का अभिवर्धन तथा जल के वितरण को सुनिश्चित कर सिंचाई प्रणाली का पर्याप्त रख–रखाव करना, कृषि उत्पादों की वृद्धि के लिये जल का दक्षतापूर्ण एवं मितव्ययी उपयोग एवं कृषकों को शामिल करते हुए उनमें स्वामित्व की भावना पैदा कर सुनिश्चित लक्ष्य प्राप्त कर ग्रामीण विकास को बढ़ावा दिया जा रहा हैं।

भारतीय अर्थव्यवस्था बहुतायत ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर आधारित है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आय का स्त्रोत कृषि तथा कृषि आधारित उद्योगों से भी है। परिणामस्वरूप अर्थव्यवस्था में गरीबी के लक्षण पाये जाते हैं। जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में पायी जाने वाली बेराजगारी है। जिसे दूर करने हेतु भारत सरकार के द्वारा रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी दूर करने हेतु सरकारी योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संचालन एवं क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कार्यक्रम लोगों को 100 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराकर निर्धनता को कम करने का प्रयास कियसा जा रहा है। जो कि अतिमहत्वपूर्ण विषय है। इस विषय को लेकर पूर्व में उल्लेखित हीरवे 2005, गेहा राघव, जायसवाल, शर्मा एवं अन्य जयति घोष द्वारा प्रस्तुत शोध कार्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के क्षेत्र में विश्वसनीय दस्तावेज कहे जा सकते है। उपयुक्त शोध कार्य मेरे वर्तमान शोध विषय के पहलु से संबंधित है। मैं अपने शोध कार्य के रूप में कपिलधारा योजना का ग्रामीण विकास पर प्रभाव (मंडला जिले के विशेष संदर्भ में) को शोध विषय हेतु चुना है। जिसके अंतर्गत कृषको लाभ का व्यवसाय बनाने का प्रयास किया जा रहा है। कपिलधारा योजन के अंतर्गत कृषि उत्पादन में सुनिश्चितता बनाए रखने व कृषकों की आजीविका में सुधार के उद्देश्य से संचालित की गयी हैं योजना के अंतर्गत हितग्राही परिवार को कृषि भूमि पर सिंचाई हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना में ऐसे हितग्राही परिवार का चयन किया जाता है। जिसके स्वामित्व वाली कृषि भूमि में जल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं होता इस योजना में नवीन कुओं के निर्माण भू–जल, पुनर्भरण, खेत–तालाब, स्टाप डेम, मैसेनरी डेम, लघु–तालाब निर्माण आदि के द्वारा कृषकों को लाभान्वित किया जाता है। जिसके गुणात्मक परिणाम दिखाई नहीं दे रहे है, यह एक गंभीर समस्या है। इसलिए मैने अपने शोध कार्य हेतु अपना शीर्षक कपिलधारा योजना का ग्रामीण विकास पर प्रभाव मण्डला जिले के संदर्भ में चुना हैं।

प्रस्तुत शोध अध्ययन कपिलधारा योजना का ग्रामीण विकास पर प्रभाव :– मंडला जिले के विशेष संदर्भ में, मनरेगा के अंतर्गत कपिलधारा योजनापर कार्य किया जायेगा। इस अध्याय में मंडला जिले के चयनित कुल कपिलधारा योजनान्तर्गत लाभार्थी हितग्राहियों में से 320 परिवारों का चयन कर शोधार्थी के द्वारा यह जानने का प्रयास किया गया की मनरेगा के अंतर्गत कपिलधारा योजना के द्वारा ग्रामीण स्तर पर संभावित प्रभाव की जानकारी को ज्ञात करना हैं। इस योजना का प्रभाव ग्रामीण विकास में कितना योगदान है। इस योजना के ग्रामीण जीवन में बदलाव आया हैं। उनके आय के स्त्रोत में बदलाव आया हैं। वहाँ के निवासियों को रोजगार प्राप्त हुआ हैं, और अगर रोजगार प्राप्त हुआ है तो कितने प्रतिशत में रोजगार प्राप्त हुआ है। इस योजना के अंतर्गत जिन कृषकों के खेत में कुओं का निर्माण किया गया हैं, उन कुओं व तालाबों के माध्यम से आस पास के लोगों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई हैं या नहीं, वहॉ की मिट्टी की उर्वरा क्षमता का विकास हुआ हैं या नहीं। वहाँ पर स्थित कृषक एक साल भर में कितनी बार खेती करते हैं, उनकी आमदानी में कितना परिवर्तन आया है, इस योजना के

द्वारा ऐसे कितने गरीब परिवार हैं जिनको महात्मा गांधी मनरेगा की कपिलधारा योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त हुआ हैं यह भी जानने का प्रयास शोधार्थी के द्वारा किया गया हैं। शोधार्थी के द्वारा यह भी जानने का प्रयास किया गया हैं कि इस योजना के पहले उस ग्रामीण की स्थिति कैसी थी और जब ये योजना शुरू होने के बाद अब उस ग्राम की स्थिति कैसी हैं यह भी जानने का प्रयास किया गया हैं। इस योजना के द्वारा निम्न स्तर से उठकर क्या कृषक उच्च स्तर पर पहुचने में मदद मिली हैं। इस बात को ध्यान में रखकर इस अध्याय को पूर्ण किया जायेगा। एक एकड़ तक के भू–धारकों को ''कुंआ–खेत, तालाब'' का संयुक्त लाभ ग्रामीणों को मिल रहा हैं या नहीं। इस योजना में हितग्राहियों का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया गया हैं। इसमें पहली प्राथमिकता विधवा एवं परित्यक्ता महिला, अनुसूचित जाति/जनजति को तथा इसके बाद अन्य भू–धारकों को योजना का लाभ मिला है या नहीं इस बात को ध्यान में रखकर शोध को पूर्ण किया जायेगा। जिन भू–धारकों को सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं उन्हें इस योजना का लाभ कितने स्तर पर मिला हैं इससे संबंधित शोधार्थी द्वारा अध्ययन क्षेत्र में जाकर जानकारी को प्राप्त किया जायेगा। खेत तालाब का निर्माण के बाद कृषक की स्थिति अब कैसी हैं। अब उसके पास सिंचाई की स्थिति कैसी हैं, उसकी स्थिति में परिवर्तन के बारे में जानकारी एकत्रित की जायेगी। कपिलधारा योजना में खेत तालाब और कुंआ के निर्माण के समय निकलने वाली मिट्टी का उपयोग कृषको के द्वारा कहाँ किया गया, क्या उस मिट्टी का उपयोग उन्होने अपने खेत को व्यवस्थित करने में किया गया हैं। खेत को समतल बनाने मेढ़ बंधान में किया किया गया हैं नही।

शोधार्थी द्वारा इस योजना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर, जिले स्तर पर, विकासखण्ड स्तर पर क्या प्रभाव दिखाई दिया हैं। इसकी भी जानकारी एकत्रित की गई हैं, आने वाले समय में इस योजना का और कितना प्रभाव हो सकता हैं, इसको भी जानने का प्रयास किया गया हैं।

शोधार्थी द्वारा अध्ययन के उद्देश्यों के संबंध में जानकारी एकत्र करने हेतु प्रश्नावली के द्वारा प्रश्न तैयार करके शोध अध्ययन क्षेत्र में जाकर सहज एवं सरल भाषा में उत्तरदाताओं से प्रश्न पुछे गये। जिससे की शोधार्थी को मुख्यतः संख्यात्मक आँकड़ो को इकट्ठा करने में आसानी हुई। जिससे की कपिलधारा योजना के विभिन्न पहलू पर जानकारी प्राप्त करने में आसानी हुई है। इसके अतिरिक्त इस प्रश्नावली के माध्यम से व्यक्तिगत जानकारी को इकट्ठा किया गया जिससे की लाभार्थियों में आपसी भिन्नता का इस योजना के प्रभावों को देखा गया है।

कपिल धारा योजना का प्रभाव के अध्ययन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना द्वारा अधिकतर मंडला जिले विकासखण्डों के ग्राम स्तर पर इस योजना का सफल बनाने के लिए उत्तरदाताओं की ओर से सकारात्मक प्रयास उभरकर आये हैं। इस जिले में कर्मचारियों की कमी होने के बावजूद उपयोजना की पहुॅच लगभग सभी गॉवों तक है। विभाग द्वारा योजना की पहुॅच तथा जानकारी बढ़ाने हेतु कई सार्थक कदम उठाये गये हैं। जैसे बैंको द्वारा मजदूरी का भुगतान एवं जानकारियों का कम्पयुटरीकृत करना। अध्ययन के दौरान यह पाया गया कि कपिल धारा योजना का क्रियान्वयन उपरांत कृषि के लिए पानी की उपलब्धता अधिकतर मंडला जिले में बढ़ी है। इस योजना के कारण कृषि पैदावार तो बढ़ी है है साथ ही साथ लाईव–स्टॉक और उद्यानिकी पर भी इसके सकारात्मक प्रभाव देखने में आए है। इस योजना के कारण रोजगार के नये विकल्प भी लाभार्थियों को उपलब्ध हुए है। सिंचाई में लगने वाली विभिन्न लागतों जैसे बिजली, पाईप, डीजल इत्यादि में भी काफी कमी आई है। इस योजना के चलते लाभार्थियों की आय में वृद्धि पाई गई है। इस योजना के अंतर्गत निर्मित संरचनाओं के कारण मंडला जिले के विकासखण्डों में अब ज्यादा से ज्यादा पड़त भूमि पर भी कृषि एवं उद्यानिकी करना संभव हो पाया है। कपिल धारा योजना का विस्तार मंडला जिले के अंदरूनी गांव तथा सीमान्त किसानों तक देखा गया है। इस योजना अंतर्गत ज्यादा से ज्यादा लाभ गरीबी रेखा से नीचे के किसानों को दिया गया है। इस योजना के विभिन्न पहलुओं के क्रियान्वयन के लिए समय–सीमा संबंधित स्पष्ट निर्देश के अभाव में मंडला जिले के कुछ विकासखण्डों के विभिन्न गांवों में लाभार्थियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। कपिल धारा योजना में कुओं के साथ पुर्नभरण संरचनाओं के निर्माण की जो अपेक्षाऐं इस योजना के अंतर्गत की गई थी, किंतु यह प्रक्रिया मंडला जिले के कुछ विकासखण्डों के गांवों में अपेक्षाकृत कमजोर पाई गई। कुछ संरचनाओं में बाउण्ड्री वाल का निर्माण नहीं हुआ था तथा अधिकांश संरचनाओं में पुनर्भरण को लेकर अपेक्षाकृत सफलता

नहीं मिल पाई। यहां तक की आधे से ज्यादा मंडला जिले के विकासखण्ड में पुर्नभरण संरचनाओं को बन्द पाया गया। इस योजना के अंतर्गत सिर्फ कुँओ का निर्माण किया जा रहा है जो पूर्ण रूप से भू–जल पर निर्भर है ओर जिन गांवों में भू–जल का स्तर कम हैं वहां या तो कुँओ में पानी ही नहीं रहता है या जल्दी सूख जाता है। कपिल धारा योजना के आवंटन के साथ ही लाभार्थियों को अन्य योजनाओं के अंतर्गत पम्प का आवंटन और कृषि हेतु सामग्री जैसे – बीज, उर्वरक इत्यादि का भी वितरण किया जाना चाहिए था जो कि संभव नहीं हो सका। इस योजना के सुधार के संबंध में लाभार्थियों ने अनुदान राशि का पूर्ण रूप से और समय पर भुगतान न होना भी एक बड़ी समस्या के रूप में निकलकर सामने आया।

यद्यपि जल की अपेक्षाकृत कमी वाले कुछ क्षेत्रों को छोड़कर मूलतः जल संसाधनों से संपन्न है फिर भी जल की सामान्य तौर पर उपलब्धता को लेकर समस्या बनी रहती है। सिंचाई जल की उपलब्धता को लेकर किसानों को सदैव समस्याओं से जूझना पड़ता है। उक्त समस्याओं के समाधान हेतु मंडला जिले में सिंचाई सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कपिल धारा योजना का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा हैं।

कपिल धारा योजना के अंतर्गत सिंचाई सुविधा विहीन एवं केवल वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता अथवा कमी के कारण कृषि उत्पादन पर पड़ने वाले प्रतिकुल प्रभावों की रोकथाम के लिए शुरू की गई। जिससे उन क्षेत्रों में जहॉ अपेक्षाकृत पिछड़े परन्तु जागरूक कृषक जिनके पास समुचित कृषि भूमि है ओर जो कृषि हेतु अधोसंरचनात्मक व्यवस्थाओं जुटाने में सक्षम है, को सिंचाई हेतु पानी का कारगर स्त्रोत उपलब्ध कराया जाये जिससे कृषि उत्पादन में सुनिश्चिता और कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार संभव है। इसी परिप्रेक्ष्य में ऐसी कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंडला जिले के कई विकासखण्डों में कपिलधारा योजना का क्रियान्वयन सही व व्यवस्थित तरीके से हो रहा हैं।

वर्षा आधारित एवं सिंचाई सुविधा विहीन कृषि क्षेत्रों में वर्षा की अनियमितता अथवा कमी के कारण कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत पिछड़े परन्तु जागरूक कृषक जो समुचित कृषि भूमि धारित करते हैं जो कृषि हेतु अधोसंरचनात्मक व्यवस्थायें जुटाने में सक्षम है, यदि उनकी कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पानी का कारगर स्त्रोत उपलब्ध करा दिया जाये तो कृषि उत्पादन में सुनिश्चियता तथा ऐसे कृषकों की आजीविका में गुणात्मक सुधार संभव है। इस परिप्रेक्ष्य में कृषि भूमि हेतु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य हेतु ''कपिल धारा'' योजना का आयोजन व क्रियान्वयन किया गया हैं।

शोधार्थी के द्वारा अध्ययन के परिणामों से ज्ञात हुआ हैं कि जिन लोगों के पास कपिल धारा निर्मित कुंए हैं उनके पास पानी की उपलब्धता वर्षा के अधिकतर महीनों में रहती है। कुओं की प्राप्ति के उपरांत लाभार्थियों में वर्ष के चारों तिमाही में पानी की उपलब्धता पाई गई जो कि कपिल धारा द्वारा निर्मित कुओं से पहले काफी कम थी। यह तथ्य कपिल धारा द्वारा लाभार्थियों के जीवन में एक अत्यंत प्रभावी एवं सकारात्मक पहलू के रूप में उभरकर आया।

सामान्यतः कपिल धारा कुओं का प्रभाव मंडला जिले के सभ विकासखण्डों में उत्पादन क्षमता बढ़ने की दिशा में सकारात्मक रहा। मंडला जिले में सम्मिलित रूप से लगभग 77 प्रतिशत लाभार्थियों का मानना था कि कपिल धारा द्वारा निर्मित कुओं से वर्ष के अधिकतर समय सिंचाई की उपलब्धता रहने के कारण पैदावार की गुणवत्ता एवं उत्पादन पर सकारात्म प्रभाव पड़ा हैं।

मंडला जिले के अधिकतर विकासखण्डों में अधिकतर (80 प्रतिशत) लाभार्थियों का मानना था कि इस योजना के बाद खेती में लगने वाली विभिन्न लागतों (जैसे की बिजली, पाईप, डीजल तथा रख–रखाव) में कमी आई है। लोगों का कहना था कि कपिल धारा द्वारा निर्मित कुओं के कारण नदी–नालों या तालाबों से पानी लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे पाईप और उसके रख–रखाव की लागत में कमी आई है।

शोधार्थी के द्वारा प्राप्त सर्वे के अध्ययन के आधार पर परिणामों के आधार पर यह भी विदित हुआ कि कपिल धारा योजना के उपरांत भूमि की उपयोगिता एवं भूमि के इस्तेमाल में अंतर आया है। लाभार्थियों के साथ हुई विभिन्न सामुहिक चर्चाओं में यह बात निकलकर आई कि कुंओं के कारण सिंचाई की उपलब्धता होने से भूमि पहले से अधिक उपजाऊ हुई है, तथा पैदावार भी बढ़ी है। सिंचाई के पानी की उपलब्धता के कारण अब पड़त भूमि को खेती के लिए प्रयोग किया जाने लगा हैं।

मंडला जिले के विभिन्न विकासखण्डों के विभिन्न गावों के किसानों से इस योजना से प्राप्त लाभार्थियों से इस योजना के कारण उपलब्ध जल से उनके जीवन के अन्य पक्षों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। जैसे सामान्यतः पशुपालन, उद्यानिकी इत्यादि क्षेत्रों में लाभार्थियों किसानों का मानना था कि इसके कारण इन लोगों को रोजगार के नए अवसर मिले है। सभी विकासखण्डों में खेती के अलावा भी अन्य रोजगार के स्त्रोत मुहैया हुए है, जिसके कारण लाभार्थियेां की आय में वृद्धि हुई हैं।

कपिलधारा योजना का सकारात्मक प्रभाव विशेषकर उद्यानिकी पर देखने को मिला है। लाभार्थियेां का मानना था कि उद्यानिकी का क्षेत्र, गुणवत्ता एवं उत्पादन सिंचाई की उपलब्धता के कारण बढ़ा है। अब लोग कृषि के अतिरिक्त उद्यानिकी भी कर रहे हैं।

नई तकनीकों एवं आधुनिकीकरण के उपयोग से कपिल धारा योजना से कृषि उत्पादन और उत्पादकता में जो असाधारण वृद्धि हुई है, उससे यह आशा बँधती है कि इस योजना के उपयोग से कृषि उत्पादकता में वृद्धि हो सकती है। कपिल धारा योजना के माध्यम से नई तकनीक एवं आधुनिकीकरण को बड़े पैमाने पर लागू करने हेतु सिंचाई का आकार बड़ा हैं। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कपिल धारा योजना में सिंचाई के क्षैत्र में नई तकनीक और आधुनिकीकरण को अपनाने में कई कठिनाईयाँ उपस्थित होती है, लेकिन हमको जितना कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण आर्थिक और तकनीकी रूप से संभव है, उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।

कृषि कार्य के लिए सिंचाई के पम्पसेटों जो चाहे डीजल से चलाए जाए या बिजली से, का प्रयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त ट्यूबवैल भी अधिक मात्रा में लगाए गए है। इस प्रकार कृशि में सिंचाई का प्रतिस्थान संचालन शक्ति द्वारा किया गया है जिससे प्रति हेक्टेयर कृषि क्षेत्र उपभोग बढ़ा है।

सिंचाई के माध्यम से कृषि में रासायनिक खाद, ट्रेक्टर, हारवेस्टर्स, टिलर्स, थ्रेशर्स, पम्पिंग सेट, डीजल इन्जन आदि की पूर्ति इनकी मांग की तुलना में कम है। रासायनिक खाद के प्रयोग के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन भारत में सार्वजनिक सिंचाई प्रणाली पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था करने में असफल रही है। कुएँ से सिंचाई की स्थिति भी अधिक अच्छी नहीं है। इसी प्रकार रासायनिक खाद की पूर्ति के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है तथा इनके आयात में अनेक प्रकार की कठिनाईयाँ उपस्थित होती है। फार्म मशीनरी की उपलब्धि भी अपर्याप्त है। जिससे की मंडला जिले के स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध हुये हैं।

कृषि उत्पादन में सिंचाई का वही महत्व है जो हमारे जीवन में पेयजल का है। बिना सिंचाई के कृषि उत्पादन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। यद्यपि वर्तमान में कृषि बीजों की ऐसी प्रजातियाँ उपलब्ध है जो कम सिंचाई में भी भरपूर उत्पादन प्रदान करती है।

जिन क्षेत्रों में सिंचाई आदि की यथेष्ट सुविधाएँ उपलब्ध हैं तथा जहाँ कृषि विकास की सम्भावनाएँ अधिक है, उन क्षेत्रों में कृषि विकास के प्रयत्नों को और बड़े पैमाने पर जारी किया जायें। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में इसी तरह से हुई। तीसरी योजना के अंतिम चार वर्षों में किये गये अनुसंधानों तथा परीक्षण से विभिन्न प्रकार के बीजों का मिश्रण कर संकर बीज तैयार किये गये हैं इन बीजों के प्रयोग से उत्पादन में आशातीत वृद्धि की जा सकती है। इन बीजों का सफल प्रयोग करने के लिए सिंचाई की यथेष्ट सुविधाएँ तथा खाद का अधिकाधिक इस्तेमाल आवश्यक है। अतः सिंचाई के साधनों से पूर्ण क्षेत्रों में इन बीजों का अधिकाधिक इस्तेमाल किया गया। विभिन्न फसलों के अनुकूल क्षेत्रों को चुना गया है जहाँ इन उन्नत बीजों का इस्तेमाल किया जाता है तथा किसानों को आवश्यक सुविधाएँ प्रदान की जाती है। जिससे की बीजों वाली दुकानों व अन्य व्यक्तिों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुये हैं जिसमें की कपिल धारा योजना का बहुत अधिक महत्व हैं। जिससे की किसान साल भर में हर वस्तुओं को कई बार उपयोग करके अन्य व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त हुआ हैं।

सिंचाई योजनओं में विनियोग के लिए बढ़ती हुई मांग को सार्वजनिक क्षेत्र के अपने साधनों से पूरा करना सम्भव नहीं हैं इसलिए यह अधिक वांछनीय होगा कि सिंचाई क्षेत्रों को निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए खोल दिया जाए ताकि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए सरकारी क्षेत्र के सिंचाई विस्तार के प्रयास में निजी क्षेत्र अनुपूरक का कार्यभार निभा सके।

कपिल धारायोजना का उद्देश्य कृषि के समग्र विकास के लिए सतही तथा भूमिगत जल की

उपलब्धता को बढ़ाना हैं। सभी वर्गो के किसानों को इसका लाभ दिया जाता हैं। किसान स्वेच्छा से तालाब के तीन मॉडलों में से एक चयन कर सकता है। सभी वर्गो के किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अनुदान दिया जाता हैं, जिसकी अधिकतम सीमा 16 हजार 350 रूपये हैं।

खेत तालाब बारिश का पानी रोक कर उसे सिंचाई में उपयोग के लिए काफी कारगर सिद्ध हुए हैं। पहले बारिश का पानी बेकार बह जाता था। एक तालाब से काफी बड़े क्षेत्र में पानी की सुविधा हो जाती हैं। योजना के तहत अभी तक एक लाख तालाब बनाये जा चुके हैं।

इसका उद्देश्य कृषि उत्पादन में सुनिश्चिता और किसानों की आजीविका में गुणात्मक सुधार लाना है। इसके तहत हितग्राही परिवार को कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती हैं। इससे नवीन कुँआ–भूजल पुनर्भरण की व्यवस्था के साथ खेत–तालाब, चेक डेम, स्टॉप डेम, आर.एम.एस. और लघु तालाब निर्माण का प्रावधान हैं। हितग्राही परिवार वे होते हैं जिसके लिए स्वामित्व वाली कृषि भूमि में जल का स्त्रोत उपलब्ध नहीं होता।

योजना से अब तक 34 हजार 366 पम्प सिंचाई के लिये उपलब्ध कराये गये हैं। अब तक 3 लाख 60 हजार 80 कूपों की स्वीकृति दी गई हैं। इनमें से एक लाख 66 हजार 416 कूपों का कार्य पूर्ण किया गया है और शेष का कार्य प्रगति पर हैं।

इससे कृषि उत्पादन में अनिश्चिता काफी हद तक समाप्त हुई हैं, और किसानों की आजीविका में गुणनात्मक सुधार आया हैं। सिंचाई सुविधा मिलने से कृषि उत्पादन भी बढ़ा हैं।

बोरी बंधान से वर्षा जल की रोकथाम–जिले के नदी और नालों में उपलब्ध एक–एक बूँद पानी रोकने की हर संभव प्रयासों के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में मानसून के दौरान विशेष अभियान चलाकर बारिश के पानी के बहाव को रोकने के लिए परंपरागत पुरानी, सस्ती एवं उपयोग बोरीबांध तकनीक का उपयोग किया गया। इस दौरान मात्र एक मानसून सत्र में ही 17 लाख 7 हजार रूपये की लागत से 307 बोरी बांधो का निर्माण किया गया।

शोधार्थी के द्वारा सर्वे के दौरान यह ज्ञात हुआ हैं कि मनरेगा योजना में कपिलधारा योजना के पहले बहुत ही कम कुओं, तालाब कृषकों के पास हुआ करते थे। जिससे की कृषक साल भर में एक या दो फसल ही उगा पाते थे, जिससे उनको मुनाफा या कृषि के क्षेत्र में कम ही लाभ मिलता था। इसके साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी नहीं हो पाता हैं। जिससे की वे आने वाली फसल को सुव्यवस्थित ढंग से आगे नहीं बढा पाते थे, और उनके द्वारा कृषि में जो रूपये लगाये जाते थे, उस हिसाब से उनकी मजदुरी भी नहीं निकल पाती थी। जिससे की उनको कृषि के क्षेत्र में हानि होती थी।

लेकिन कपिलधारा योजना के अंतर्गत कृषकों के पास कुंआ या तालाबों के निर्माण से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार भी हुआ, साथ ही वे साल भर में कई तरह के फसलों का उत्पादन एक साथ में कर लेते है, जिससे की कृषि क्षेत्र में कार्य आसानी से होने लगा, सिंचाई में कई परिवर्तन भी हुवे, आमदानी भी बढ़ी।

संदर्भ सूची :–

1) सक्सेना, कृष्णसहाय एवं गुप्ता, कन्हैयालाल (1988) : ''भारतीय कृषि सिंचाई फसल उत्पादन, नवयुग साहित्य सदन, आगरा,

2) शर्मा, ओ.पी. (1999) : भारतीय अर्थव्यवस्था की आधुनिक प्रवृत्तियाँ सबलाइन पब्लिकेशन्स, जयपुर,

3) श्रीवास्तव, एस.एस. (1995) : ''कृषि वानिकी'', सेन्ट्रल बुक टाइम, रायपुर

4) मिश्र, जयप्रकाश (2008) ''कृषि सिंचाई अर्थशास्त्र'' साहित्य भवन, आगरा।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

बदलती हुई नगरीय आकारिकी पर पर्यावरण का प्रभाव : अलवर शहर के विशेष संदर्भ में

प्रिय भूषण यादव

नगरीय भूगोल में किसी भी शहर का चयन करते समय स्थिति एवं अवस्थिति को ध्यान में रखते हुऐ किया जाता है। प्रस्तुत शोध हेतु अलवर शहर का चयन भी इसी बात को ध्यान में रखते हुए किया गया है। अलवर शहर में तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार आम सुख सुविधाएँ नहीं बढ़ रहीं है और शहर के भूमि उपयोग में निरन्तर परिवर्तन आ रहा है जिसके परिणामस्वरूप शहर की आकारिकी निरन्तर बदलती जा रही है। शहर में बढ़ते औद्योगिकरण और बढ़ती जनसंख्या के परिणामस्वरूप शहर में अनेक समस्याएँ निरन्तर बढ़ती जा रही है। जिनमें मलीन बस्तियाँ तथा पर्यावरण प्रदूषण मुख्य है। सन् 1991 में शहर में मलीन बस्तियों की संख्या 17 थी, जो 2001 में बढ़कर 42 हो गई है। साथ ही अलवर शहर राजस्थान में ही नहीं बल्कि भारत देश में प्रदूषण की दृष्टि से सातवें स्थान पर है। अलवर जिले को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल करने के बाद भी नगर का इतना विकास नहीं हुआ है जितना वहाँ के जनसंख्या दबाव को ध्यान में रखते हुए होना चाहिये था। अरावली की हरी–भरी उपत्यकाओं से घिरा हुआ प्राकृतिक सौन्दर्य से भरपूर अलवर **''राजस्थान का सिंहद्वार''** कहलाता है। भौगोलिक दृष्टि से अलवर राजस्थान के उत्तर–पूर्व में स्थित है। अलवर की माध्य समुद्रतल से ऊँचाई 268 मीटर है। शहर के पश्चिम में अरावली पर्वत श्रृंखला है। अरावली पहाड़ी के तलहटी में, पूर्व की ओर, अलवर शहर स्थित है। शहर का ढाल दक्षिण–पूर्व की तरफ है। शहर के उत्तर–पूर्व में एक नदी स्थित है जो शहर तथा आस–पास के क्षेत्र में वर्षा के पानी के निकास का प्रमुख स्त्रोत है। अलवर शहर का भौतिक स्वरूप बहुत आक्रषक है पश्चिमी पहाडी के अतिरिक्त शहर के अन्दर अनेक बिखरी हुई पहाड़ियाँ है। वर्षा ऋतु में हरियाली होने से प्राकृतिक वातावरण बहुत ही रमणीय हो जाता है। अलवर दक्षिण में जयसमन्द झील है जिसमें वर्षा ऋतु में पानी भरने से सारा वातावरण पक्षियो की चहक से गुंजायमान रहता है। दक्षिण–पश्चिम में सिलीसेढ़ झील एवं उत्तर में कडूकी झील प्राकृतिक वातावरण को और भी आकर्षक बना देती है। इन सबके कारण अलवर का प्राकृतिक वातावरण बहुत ही सुन्दर है।

यहाँ की जलवायु शुष्क है तथा गर्मी के दिनो में अधिक गर्मी एवं शीत ऋतु में सर्दी का प्रभाव रहता है। यहाँ की औसत वर्षा 640 मीलीमीटर है परन्तु वर्षा की अनिश्चित्ता बनी रहती है। करीब 90 प्रतिशत वर्षा जून से सितम्बर महीनों में हो जाती है। मई और जून के महीने में दिन में दैनिक अधिकतम तापमान 40^0 से 46^0 सेन्टीग्रेड के मध्य रहता है एवं रात्री के समय तापमान 23^0 से 28^0 सेन्टीग्रेड के मध्य रहता है। जनवरी का महिना सबसे ठण्डा समय हैं। इस काल में दिन का औसत अधिकतम तापमान 23^0 सेन्टीग्रेड तथा न्यूनतम 8^0 सेन्टीग्रेड रहता है। जाड़े के दिनो में उत्तर की शीत लहर के प्रभाव में कभी–कभी तापमान 2^0 से 4^0 सेन्टीग्रेट तक गिर जाता है।

उद्देश्य :–

1. अध्ययन क्षेत्र में अनियन्त्रित रूप से बढ़ती हुई जनसंख्या का विस्तृत विवेचन करना।
2. अध्ययन क्षेत्र में विभिन्न अवस्थाओं में हुए ऐतिहासिक एवं नगरीय विकास का अध्ययन करना।
3. अध्ययन क्षेत्र की बदलती हुई नगरीय आकारिकी का विवेचन करना।
4. अध्ययन क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र व कार्यात्मक स्वरूप का अध्ययन करना।
5. अध्ययन क्षेत्र में बढ़ते हुये प्राकृतिक व सांस्कृतिक पर्यावरण प्रदूषण का विस्तृत विश्लेषण करना।
6. अध्ययन क्षेत्र में नगरीय आकारिकी से उत्पन्न समस्याओं तथा क्षेत्र के भावी विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना :– किसी भी प्रकार का शोध कार्य करने से पहले हम कुछ परिकल्पनाऐं निश्चित करते हैं। ये परिकल्पनाऐं सकारात्मक या नकारात्मक भी हो सकती है। प्रस्तुत शोधकार्य में कुछ परिकल्पनाऐं निश्चित की गई है जो इस प्रकार है।

1. अलवर शहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में शामिल होने के बाद जनसंख्या का दबाव तीव्र गति से बढ़ रहा है।

2. बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ–साथ शहर में निरन्तर पर्यावरणीय समस्याएँ बढ़ रही है।
3. शहर में बढ़ते औद्योगिकरण एवं नगरीयकरण के परिणामस्वरूप नगर की आकारिकी निरन्तर बदल रही है।

अध्ययन विधि एवं आँकड़ों का संकलन :– किसी भी शोध कार्य के लिये शोधकर्ता को तथ्यों का संकलन, संकलन की विधियों व आँकड़ों के वर्गीकरण विश्लेषण एवं शोध प्रतिवेदन हेतु एक निश्चित प्रारूप का अध्ययन करना होता है। अध्ययन को विभिन्न क्षेत्रों में तुलनात्मक एवं विश्लेषणात्मक बनाने के लिये मुख्यतः दो प्रकार की विधियाँ स्वीकृत की गई हैं। (i) आनुभाविक विधि (ii) सांख्यिकीय विधि।

उपलब्ध साहित्य की समीक्षा :–

ओ.एच. के. स्पेट व इनायत अहमद 1950 ने गंगा मैदान में पाँच नगरों की विशिष्ट आकारिकी का महत्वपूर्ण अध्ययन किया जिसने भारतीय नगरों की आकारिकी के अध्ययन में रूचि उत्पन्न की। **एम.एल.** ने 1952 में "Regional Distribution of Population and Problems in India" नामक विषय पर शोध प्रबन्ध कार्य प्रस्तुत किया जिसने भारत में जनसंख्या के प्रादेशिक वितरण, जनसंख्या दबाव से उत्पन्न सम्स्याओं एवं जनसंख्या दबाव के सन्दर्भ में भावी सुझाव प्रस्तुत किये गये।

आर.एल. सिंह ने 1955 में बनारस शहर पर नगरीय भूगोल में नगरीय प्रभाव क्षेत्र का विस्तृत विवेचन किया जिसमें प्राथमिक व गौण नगरीय प्रभाव क्षेत्र तथा शहर में प्रयुक्त प्रभाव क्षेत्र की मात्रात्मक व गुणात्मक विधियों का प्रयोग किया गया। **काशीनाथ सिंह** ने 1959 में नेल्सन की माध्य विचलन विधि का प्रयोग करते हुऐ उतरप्रदेश के नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया तथा नगर के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्र यथा आवासीय, वाणिज्य, प्रशासनिक, औद्योगिक, सार्वजनिक आदि पर प्रकाश डाला।

एम.एन. निगम 1960 ने लखनऊ नगर में विकास को विभिन्न ऐतिहासिक अवस्थाओं में समझाया। लखनऊ के प्राचीन मध्य तथा वर्तमान में उतर प्रदेश की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध रहा है। दूसरे शहरो की तरह यह गंगा घाटी का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक व सांस्कृतिक केन्द्र रहा है। **आर पी. सिंह** 1961 बोकारो नगर की औद्योगिक योजना व भावी सम्भावनाओं पर अपना लेख प्रस्तुत किया। इन्होंने बतया कि यह शहर बिहार की कोयला खानों के किनारे पर आधारित है। लेखक ने दामोदर घाटी योजना के बहु उद्देश्यों पर भी जोर दिया जहां नऐ सांस्कृतिक आयाम उभर रहे हैं। लेखक ने शहर के भावी विकास हेतु सुझाव प्रस्तुत किया है कि भाविष्य में शहर रेलवे स्टेशन के नजदीक आ जाएगा और औद्योगिक शहर को बेहतर यात्रा यह सुविधाऐं मिलेगी।

बी.पी. राव 1961 में बैंगलोर शहर के विकास पर अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि यह शहर पठारी भूमण्डल पर स्थित एक ग्रीष्मकालीन क्षेत्र है, जहाँ की जलवायु नम है। यह मध्ययुगीन शहर है। एक बड़े शहर के रूप में हुआ, जिसमें जनसंख्या का बाहुल्य हो गया एवं कई बस्तियाँ स्थापित हुई है। **परमानन्द लाल,** 1962 ने पोर्ट ब्लेयर वर्तमान विकसित नगर का अध्ययन किया। उन्होंने बतया कि इसके भूमी उपयोग में समय–समय पर परिवर्तन हो रहा हैं कुछ समय पहले 1769 से 1792 के मध्य यह सुनसान था। बाद में यहाँ सजा पाये लोगों को रखा जाता था, लेकिन इसकी जगह बदल की गई क्योंकि वर्ष 1941 से 1947 के मध्य यहां भूकम्प के कई झटके आये। **ए.एस. जौहरी,** 1962 ने सतलज यमुना क्षेत्र के प्रारम्भिक विकास काल पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत किया। इसमें इतिहास के प्रारम्भिक काल के शहरीकरण का उल्लेख है तथा यमुना–सतलज विभाजन के शहरी आबादी के विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। **उजागिर सिंह** ने 1962 में इलाहाबाद नगर के प्रभाव क्षेत्र का सीमान्त दुग्ध एवं खोया आपूर्ति, सब्जी आपूर्ति, खाद्यान्न आपूर्ति, एवं वाणिज्य सेवा के आधार पर किया।

शहर की बदलती हुई नगरीय आकारीकी से उत्पन्न समस्याऐं :–

i. अलवर शहर को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के शामिल होने के बाद इसकी जनसंख्या वृद्धि दर काफी तेज गति से बढ़ रही है। शहर का विकास अनियोजित अंसगठित और खतरनाक तरीके से हो रहा है। वर्तमान समय में अलवर शहर का विकास बहरोड़, तिजारा तथा दिल्ली रोड़ की ओर अधिक हो रहा है।

ii. अलवर शहर की जनसंख्या वृद्धि दर काफी तीव्र है जो न केवल राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर से

बल्कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर से भी अधिक है।

iii. शहर की बढ़ती हुई जनसंख्या दर के अनुसार आम सुख–सुविधाऐं उस गति से नहीं बढ़ रही है जिनके परिणामस्वरूप शहर में अनेक प्रकार की समस्याओं ने जन्म लिया है जिनमें आवास की समस्या, विद्युत एवं जलपूर्ति की समस्या, यातायात की समस्या, मलिन बस्तियाँ, प्रदूषण की समस्या आदि।

iv. अलवर शहर में अधिकाशंत बाजार क्षेत्र में यातायात की समस्या बढ़ी है। इसका प्रमुख कारण सड़कों का चौड़ा न होना, उपयुक्त पाक्रिंग स्थलों का अभाव तथा पाक्रिंग स्थलों का उपयुक्त स्थानों पर नहीं होना है।

v. अलवर शहर यातायात के साधनों के शोर तथा वायु प्रदूषण से ग्रसित है शहर की अधिकांश कॉलोनियां औद्योगिक क्षेत्र के नजदीक है जिनमें वायुप्रदूषण की समस्या सर्वाधिक प्रभावशाली है। उदा. मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र और पुराना औद्योगिक क्षेत्र के आस–पास बसी लगभग सभी कॉलोनियाँ।

vi. अलवर शहर में अधिकांश नालियाँ भूमिगत बनी हुई है। परिणामस्वरूप अधिकांश गन्दाजल, घरेलू अपशिष्ट, खुली नालियों में ही प्रवाहित हो रहा है। वर्षा के समय यह समस्या और बढ़ जाती है। शहर की गलियों में तथा रोड़ों पर पानी इकट्ठा हो जाता है। जिससे पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है।

vii. अलवर शहर में फुटकर बाजार काफी तंग गलियों में फैले हुऐ है। तथा इनकी खुले क्षेत्र में होने की कोई सम्भावना नहीं है। उदाहरण कटला रोड़, चर्च रोड़, आदि।

शहर के भावी विकास हेतु सुझाव :– साराशं के रूप में अलवर शहर की नगरीय आकारीकी से जुडी समस्याओं के संदर्भ में शहर के भावी विकास हेतु मैं कुछ सुझाव प्रस्तुत कर रह हूँ जिनके क्रियान्वयन से शहर का सुन्दर, स्वच्छ व व्यवस्थित रूप उभर सकता है।

अलवर शहर का अधिकांश भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के अन्तर्गत आता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के पास बढ रहे अत्यधिक जनाधिक्य को ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के रूप में मूर्त रूप दिया गया है। अलवर जिले का अधिकांश भू–भाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल होने से यह क्षेत्र भविष्य में उन्नत नगरीय क्षेत्र के रूप में उभरेगा। क्योंकि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहायता व नियोजन तकनीकी का लाभ शहर में बढ़ रहे नगरीयकरण को मिलेगा।

i. अलवर शहर में प्रशासनिक दृष्टि से स्थानीय प्रशासन को अधिक सक्षम व प्रभावी बनाकर सड़क मार्गो के सहारे बढ़ रही अतिक्रमण की समस्या से निजात पाई जा सकती है।

ii. अलवर शहर में नई बस्तियों एवं आवासों का विकास नगर नियोजन कार्यालय, नगरपालिकाओं, नगर विकास न्यास आदि द्वारा स्वीकृत मानचित्र व प्रारूप के अनुरूप ही किया जाए।

iii. अलवर शहर के वायुमण्डल को दूषित होने से रोका जाए इसके लिए उद्योगों को शहर के बाहर हवा के विपरीत दिशा में स्थापित किया जाए एवं यातायात के साधनों में माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुरूप यूरो प्रथम व यूरो द्वितीय मानदण्ड का कडाई से पालन किया जाए।

iv. अलवर शहर में सीवरेज प्रणाली एवं नालियों का विकास प्रभावित ढ़ग से किया जाए एवं इन्हें हर हाल में क्रियाशील रखा जाए। चाहे इस हेतु विदेशी ऋण लिया जाए या इसके निजी क्षेत्र को (BOT, Built, Operate, Transfer) के तहत सौपा जाए।

v. संभावित जनसंख्या वृद्धि के आधार पर नगर नियोजन एवं सुविधाओं का स्वरूप बढ़ाया जाए ताकि नगरीयकरण का क्रम अव्यवस्थित ना हो एवं गन्दी बस्तियों के अव्यवस्थित आवासों के विराम पर प्रभावी नियन्त्रण संभव हो सकें।

vi. अलवर शहर के सड़क मार्गो का विकास एवं रख–रखाव प्रभावी ढ़ग से किया जाए तथा इन्हे क्षतिग्रस्त करने वालो को कठोर कानून के द्वारा कडाई से नियन्त्रित किया जाए।

vii. अलवर शहर में स्थित सरकारी भूमि व अन्य किसी भी प्रकार की भूमि पर अवैध निर्माण या धार्मिक (मन्दिर) या सामाजिक कार्य को प्रभावी ढंग से रोका जाए ताकि नगरीय भूमि पर अतिक्रमण न हो सके।

BIBLIOGRAPHY :-

Aurousseau M; 1921	"The Distribution of population: A Constructive Problem" Geographical Review, Vol. II, PP.563-593.
Alexandersson G., 1956	The Industrial Structure of American Cities, University of Nebraska Press London.
Alam, S. M. 1972	Metropolitan Hyderabad and its Region: A Strategy for Development, Asia Publishing House, New Delhi
Amedeo D. and Golledge R.1975	"An Introduction to scientific Reasoning in Geography, John Wiley, New York."
Aslam, M. 1977	Statistical Method in Geographical Studies, Rajesh Publication, New Delhi
Bracey H.E.1955	"Towns as Rural Service Centers: An Index of Centrality with Special Reference to Somerset" Transaction of the Institute of British Geographers; Vol.19,
Brush, John E. 1962	"The Morphology of Indian Cities" India's Urban Future, Ed. by Roy Turner Bombay
Bhalla L.R. 1971	"Rajasthan Desert: A study in Settlement Geagraphy" (Un Published Ph. D. Thesis) University of Rajasthan.
Bhardwaj, R. K. 1974	Urban Development in India, National Publishing House, New Delhi
Bansal, S.C. 1984	Urban Geography, Meenakshi Publication, New Delhi
Converse, P.D. 1949	"New Laws of Retail Gravitation" Journal of Marketing, Vol. 14
Cournes, L. S. 1971	Internal Structure of the City, Oxford University Press, New York
Dickinson, R.E 1948	"The Scope and Status of urban Geography" Land Economics. Vol 24, PP. 221-38.
Dabria, S. 1964	"Historical Development of Udaipur City" (An unpublished M. A. Dissertation), University of Rajasthan, Jaipur
Dickinson, R. E. 1964	City Region and Regionalism Routledge and Kegod Paul, London
Dutt. A.K. and R. Amin, 1986	"Tow and a Typology of south Asian cities" National Geographical Journal of India, vol. 32,pp.30-39.
Ellefsen R.A, 1962	"City Hinterland Relationship in Indians:" In India's urban future, [Edit] by Roy Turner, ox ford university Press, PP.94-116.
Green H.L.,1955	"Hinterland Boundaries of New York city and Boston in southern New England", Economic Geography,vol.3 1,pp.283-300.
Gibbs, J. P. 1961	Urban Research Methodology, Von Nostraned Co. Inc. Toronto

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

समकालीन पूँजीवादी समाज में मानव स्वतंत्रता की समस्या

दयानंद प्रसाद
शोध छात्र, यू. जी. सी. नेट–जे. आर. एफ. उतीर्ण अभ्यर्थी, दर्शनशास्त्र विभाग, पटना विश्वविघालय, पटना

सारांश :– पूँजीवाद से उत्पन्न विस्तृत मशीनीकरण के कारण कामगार वर्ग का काम काफी हल्का हो गया है। अब उसे अपने काम में जी–तोड़ परिश्रम नहीं करना पड़ता, और इतनी कम मजदूरी भी नहीं मिलती कि उसका जीना दुभर हो जाए। अतः ऐसा लगता है वह एक हद तक अलगाव की स्थिति से मुक्त हो गया है। परंतु साथ ही बँधे–बँधाए मशीनी काम के कारण उसका मन स्वतंत्र और सृजनात्मक कार्य के महत्व को अनुभव करने योग्य नहीं रहा गया है। पुनः विज्ञान और प्रौधोगिकी ने समाजिक संगठन का तकनीकी प्रतिरूप प्रस्तुत करके जनसाधारण को समाजिक लक्ष्यों के प्रति सचेत नहीं रहने दिया है। उन्होने इस विचार को बढ़ावा दिया है कि सारी मानवीय समस्याएँ तकनीकी या संगंठनात्मक किस्म की समस्याएँ है, और वैज्ञानिक साधनों को प्रयोग करके उनका समाधान किया जा सकता है। अतः ऐसा माना जाने लगा है कि मनुष्य स्वंय सोचने–समझने और निर्णय करनेवाला प्राणी नहीं रहा बल्कि बनी–बनाई जानकारी का प्रयोग करने वाली मशीन है।

इस प्रकार समकालीन विश्व में विज्ञान, प्रौधोगिकी और संगठन की विलक्षण प्रगति का परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य की तर्कबुद्धि मनुष्य के उद्धार के दायित्व से विमुख हो गई है, और तर्कबुद्धि की भूमिका केवल तकनीकि कार्य–कुशलता बढाने तक समीति रह गई है। अर्थात मुनष्य की तर्क–बुद्धि उसे अपने जीवन का साध्य नहीं सुझाती, बल्कि केवल साधनों को संगठित करना सिखाती है। अतः वह मनुष्य की स्वंतत्रता का आधार नहीं रह गई है, बल्कि उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके उसकी पराधीनता का कारण बन गई है।

दूसरी तरफ उदार लोकतंत्र की सस्थाओं ने मनुष्य के परस्पर संबंधों को बाजार समाज के ढर्रे पर खरीदार और बिक्रेता के संबंधों में बदल दिया है। लोकतंत्र का आधार है– राजनीतिक चर्चा। परंतु समकालीन परिस्थतियों में वह कभी सचमुच का रूप धारण नहीं कर पाई। क्योंकि इस चर्चा में भाग लेने वाले लोग शक्तिशाली और संगंठित हितों के साथ जुड़ें रहे है। अतः राजीनितक निर्णय इन हितों के परस्पर समयोजन का परिणाम होता है। जन–मानस की मुक्त अभिव्यक्ति का परिणाम नहीं होता।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आलोक में यह कहा जा सकता है कि वर्तमान पूँजीवादी समाज में मनुष्य की स्वंतत्रता पहले की तुलना में कम हुई है। अतः अंलकारिक रूप से मनुष्य की इस स्थिति की तुलना सोने के पिंजरें में बंद उस पंछी से की जा सकती है, जो पिंजरें के आकर्षण में इतना डूब चुका है कि वह मुक्त आकाश में उड़ान भरने के आनंद को ही भूल गया है।

परिचय :– मनुष्य के लिए तो भौतिक अकेलापन ही असह्य है। परंतु समकालीन पूँजीवादी विश्व में व्यक्ति अपने समाज में प्रचलित विचारों, मूल्यों, प्रतिमानों तथा सामाजिक संसर्ग से कटकर जो विलक्षण अकेलापन अनुभव करता है, वह उसका नैतिक अकेलापन है। जो और भी भंयकर सिद्ध होता है। जब यह अकेलापन हद से बढ जाता है, तब व्यक्ति मानसिक रोगों का शिकार हो जाता है।

मुख्य भाग :– समकालीन अमरीकी मनोवैज्ञानिक और सामाजिक विचारक–एरिक फ्रॉम–के अनुसार पूँजीवादी व्यवस्था मनुष्य की सृजनात्मक गतिविधि में बाधा डालती हैं, उसे दूसरों के साथ स्वस्थ समाजिक संबंध स्थापित करने से रोकती है और उसे अपने–आपसे विमुख करके उसकी आत्म–छवि को धूमिल कर देती है। यही परिस्थितियॉ मनुष्य के अलगाव को जन्म देती है।[1.]

हर्बट मार्क्यूजे उपरोक्त स्थिति को स्पष्ट करने के लिए तर्क देते है कि पूँजीवाद जन–संपर्क के साधनों का बड़ी चालाकी से इस्तेमाल करते हुए पीडित वर्ग के अंसतोष को संवेदनशून्य बना दिया है। क्योंकि वह तुच्छ भौतिक इच्छाओं को उत्तेजित करता है, जिन्हें संतुष्ट करना बहुत सरल हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि मनुष्य का बहुआयामी व्यक्तित्व लुप्त हो गया है। और उसके व्यक्तित्व का एक ही आयाम रह गया है– उसकी तुच्छ, भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि। इस तरह एक उपभोक्ता संस्कृति मनुष्य के व्यक्तित्व पर हावी हो

गई है , जिसने उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता के विचार को बहुत पीछे धकेलकर उसे एक–आयामी मनुष्य बना दिया है।[2]

पुनः आधुनिक तकनीकी समाज ने एक मिथ्या चेतना को वढ़ावा देकर मानव मात्र को अपने शिंकजे में कस रखा है। तकनीकि क्रांति ने जीवन की सुख –सुविधाएँ बहुत बढ़ा दी है। आज का समय ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुखमय जीवन की आशा बँधाता है। ऐसी हालत में कुछ महत्वपूर्ण स्तरों पर अलगाव या पराएपन की अनुभूति बहुत हद तक लुप्त हो चुकी है। विस्तृत मशीनीकरण के कारण कामगार का काम काफी हल्का हो गया है। अब उसे अपने काम में जी–तोड़ परिश्रम नहीं करना पड़ता , और इतनी कम मजदूरी भी नहीं मिलती कि उसका जीना दुभर हो जाए। अतः ऐसा लगता है वह एक हद तक अलगाव की स्थिति से मुक्त हो गया है। परंतु साथ ही बँधे–बँधाए मशीनी काम के कारण उसका मन स्वतंत्र और सृजनात्मक कार्य के महत्व को अनुभव करने योग्य नहीं रह गया है।

आज का कामगार यह स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाता कि अपने उत्पादन से उनका नाता टूट चुका है। उसके चारों ओर बनावटी सुखों का जो जाल फैला है, उसमें उलझकर वह सृजनशीलता के सच्चे आनंद की कामना भी नहीं कर पाता। इस तरह वह अपने अलगाव की स्थिति से बेखबर हो गया है। वह एक मिथ्या चेतना के अधीन श्रम करता है। यह मिथ्या चेतना धर्म की नहीं है, बल्कि वर्तमान भोगवादी सुख की मिथ्या चेतना है, जो उसके अलगाव पर पर्दा डाल देती है। अंलकारिक रूप से मनुष्य की इस स्थिति की तुलना सोने के पिंजरें में बंद उस पंछी से की जा सकती है, जो पिंजरें के आकर्षण में इतना डूब चुका है कि वह मुक्त आकाश में उड़ान भरने के आनंद को ही भूल गया है।

मनुष्य की पराधीनता वाली उपर्युक्त परिस्थिति का हेबरमास ने बड़ा ही मौलिक वर्णन किया है। हेबरमास का कहना है कि पंरपरागत समाज सृष्टि की पौराणिक, धार्मिक या दार्शनिक व्याख्या से जुडी हुई संस्थाओं की वैधता को स्वीकार करते थे। परंतु पूंजीवाद ने वैज्ञानिक जानकारी और स्वचालित मशीनों की प्रमाणिकता को स्थापित करके वैधता–स्थापना के परंपरागत आधार को नष्ट कर दिया है। उसकी जगह इसने परस्पर लाभ या समान विनिमय को सामाजिक संगठन का मूल सिद्धांत मान लिया है, और बजार–समाज के नियमों को सर्वोच्च मान्यता प्रदान कर दी है। विज्ञान और प्रौधोगिकी ने समाजिक संगठन का तकनीकी प्रतिरूप प्रस्तुत करके जनसाधारण को समाजिक लक्ष्यों के प्रति सचेत नहीं रहने दिया है। उन्होने इस विचार को बढ़ावा दिया है कि सारी मानवीय समस्याएँ तकनीकी या संगंठनात्मक किस्म की समस्याएँ है, और वैज्ञानिक साधनों को प्रयोग करके उनका समाधान किया जा सकता है। ऐसा लगता है कि मनुष्य स्वंय सोचने समझने और निर्णय करनेवाला प्राणी नहीं रहा बल्कि बनी–बनाई जानकारी का प्रयोग करने वाली मशीन बनकर रह गया है।[3]

दूसरों शब्दों में समकालीन विश्व में विज्ञान, प्रौधोगिकी और संगठन की विलक्षण प्रगति का परिणाम यह हुआ है कि मनुष्य की तर्कबुद्धि मनुष्य के उद्धार के दायित्व से विमुख हो गई है, और तर्कबुद्धि की भूमिका केवल तकनीकी कार्य–कुशलता बढाने तक समीति रह गई है। अर्थात मुनष्य की तर्क–बुद्धि उसे अपने जीवन का साध्य नहीं सुझाती, बल्कि केवल साधनों को संगठित करना सिखाती है। अतः वह मनुष्य की स्वंतत्रता का आधार नहीं रह गई है, बल्कि उस पर अपना प्रभुत्व स्थापित करके उसकी पराधीनता का कारण बन गई है।

उधर उदार लोकतंत्र की सस्थाओं ने मनुष्य के परस्पर संबंधों को बाजार समाज के ढर्रे पर खरीदार और बिक्रेता के संबंधों में बदल दिया है। लोकतंत्र का आधार है–राजनीतिक चर्चा। परंतु समकालीन परिस्थितियों में वह कभी सचमुच का रूप धारण नहीं कर पाई। क्योंकि इस चर्चा में भाग लेने वाले लोग शक्तिशाली और संगंठित हितों के साथ जुड़ें रहे है। अतः राजीनितक निर्णय इन हितों के परस्पर समायोजन का परिणाम होता है। जन–मानस की मुक्त अभिव्यक्ति का परिणाम नहीं होता।

गौरतलब है कि वर्तमान युग में जनसंर्पक के साधन सूचना के प्रसार और विचारों की स्वंतत्रता अभिव्यक्ति को बढ़ावा नहीं देते। बल्कि कोरे मनोरंजन के साथ–2 व्यापारित हितों को बढ़ावा देने की भूमिका निभाते है। क्योंकि आज पत्र–पत्रिकाएं, टी0 वी0–चैनल आदि निकलना इतना खर्चीला धंधा है कि केवल बड़े–2 व्यापारी और उधोगपति ही ऐसी पत्र–पत्रिकाएँ और टी0 वी0 चैनल निकाल पाते है, जिनका प्रभाव व्यापक हो। छोटी–छोटी पत्रिकाएँ या तो निकलते ही ठप हो जाती है या फिर विज्ञापनों के सहारे चलती भी है, तो बहुत

थोड़ें लोगों तक पहुॅच पाती है। इनका कोई प्रभाव नहीं होता। सरकार या राजनीतिक दलों की ओर से जो इक्के–दुक्के पत्र निकाले जाते है, उनमें सरकारी आशावाद और दलगत पूर्वाग्रहों को बोलबाला रहता है। मजदूरों, उपभोक्ताओं या जन–साधारण से जुडें हुए वर्गों के पत्र नही के बराबर है।

अतः कुल मिलाकर वही पत्र–पत्रिकाएँ व्यापक प्रभाव डालती है, जिन्हें बड़ें–2 व्यापारी और उधोगपती चलाते है और इनकी संपादकीय नीति पर उन्हीं का नियंत्रन रहता है। कुछ नियंत्रण विज्ञापनदाताओं के हाथों में भी रहता है। परंतु ने स्वयं उधोगपति या बड़े–2 व्यापारी होते है। अतः इनमें एक वर्ग–विशेष के दृष्टिकोण की प्रधानता रहती है।

निष्कर्ष :– उपर्युक्त संपूर्ण विवेचना के आलोक में निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि पूंजीवादी समाज की सबसें बड़ी बिंडबना यह है कि इसमें मनुष्य न केवल अपनी स्वंतत्रता खो चुका है। बलिक वह यह भी नहीं जानता कि वह उसे खो चुका है। इस खोई हुई स्वंत्रता को ढूंढ़ लाने के लिए सबसे पहले उसे अपनी परतंत्रता के प्रति सचेत करना होगा ताकि उसे अनुभव हो जाए कि उसकी कोई मूल्यवान वस्तु गुम हो गई है और वह उसकी तलाश शुरू कर दें।

स्रोत :–

1. 'एस्केप फ्रॉम फ्रीडम' ; एरिक फ्रॉम ; 1941
2. वन–डायमेशनल मैन; हर्बर्ट मार्क्यूजे; 1968
3. लैजिटमेशन क्राइसिस; युर्गेन हेबरमास;1975
4. समसायिक पत्र–पत्रिकाऍं, समाचार पत्र, टी0 वी0 न्यूज एवं स्व–अवलोकन

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

भारत के प्राचीन परम्परा में स्त्रियों की स्थिति

डॉ. सोनी शर्मा
संजय शर्मा
एम०ए०, पीएच०डी०, (प्राचीन इतिहास एवं पुरातत्व विभाग) तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर

सभ्यता के इतिहास में धर्म का बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान रहा है। इहलोक और परलोक दोनों से संबंधित जीवन के प्रायः सभी कार्यकलाप धर्म से ही प्रभावित होते रहे हैं। लोकतांत्रिक भावना, विज्ञान और प्रौधोगिकी ने अवश्य इसके प्रभाव में कमी की है, लेकिन आज भी बहुत से देशों में धर्म का व्यापक प्रभाव स्पष्ट देखा जा सकता है। हमारे देश में भी जीवन के प्रायः सभी क्षेत्र धर्म से ही प्रभावित हुए हैं। सभी धर्म जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति पर ही बल देते हैं, और उसी को दृष्टिगत रखकर समाज के संघटन और उसके कार्य–क्षेत्र का निर्धारण करते हैं। भारत में बहुत से धर्म थे। उनमें श्रवण और ब्राह्ण परंपरा प्रमुख रूप से थे। इन परंपराओं ने अपने–अपने दार्शनिक और आचार–संबंधी विचारों ने भारतीय जीवन को जो विशिष्टता प्रदान की, वह इतिहास का एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण तथ्य है।

आध्यात्मिक मान्यताओं, सामाजिक तथा राजनीतिक सिद्धांतों और सांस्कृतिक जीवन पर इसका गहरा प्रभाव भी हैं। इसके साथ ही उल्लेखनीय है कि काल और परिस्थितियों, जिनमें धर्मों का जन्म होता है, सदा अपरिवर्त्तनीय नहीं रहती। इसी कारण बदलते हुए परिवेश में आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए सामाजिक और धार्मिक आंदोलनों की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु कट्टरपंथी धर्म के मूल सिद्धांतों को सार्वकालिक मानकर उनका विरोध करने में नहीं चूकते, जिसके कारण कुछ देशों को क्रांति का मार्ग ग्रहण करना पता है।[1]

प्रायः सभी धर्मो में मोक्ष प्राप्ति का विधान उपलब्ध है। जगत् के रूप में सभी धर्मों में मानव को सुख प्राप्त करने का और संसारिक दुःखों से निजात पाने के लिए मोक्ष–प्राप्ति के साधनों का विधान है। प्राचीन ब्राह्मण–धर्म में पुनर्जन्म, कर्मवाद, यज्ञ, कर्मकांड और वर्ण व्यवस्था आदि का काफी महत्त्व है। परन्तु ई०पू० छठी शताब्दी तक आते–आते वर्ण–व्यवस्था सामाजिक असमानता का कर्मकांड एवं यज्ञ हिंसा और अनावश्यक धार्मिक कृत्यों का और विकृतियों का एक बाह्यशक्ति पर निर्भरता का द्योतक बन चुका था। छठी शताब्दी तक भारतीय दर्शन परंपरा में एक नया दर्शन प्रारंभ हुआ। जिसमें भगवान् बुद्ध ने एक नये दर्शन को प्रकट किया। जो मूलदर्शनों और सांस्कृतिक विकृतियों का खंडन करते हुए एक नये मार्ग को निर्दिष्ट किया। जिनमें इन परिस्थितियों में बौद्ध धर्म ने, प्राचीन धार्मिक मुख्यधारा से बातों में अपनी अलग पहचान बनाकर, नये मार्गदर्शन की आवश्यकता पर जोर दिया।

हिन्दू–जीवन की रूढ़ियों और विश्वासों का प्रत्याख्यान करते हुए बुद्ध के विचार स्वतंत्र धर्म के रूप में स्थापित हुए।[2] विभिन्नताओं के बावजूद, दुःख की सर्व व्यापकता, उसका कारण, उसके निरोध का मार्ग और जीवन का परम उद्देश्य–निर्वाण ऐसे विषयों पर प्रतिपादित उनके सिद्धांतों और उनकी उक्तियों शनैःशनैः इस तरह विकसित हुई कि बुद्ध के अनुयायियों ने न केवल संघों और विहारों का विकास किया, बल्कि निश्चित प्रकार की दार्शनिकता, तर्कशास्त्र तथा आचारशास्त्र का भी पूरी तरह विकास किया।[3]

भारत में नारी समाज की स्थिति अत्यन्त दीन, पशुवत एवं नारकीय रही हैं। इसे अन्य शब्दों में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है कि, स्वतंत्रता के पूर्व सवर्णों में यह वर्ग दासों का दास और दलितों का दलित पुनः दलितों का दलित रहा है। वह स्थिति आज भी ज्यों का त्यों बरकरार हैं।[4]

यह अत्यन्त ही खेद का विषय है कि भारत में स्वतंत्रता के अधिक वर्ष व्यतीत होने के उपरांत भी नारी समाज की स्थिति में कोई विशेष उत्साहवर्धक उन्नति एवं विकास नहीं हो पाया है। इसके लिए समाज और स्त्रियों के दृष्टिकोण में परिवर्त्तन की आवश्यकता है।

आज भारत में सम्पूर्ण स्त्री समाज और विशेषकर दलितों की स्थिति हैं उसे देखकर तो विश्वास नहीं होता कि ये स्वतंत्र भारत की नारी है। और पिछड़ी जातियों की स्त्रियों पाखण्ड और अंधविश्वासों का शिकार बनी हुई हैं।

वे आज भी हिन्दू धर्म के पूर्व संस्कारों से निजात नहीं पा सकी हैं। बच्चे के लिए परिवार में माँ पहली अध्यापक होती है। यदि माँ का दृष्टिकोण और व्यवहार पाखण्ड, अंधविश्वास और अज्ञान से परिपूर्ण हो, तो भविष्य की संतान और भारत में स्तम्भों और मानवता

को बलशाली बनाने वाली पीढ़ी का क्या होल होगा? इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।[5]

भारतीय समाज में नारियों की स्थिति क्या थी, इस ओर जब हम अच्छी तरह ध्यान देते हैं, तब हम देखते हैं कि उत्तर भारत के आर्यो के समाज में पिता का महत्व माता से अधिक था। परंतु सातवाहनों में हमें मातृतंत्रात्मक ढाँचे का आभास मिलता है उनके राजाओं के नाम उनकी माताओं के नाम पर रखने की प्रथा थी। गौतमीपुत्र, वसिस्ठिपुत्र आदि नाम दर्शाते है कि उनके समाज में माता की प्रतिष्ठा अधिक थी। रानीओं ने स्वाधिकार पूर्वक बड़े–बड़े धार्मिक दान किए और कई रानियों ने तो प्रशासिका (रीजेंट) के रूप में भी कार्य किया। किन्तु सारतः हम मान सकते है कि सातवाहन राजकुल पितृसत्तात्मक था क्योंकि राजसिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था।[6] वैदिक काल से बुद्ध के काल तक समाज में नारियों की बहुत उन्नत अवस्था नहीं थी। जिस तरह समाज में शूद्रों की स्थिति दासता और सेवा–वृत्ति में हम पाते हैं, उसी तरह नारी स्थिति भी गृह प्रबंध और पति सेवा में ही विशेष रूप से देखते हैं।[7]

अतः जातकों में वर्णित नारी–समाज की अवस्था बुद्ध–पूर्व की या बुद्ध के समय की ही है, जिससे स्त्रियों की सामाजिक स्थिति पर विशद प्रकाश पड़ता है। इनमें कथाओं के द्वारा नारी–संबंधी उक्त विशेषणों को सार्थक कर दिखाने का प्रयत्न किया गया है। इसके अतिरिक्त जातक– 61, 63, 64, 65, 105, 126, 165 और 207 संख्यक कथाओं के द्वारा नारी–समाज के चरित्र पर पुरी कालिख पोती गई है। धम्मपद टीका 4 और 8 में बौद्ध विद्वान् 'बुद्धघोष' ने लिए है कि उस समय पति के कुव्यवहार के कारण स्त्री को न्यायालय में जाना पड़ा, जहाँ न्यायकर्त्ता स्त्री के पक्ष में फैसला दिया। इतना जरूर था, स्त्रियों में घनघोर पर्दा नहीं था, वे समाज के अचार कामों में भाग लेती थी, पर अल्प परिणाम में ही।[8]

बौद्ध धर्म मुख्यतः आचार–धर्म है। बुद्ध जानते थे कि मनुष्य का अच्छा या बुरा, सुख या दुःख पाना, उसके कर्म और चरित्र पर निर्भर करता हैं। आदमी का ध्यान इस बात पर रहना चाहिए कि वह करता क्या है, इस बात पर नहीं कि वह जानता क्या हैं? करने और जानने में, अर्थात् कर्म और ज्ञान में भगवान् ने कर्म को ही प्रधान माना हैं।[9]

लेकिन जब स्त्रियों की बात आती है तो भगवान् भी स्त्रियों को लेकर द्वंद्व भरी परिस्थिति में थे क्योंकि उन्होंने संघ में स्त्रियों का होना वर्जित बताया हैं। क्योंकि उस समय संसार की परिस्थिति ही कुछ ऐसी थी। लेकिन सिद्धार्थ गौतम की मौसी अर्थात् उनकी पालनहार विमाता महाप्रजापति गौतमी ने हार न मानकर, परामर्श कर तथा भगवान् के निकटस्थ शिष्य महास्थविर आनन्द को प्रभावित कर अपनी समस्या से सहमत किया। आनन्द ने अपनी ओर से उनकी वकालत भगवान् से की। तब भगवान बुद्ध ने इस बात को स्वीकार करते हुए, पुरुषों के समान स्त्रियों के लिए भी धम्म के प्रवेश–द्वार खोल दिये। अतः उन्होंने यह भी कहा है कि आनन्द स्त्रियों के इस धर्म में प्रवेश करने के कारण यह धर्म 5 सौ वर्ष पीछे हो जाएगा। इससे यही स्पष्ट होता है कि भगवान् बुद्ध स्वयं स्त्रियों के लिए द्वंद्व भरी परिस्थिति में थे। अतः पहले पहल भिक्खुणी संघ का निर्माण महाप्रजापति गौतमी ने 500 स्त्रियों के साथ संध में शामिल हुई। इस प्रकार भगवान् बुद्ध ने नारियों की स्वतंत्र सत्ता को स्वीकार किया और उन्हें पुरुषों के समान बराबरी का दर्जा प्रदान किया।[10]

जातक कथाओं की तरह बौद्धों का एक दूसरा था 'खुद्यकनिकाय' है, जिसके एक अंश का नाम रीगाथा' है। इसकी अनेक गाथाओं से नारी–समाज स्थिति पर ही हमें रोशनी मिलती हैं। यहाँ कुछ स्त्रियों का वर्णन किया गया है– कोशल–देश की मुक्ता शाम की स्त्री घर के कामों से ऊबकर भिक्षुणी हो गई। उसने कहा है कि हमें आज तीन टेढ़ी वस्तुओं से छुटकारा मिल गया। वे वस्तुएं थीं– ऊखल, मूसल और कुबड़ा पति। भद्राकापिलायनी को, यद्यपि उसकी आस्था बौद्ध धर्म में नहीं थे तथापि, अपने पति 'महाकाश्यप' का ही अनुगमन करते हम देखते हैं।

'भद्राकुण्डलकेशा' का लालची पति जब उसकी हत्या करने पर उतारू हो जाता है, तब वही अपने पति की हत्या करके भिक्षुणी हो जाती है। पाटाचारा, वासिष्ठी और स्वयं प्रजापति गौतमी को अपने बच्चों तथा पति की मृत्यु के शोक से छुटकारा पाने के लिए संसार–त्याग की प्रवृत्ति होती है, पहले नहीं।

श्रावस्ती की उत्तरा नारी–समाज को कोसती हैं कि रात–दिन मूसलों से धान क्यों कूटती रहती हो, उसे छोड़ों, बुद्ध धर्म में आओ। उत्पलवर्णा का पति उसकी माता (अपनी सास) को भी पत्नी बनाकर रखे हुए था, यानी दोनों माँ–बेटी सपत्नी बनकर जीवित थीं। पूर्णिका एक पनिहारिन थी, उसे रोज अपने मालिक से गाली और मार मिलती थी, जिससे छुटकारा पाने के लिए वह भिक्षुणी हुई।[11]

इस प्रकार कहा जा सकता है कि प्राचीन काल से भारतीय नारी अपमान और तिरस्कार का

जीवन जीती चली आ रही है। पुराने धार्मिक शास्त्रों की मान्यताओं ने भारत की नारी को समता के अधिकार तो दिए हैं, लेकिन उनसे वंचित ही करके रखें गए है। उसे मूक, वधिर ओर पंगु बनाकर मनुष्य का दास बना दिया। वह जन्म लेकर माता–पिता के अधीन रहती है, विवाहिता होकर पति तथा ससुराल वालों के अधीन रहती है, और विधवा होने पर पुत्र एवं पुत्र–वधु के अधीन रहती हैं। अन्याय, अत्याचार, निन्दा तथा शोषण उसे उत्तराधिकार में प्राप्त हुए है। इन सारी अन्यायों से तंग आकर ही नारियाँ बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने लगी, तथा नारी–समाज में बौद्ध–भिक्षुणी होने की लहर उठ गई।

देखा जाय तो बौद्ध–धर्म में ही पहले स्त्रियों को सम्मान और सत्कार का दर्जा मिला सत्ता अपरिहानि धर्म। इस धर्म में तो स्त्रियों को पुरुषों के समान दर्जा ही नहीं दिया गया अपितु बुजुर्ग स्त्री और पुरुषों को गुरु के रूप में सम्मान दिया गया है। निष्कर्ष रूप में हम सकते है कि भारत में स्त्रियों की स्थिति में पिछले कई सहस्त्राब्दियों में अनेक परिवर्तन आये है।[12] प्राचीन भारत में पुरूषों के समरूप अधिकार से, मध्यकालीन निम्न स्थिति में और पुनः आधुनिक भारत में सुधारकों द्वारा समाज अधिकारों के लिए जागरूकता के प्रयास के साथ भारत में स्त्रियों की स्थितियॉ सतत् परिवर्तनशील रही है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :–

1. सिंह, महेन्द्रनाथ, बौद्ध तथा जैनधर्म, पृ०–5
2. त्रिपाठी, हवलदार, बौद्ध धर्म और बिहार, पृ०–136
3. सिंह, महेन्द्रनाथ, बौद्ध तथा जैनधर्म, पृ०–7
4. वही, पृ०–8
5. डॉ० विमलकीर्ति, थेरीगाथा, पृ०–10
6. अनुराग विजयादित्य, उत्तर मौर्यकाल में सामाजिक दशाएँ, आईदियल रिसर्च रिव्यू, पटना, अंक वोल्यूम–40, नं०–1, दिसम्बर–2013, पृ०–48
7. थेरीगाथा, पृ० सं० – 11
8. डॉ० विमलकीर्ति, थेरीगाथा, पृ०–11
9. त्रिपाठी, हवलदार, बौद्ध धर्म और बिहार, पृ०–134
10. वही, पृ०–136
11. बुद्ध कालीन समाज और धर्म, पृ०–2
12. नरसु, पी० लक्ष्मी, बौद्ध धर्म में नारी, पृ०–16
13. प्राचीन भारत में स्त्रियों की स्थिति, आईदियल, रिसर्च रिव्यू, शोधजर्नल, पटना, अंक मार्च 2014, वोल्यूम–41, नं०–2, पृ०–79

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

राजनैतिक प्रणाली के रूप में हिंसा और अहिंसा की तुलना; गांधीजी के सन्दर्भ में

बिनोद कुमार
शोधार्थी, इतिहास विभाग, मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

सारांश :– गाँधीजी ने जिस स्वरूप समाज की कल्पना की थी वहाँ हिंसा, घृणा, भ्रष्टाचार, असहिष्णुता ने जगह बना ली है। आज देश में राजनीतिक फायदे के लिए मानवता का लहु बहाया जा रहा है। महात्मा गाँधी का विश्वास है कि भारत में सच्चा प्रजातंत्र तभी कायम हो सकता है जब उसमें हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं हो। भारत की आजादी के लिये गाँधी जी आंदोलन चलाये थे वह काफी हद तक अहिंसात्मक था। गाँधी के लोकतंत्र की अवधारण वर्तमान लोकतंत्र से भिन्न थी, गांधी ने भारतीय लोकतंत्र के सन्दर्भ में एक न्यून ढंग के लोकतंत्र को अपनाने की सिफारिश की। भारत में सच्चे लोकतंत्र के निर्माण का अमूल्य हथियार सत्याग्रह हो, उसका स्वरूप चरखा, ग्रामोधोग, प्राथमिक शिक्षा प्रणाली, अस्पृश्यता, मद्य–निषेध, अहिंसक तरीके से मजदूरों का संगठन व साम्प्रदायिक एकता होगी एवं उनके मूल आधार सत्य व अहिंसा होंगे।

मूल शब्द :– हिंसा, घृणा, भ्रष्टाचार, असहिष्णुता, सत्य और अहिंसा, सत्याग्रह, अहिंसात्मक, प्रजातंत्र।

परिचय :– गांधीजी का राजनैतिक प्रणाली व्यवसीा में हिंसा का कोई स्थान नहीं हैं तभी ही सच्चा प्रजातंत्र कायम हो सकती है। उन्होंने भारत की आजादी के अहिंसा का सहारा लिया,[5] लेकिन वर्तमान समय में राजनीतिक अपराध का अड्डा बन चुका है। समाज की रचना सत्य और अहिंसा के द्वारा ही हो सकती है। इसलिए सही मायने में जनता का स्वराज्य कभी भी असत्य और हिंसक उपायों से नहीं आ सकता है। गांधी लोगों का ह्रदय परिवर्तन एवं शोषण की प्रवृत्ति को समाप्त करने पर बल दिया। राजनीति में भाग लेकर लोगों की गरीबी, छुआछूत की भावना एवं अन्य बुराईयों को दूर अहिंसात्मक तरीके से करने पर बल दिया इसलिए उन्होंने कहा कि मानवता के विकास के लिये प्रत्येक मनुष्य को भाग लेना अपेक्षित मानते हैं। सभ्यता और संस्कृति की नब्ज पकड़कर एक अहिंसक, समतामूलक, नैतिक समाज की रचना के लिए अन्तरात्मा से आवाज लगायी थी इसलिए जब आर्थिक, औद्योगिक राजनीतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक तौर पर संकट होते हैं तो यही आवाज हमारे काम आती हैं। औपनिवेशिक सत्ता से मुक्ति के संग्राम में तो बहुत लोग सक्रिय थे, लेकिन आजादी की लड़ाई के नायक गांधी ही माने गये। उन्होंने पंचायती राज व्यवस्था अपनाने पर बल दिया है।

गांधी के विचार को वैश्विक स्वीकृति मिली और वह आज भी एक राजनीतिक जरूरत बनी हुई है क्योंकि उनके विचार किताबी नहीं थे। इसलिए सादगी, समता, सत्य और अहिंसा उनके लिए सिर्फ विचार नहीं बल्कि एक जीवन–पद्धति थे कि हमारे हर कदम का लाभ अन्तिम को मिलना चाहिए। गांधी के राजनीतिक विचारों पर अराजकतावादी विचारक प्रिंस कोपोटिकन एवं टॉलस्टाय के चिारों का प्रभाव हैं, वह राज्य को एक केन्द्रित एवं संगठित हिंसा का प्रतिनिधित्व मानते हैं। वे लोकतंत्र शासन के पक्षधर थे, वह निर्वाचन में विश्वास रखते थे तथा उम्मीदवार निःस्वार्थी, संचयी एवं योग्य होने चाहिए। गांधी जी शासन व्यवस्था के अन्तर्गत व्यवथापिकाओं का गठन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने हुए प्रतिनिधियों को मानते थे। अहिंसक प्रजातंत्र में व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के दृष्टिकोण में गुणात्मक परिवर्तन लाने पर बल देते हैं एवं शासन को कुछ उच्चतर मूल्यों और आदर्शो के प्रति समर्पित करना चाहते थे।[6]

आज फिर सरकार और भ्रष्टाचार के बीच चोली–दामन जो रिश्ता बन रहा है, इसके कारण चौतरफा असंतोष है। इसके मूल में संसदीय राजनीति और सिद्वांतहीन अवसरवाद का अवैध सम्बन्ध है। इसी आलोचना में फिर से समाज को भ्रष्टाचार की जरूरत पर बल देना पड़ रहा है। ऐसे आत्ममंथन के दौर में गाँधी का बनाया राजनीतिक आदर्श एक चमकदार विकल्प के रूप में बहस के केन्द्र में आ चुका है, इसलिए गांधी के किये हुए सच को निकट से जांचना और अपनाना समय की माँग लगता है।

हिंसा और अहिंसा की तुलनात्मक स्वरूप :– गांधीजी आजादी के लिए अहिंसा के माध्यम को अपनाने

[5] एम.के.गाँधी; हिन्द स्वराज।

[6] महात्मा गाँधी; द कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गाँधी।

पर विशेष बल देने का प्रयासा किया न कि हिंसा। वर्तमान समय में राजनीतिक प्रणाली के रूप में अहिंसा के नियमों की अवहेलना देखने में आती हैं तथा हिंसा को ज्यादा को ज्यादा से बल दिया जा रहा है जो लोकतंत्र हिंसा का प्रश्रय देता है तो वह नाम मात्र का ही लोकतंत्र हैं इसी कारण आज यह सत्य है कि आज के राज्यों की बहुसंख्या हिंसा की मुखापेक्षी हैं।[7] उनका अहिंसक संघर्ष मानव सभ्यता के इतिहास में स्वर्णिय अक्षरों में दर्ज है। 1 जुलाई 1909 को भारतीय विद्यार्थी मदनलाल घींघरा कर्जन–माले को बम फेंक हत्या करके अपने साहस के लिए चर्चा में आ गये थे। लेकिन गांधी ने हत्या, के जरिए मिले 'स्वराज' को आदर्श स्थिति नहीं मानने का आग्रह किया एवं उन्होंने कहा कि भारत को हत्यारों के राज से कुछ नहीं मिलेगा चाहे वह गौरे हो या काले।

आत्म बलिदानी हिंसा मार्णियों की देश भक्ति में निहित दिशाहीनता और बर्बरता को खुलेआम इंगित करना गांधी और हिन्द स्वराज की आलोचना का प्रबल कारण बना। गांधी इस बात को मानते थे कि अहिंसक लोकतंत्र एक ऐसा प्रेरणा देने वाला आदर्श हैं जिनको जीवन में उतारना निकट भविष्य की बात नहीं। गांधी का उद्धेश्य क्रमिक गति से तथा अहिंसा का माध्यम प्रयोग कर राजनीतिक संस्थाओं को समाजसेवी संस्थाओं में परिवर्तित करने का है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि व्यक्ति के भीतर आत्मा हैं लेकिन राज्य तो आत्मा रहित मशीन है। राज्य को कभी भी हिंसा से बचाया नहीं जा सकता।[8] हिंसा पर उनका विश्वास नहीं था फिर भी वे मानते थे कि औद्योगिकरण को अपनाने वाले उसको समाप्त करने के लिए अस्त्र उठायेंगे परन्तु उनका विश्वास है कि इस प्रथा की समाप्ति व्यक्ति से संभव नहीं हो सकती, वह तभी हो सकता है जब मनुष्य का ह्रदय परिवर्तन हो और शोषण की प्रवृति समाप्त हो जाये तभी उसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की गुंजाइश हो सकती है, अन्यथा यह संभवन नहीं।[9]

भारतीय राजनीतिक प्रणाली के रूप में अहिंसा और हिंसा की तुलनात्मक अध्ययन करने के उपरांत हम कह सकते हैं कि गाँधी के मूल्यांकन के लिए हमें उनकी सिद्धांतधारा, उनके संगठन, आन्दोलन और कार्यक्रमों की राजनीति और उनकी व्यक्तिगत जीवन–व्यवस्था के बारे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता पर बल दिया जाना चाहिए।

[7] एस.के. आल्टेकर; प्राचीन शासन–पद्धति।
[8] राघवन एअर; द मॉटल एण्ड पॉलिटिकल थॉर्ट ऑफ महात्मा गाँधी।
[9] ए० के बोस; सेलेक्शन फ्रॉम गांधी, स्टडीज इन गाँधीज्म।

International Journal of Social Science & Management Studies (Peer Reviewed & Refereed Research Journal) I.J.S.S.M.S.
& Impact factor - 3.9 Research Journal
ISSN : 2454 - 4655, Vol. - 5, No. – 11, Dec. 2019

बौद्धकालीन वर्ण व्यवस्था और आज का समाज एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

डॉ. सतीश कुमार
एम. ए., पीएच.डी., (इतिहास विभाग) मगध विश्वविद्यालय, बोधगया

हमारे देश के संविधान में सभी को समानता का अधिकार प्राप्त है। यही नहीं, दलित एवं पिछड़े वर्गो के लिए विशेष अधिकार का प्रावधान है। आज हमारा समाज स्वर्ण और दलित वर्गो में विभाजित है यह विभाजन जातिवाद का ही रूप है। इस जातिवाद के कारण ही दलितों को अस्पृश्य समझा जाता हैं, उन्हें समान अधिकार से वंचित किया जाता है, उन्हें मन्दिरों में प्रवेश नहीं करने दिया जाता। जातिगत उच्चावचय के कारण ही उनके साथ होनेवाली अमानुशिक घटनाएँ, उनकी बस्तियों में आग लगाकर नष्ट करने की कुचेष्टाएं, उनकी फसलों को भस्मीभूत करने की हृदय विदारक घटनाएं, उनकी स्त्रियों और युवतियों के साथ बलात्कार की रोमांचित उत्पादों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है। जातिवाद के अवगुणों के विषय में यहॉ कुछ कहना उचित नही हैं, क्योंकि इस पर समाज–शास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों, ऐतिहासकारों एवं समाजसेवियों ने बहुत कुछ लिखा है।

भगवान बुद्ध ने समाज में व्याप्त इस जन्मना जातिवाद की कुरीति की भर्त्सना की है। बौद्ध धर्म में मानव मानव समान है। राजा और रंक में भी कोई भेद नहीं हैं। बुद्ध ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि उच्च वर्ण में जन्म लेने से कोई मनुष्य महान नहीं होता, अपितु अपने सत्कर्मों से ही महान होता है। बुद्ध ने वासेटठ सुत्त में जाति कथा का विस्तार से कथन किया हैं। यहाँ उनका कथन है कि पशु–पक्षी तथा प्राणियों में जाति निर्धारण का आधार कर्म अथवा लिंग ही है, जैसे जो जल में विचरण करता है, वह मत्स्य है, जो पंख की सवारी पर विचरण करता है, वह विहंगम अथवा पक्षी है, इसी प्रकार मनुष्यों में जो गोरक्षा से जीविका करता है वह गोपालक है, जो व्यापार करता है, वह वणिक् है, जो बिना दिए ग्रहण करता है वह चोर है। इस प्रकार जन्मना न कोई श्रेष्ठ होता है और न कोई वशाक अपितु कर्म से वशाक होता है और कर्म से ही श्रेष्ठ[1]/सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त में भी सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मण भगवान से पूछता है कि आप किस जाति के हैं? इसके उत्तर में भी बुद्ध ने जन्मना जातिवाद का खण्डन किया है।[2] ऋग्वेद के पुरूष सुक्त (10/10/12) के आधार पर ब्राह्मणों की समाज में जन्मना श्रेष्ठता को चुनौती दी ळें दीर्घनिकाय में वासेटठ ने प्रश्न किया कि ब्राह्मण कहते हैं कि मानव जाति कें वे ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्रह्मा के मुख से हुई है। इस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए बुद्ध कहते है कि मनुष्य की महानता उसके गुणों में है। जन्म से न तो पापी को शुद्ध किया जा सकता है और न परिशुद्ध को पापी।

धार्मिक दृष्टिकोण से ई० पू० छठी शताब्दी का काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युग माना गया है। इसी शताब्दी में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भगवान बुद्ध ने बोध–गया की पवित्र भूमि में सम्यक् संबोधि को प्राप्त करने के उपरान्त भारतवासियों के जीवन और संस्कृति में जो सुधार किया, वह विचार और कर्म की महत्वपूर्ण उत्क्रन्ति की सूचना देता है। यह उत्क्रन्ति ने केवल भातवर्ष अपितु विश्व के इतिहास में शताब्दियों तक एक प्रबल प्रेरक शक्ति का काम करती है। बुद्ध ने मुख्यतया हिन्दू धार्मिक विचारधाराओं की एक परिवर्द्धित एवं संशोधित रूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

अपनी सुधारवादी नीतियों के रूप में ही तत्कालीन वर्णव्यवस्था में भी सुधार किया, जिसने अपना रूप विकृत कर लिया था। इस समय वर्षो के आधार पर मनुष्यों के बीच के अन्तर ने वस्तुतः हिन्दू समाज की एकता को विखण्डित कर दिया था। वैदिक काल से चला आ रहा सम्पूर्ण समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शुद्र आदि वर्णो में विभक्त था। प्रत्येक वर्ण की महत्ता के पीछे जन्मगत एवं जातिगत आधार अबतक प्रमुख स्थान ले चुका था, किन्तु इनमें वैसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिसमें जातीय विशिष्ठ गुणों का अभाव हो। ऐसी स्थिति में वर्णगत उच्चता, जो उन्हें तत्कालीन समाज मे प्राप्त थी, के माध्यम से अपने अवगुणों पर आवरण डालकर जातीय श्रेष्ठता का दुरूपयोग लोगों ने शुरू कर दिया था। निम्नवर्गीय लोग आज की ही तरह उत्पीड़ित किये जा रहे थे।[3] बौद्ध धर्म के जातको में वैवाहिक सम्बन्ध के विषय में एक साधारण सा नियम बन गाया था कि विवाह अपने जातियों में ही स्थापित होना ठीक है अर्थात समाज जाति व कुल की ही कुमारी के साथ विवाह करना श्रेष्ठ है।

बुद्ध के समय चतुर्वणों की स्थिति में उनके कर्मगत प्रधानता की व्याख्या अनुत्तर निकाय के धम्मक वग्ग, खत्तिय सुत्त में आई है। इसके अनुसार क्षत्रियों का उद्देश्य योग्य पदार्थो का संग्रह करना था, इनका

प्रधान विचार प्रज्ञावान होना था और इनकी प्रतिष्ठा बलवान, शक्तिशाली होने पर होती थी। इनकी दृष्टि पृथ्वी का स्वामी बनने की ओर ही केन्द्रित रहती थी एवं राज्य–भिषेक आदि ऐश्वर्य की प्राप्ति से ही इन्हें परम संतुष्टि मिलती थी।[4]

इसी प्रकार ब्राह्मणों की जीवनचर्या का वर्णन इन शब्दों में आया है– 'ब्राह्मणा रबी, ब्राह्मण भीगाधि प्पाया पत्रूपविचारा मन्ताधिटठाना यञञाभिनिवेसा ब्रह्मलोक परियोसना ति'। (अं० नि० धम्मिक वग्न, खत्तिय सुत्त) अर्थात् ब्राह्मणों के जीवन का भी एक ही उद्देश्य था–योग्य पदार्थो का संग्रह करना, जबकि प्रज्ञावान बनना एक प्रमुख विचारधारा थी। इन ब्राह्मणों के लिए प्रतिष्ठा प्राप्ति का मुख्य आधार था– वेद मंत्रों की जानकारी, यज्ञ के प्रति रचना एवं उसके लिए प्रयत्नशील रहना। इन सब कृत्यों के उपरान्त ब्रह्मलोकगामी होकर परम संतुष्टि की प्राप्ति करना इनका अन्तिम लक्ष्य था।

वैश्यों के जीवन का उद्देश्य में भोग्य पदार्थो का संग्रह करना एवं प्रधान विचारधारा थी प्रज्ञावान होना। किन्तु इनकी प्रतिष्ठा का आधार था– शिल्पी होना एवं गृहस्थी की ओर एकाग्र होना। इनके लिए संतुष्टि गृहस्थी सम्बन्धी कार्यो की समाप्ति थीं। ऐसा लगता है कि तथागत के समय समाज के प्रत्येक वर्ण के लिए जीवन का उद्देश्य एवं उनकी प्रमुख विचारधारा एक ही थी– क्रमशः भोग्य पदार्थो का संग्रह करना एवं प्रज्ञावान होना किन्तु कर्म भिन्न थे जो उनकी प्रतिष्ठा एंव अन्तिम संतुष्टि का आधार था।

आज का प्राणी प्रायः अपनी वर्ण व्यवस्था के आदर्श को छोड़ चुका है। इसके जीवन का प्रायः एक ही उद्देश्य रह गया है किसी प्रकार भोग्य पदार्थो का संग्रह कर मात्र अपने लिए जीवन जीना। व्यक्ति आज स्वार्थी हो चुका है। आपस की कटुता, ईर्ष्या–द्वेष और उसके फलस्वरूप जीवन में आया भीषण कष्ट आज की विकृत व्यवस्था का परिणाम है। चारों ओर दुख और अशांति व्याप्त है। इसी पृष्ठभूमि में सदियों पूर्व युद्ध ने समाज को एक नई दिशा दी और वर्ण व्यवस्था को एक आदर्श रूप दिया था।

बुद्ध की दृष्टि में शीलयुक्त होकर प्रतिमोक्ष के संयमित होकर विहार करना, आचार–विचार से युक्ति होकर किसी भी प्रकार के बुरें कर्म से भय खाना एवं उससे दुर रहना, साथ ही प्रतिपाद्य नियमों के अनुसार आचरण करना ही वर्ण हैं।[5] वर्ण की वृद्धि के पीछे व्यक्ति का कर्त्तव्य प्रधान होता है। उसके कर्म के प्रभाव से ही उसका वर्ण प्रभावित होता है क्योंकि अंगुत्तर निकाय पब्बजित अभिष्ट सुत्त के ''कम्मस्यमोम्हि, मम्मदायादों, कम्मयोनि कम्बंधु कम्मपटिसरणों, यं कम्मं करिस्मसामि कल्याणं वा पापर्क वा तस्सदायादी भविस्सामी'' के अनुसार जो भी भला बुरा कर्म किया जायगा। उसकी जिम्मेदारी व्यक्ति पर होती है। अतः जीवन को आदर्श रूप में देने के लिए, जिसकी आज के समाज को आवश्यकता है, तथागत ने जातिवाद एवं जाति श्रेष्ठता के विरूद्ध सभी वर्णो की एक समान स्तर दिया।[6] वैसे वर्ण में समानता रहने के उपरांत भी उसे कर्मानुसार श्रेष्ठ अथवा निम्न पद प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति के मान अपमान के पीछे जन्मगत वर्ण का प्रभाव फलदायी नहीं होती है प्रत्युत कर्म ही उत्तरदायी होता है।[7] व्यक्ति चाहे किसी भी वर्ण का क्यों न हो, जबतक वह अपने वर्णोचित कर्मो का सम्पादन नहीं करता अथवा उसके अनुसार आचरण नहीं करता उसके वर्ण का अस्तित्व कभी भी सजीव नहीं पर पाता।[8] कर्म की आस्था के निरूपण के पीछे शील एक महत्वपूर्ण तथ्य था, ऐसी तथागत की धारणा थी। वह महत्व, मात्र महत्व ही नहीं रह गया था प्रत्युत बुद्ध की वर्ण व्यवस्था का आधार स्तम्भ था। इसका परिणाम यह हुआ कि बुद्ध के वर्ण के अनुरूप गुणों को प्राप्ति के पश्चात् व्यक्ति उत्पन्न होने पर भी वर्णानुसार कर्म के च्युत होने से उसका वर्ण सुरक्षित नही रह पाता था। वर्ण की उत्पति के पीछे महाभारत में तो यहाँ तक कह दिया गया है कि प्रारम्भ में वह वर्ण था, कालचक्र में कर्मक्रिया विशेष वश चार वर्ण हुए।[9] कुछ स्थानों पर यह कह दिया है कि द्विजत्व का कारण केवल चरित्र ही है, चरित्र से सभी ब्राह्मण हो सकते है। शुद्र भी यदि सच्चरित्र हो तो ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकता है।[10] इसी प्रकार ब्राह्मण भी असत् चरित्र और सर्वशंकर भोजन करने से जाति च्युत होकर निम्न वर्ण का हो जाता है।[11] तथागत ने भी इस तथ्य का समर्थन किया था। इन्होंने सभी वर्णो को एक मानते हुए उनके कर्मो पर ही प्रकाश डाला। समान होने के बावजूद भिन्न वर्ण को लोगों को मात्र अपने कर्म के फलस्वरूप या तो नरक की यातना सहनी होगी, या सुख की प्राप्ति होगी।[12] वैर रहित, द्वेष रहित, मैत्रचित्त की भावना चारों की वर्ण के लोगों में आ सकती है। तथागत के समय भी चारों वर्ण के लोग थे और संकरता अपनी चरम सीमा को प्राप्त कर रही थी, फिर भी कर्म सबों के लिए कृत, था, मुक्त था, किन्तु इस स्थिति में भी शील का महत्व स्वतंत्र एवं सर्वोपरि था। जातकों में भी कुछ इसी प्रकार का वर्णन आया है। सीलवीमंरा जातक, अम्ब जातक, भूरिदत्त जातक के अनुसार बहुश्रुत होने पर जाति वर्ण की अपेक्षा शील

श्रेष्ठ है। शील का अर्थ होता है सदाचार। सदाचार शुद्ध कार्य–कर्म, वाक्–कर्म और मनोकर्म पर आधारित है। शीलन से शील शब्द निकलता है। शीलन का अर्थ होता है– व्यवस्था। अतः जहाँ शील है वहीं व्यवस्था है और जहाँ व्यवस्था है, वहीं शांति है। जाति की उपस्थिति में ही सुख है। जिस सुख और शांति की आवश्कता आज हमारे सामने आ पड़ी है। किन्तु हम उससे दुर होकर शांति प्राप्ति के लिए उस मार्ग को अपनाने जा रहे है जिस पर चलने से शायद हमें चिरशांति मिल जाय, सृष्टि का ही विनाश हो जाय।

शील की प्राप्ति के पश्चात् ही शीलवान का मन समाधिस्थ होता है। जिसमें समाधि है उसमें प्रज्ञा का उदय होता है। प्रज्ञा का दूसरा नाम है– धर्म चक्षु। साधक धर्म चक्षु से ही सत्य का दर्शन कर पाता है। हम उसी प्रज्ञा से, धर्म चक्षु से अपने को पहचान कर सत्य–असत्य का अनुशीलन कर सकते हैं। इस क्रम में ऊँच–नीच के भ्रम में पड़ना सर्वथा अनुचित प्रतीत होता है।

आज का युग भौतिक युग है। हम सभी अर्थ संचय के पीछे परेशान है क्योंकि आज के सामान्य लोगों के लिए सुख का माध्यम धन है, न कि अध्यात्म। अर्थ संचय में हमने शील को महत्व नहीं दिया, कारण, हमने तथागत की वर्ण व्यवस्था को छोड़ दिया हैं। फलतः अर्थ संचय के लिए हमारे यहाँ हिंसा, लूटपाट आदि जघन्य अपराधों को अपना लिया गया है और वह दुःख का कारण है। शील की महत्ता बताते हुए लामगिरह जातक में इन शब्दों में स्पष्ट कहा गया है।

धिरत्थु तं यसलाभं धनलाभञ्च ब्राहाण।
या वुति विनिपातेन अधम्मचरितायण।।
अपि चे पत्तमादाय अनागारो परिब्बजे।
एसाव जीविका सेयया या चा धम्मेन एसना।।

अर्थात उस यश लाभ, धन लाभ को धिक्कार है जो जीविका हेतु आत्मपतन से अथवा अधर्म चर्चा से प्राप्त होता है। इससे अच्छा है कि इसके अभाव के प्रवजित होकर भिक्षा माँगें।

हम ब्राह्मण है, वह क्षत्रिय, अथवा शुद्र है, इस प्रकार की अलगाव को भावना विकसित समाज के लिए खतरनाक है। किसी भी वर्ण की श्रेष्ठता के लिए आवश्यक होता है, चरित्रवान होना। चरित्रवानों की उपस्थिति से उनका अपना कल्याण होता ही है, समाज और राष्ट्र का भी कल्याण होता है। गौतम के विचारों के अनुसार 500 ब्राह्मणों के साथ सोणदण्ड को स्वीकार करना पड़ा था कि ब्राह्मण के लिए अन्य अंगो अर्थात् माता–पिता दोनों से सुजात होना, अध्यापक मंत्रधर, त्रिवेद पारंगत, अभिरूचि दर्शनीय, अत्यंत गौर वर्ण के युक्त पंडित मेधावी एवं यज्ञ दक्षिणा ग्रहण करने में प्रथम या शीलवान होना, की उपस्थिति में आवश्यकता नहीं अपितु ब्राह्मण के लिए भी आवश्यक है– शीलवान और प्रज्ञावान होना। शील और प्रज्ञा दोनों की एक दुसरे से संबन्धित है। शील से प्रज्ञा प्रक्षालित है और प्रज्ञा से शील प्रक्षालित है। जहाँ शील है, वहाँ प्रज्ञा है और जहाँ प्रज्ञा है, वहाँ शील है।[13] वर्णोचित गुण के साथ–साथ चरित्रिक विशिष्टिता का होना आवश्यक था। ऐसा मान्य था कि संयम युक्त आचरण ही आर्य सत्य है। वेद को अध्ययन से ही कीर्ति की प्राप्ति होती है किन्तु शील और शुद्धाचरण के अभाव में यह अध्ययन मात्र कीर्ति तक ही रह जाती है। ऐसी स्थिति में जीवन शांति से दूर रह जाता है। संयत एवं शीलयुक्त होकर अध्ययन करने से कीर्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ व्यक्ति अपने जीवन में शांति पद प्राप्त कर लेता है। वैदिक ग्रन्थों में भी इसीलिए शीलयुक्त जीवन को मान्यता दी गई हैं।[14]

आज विकास की ओर अग्रसर होते हुए भी हमारी समस्यायें अनन्त हो चली है। चारों ओर भय, असन्तोष का वातावरण व्याप्त है। समाजिक संरचना को हमारे पथ–प्रर्श्दाकों ने खण्डित कर दिया है। आज की वर्ण व्यवस्था एकाकी हो गई है। इस प्रकार हम व्यक्तिगत स्वार्थ, धन संचय के लिए राष्ट्रहित को भूल गये हैं। प्रेम और बन्धुत्व की भावना पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। फलस्वरूप राष्ट्र कष्टों में पल रहा है। भय, असंतोष और कष्ट से मुक्ति के लिए क्या बुद्ध की वर्ण व्यवस्था को नहीं अपनाया जा सकता है? जहाँ व्यक्ति के चारित्रिक विकास एवं उसके द्वारा अच्छे कर्मो के सम्पादन का प्रावधान है। तथागत की दृष्टि मे जो अत्यन्त निष्ठावान, अत्यन्त योग क्षेमी, अत्यन्त ब्रह्मचारी एवं अत्यन्त पारंगत होते है, वे भिक्षु देवताओं और मनुष्यों में भी श्रेष्ठ होते है।[15] आदिकाल से ही विश्व में एशिया खण्ड नाना धर्मो का उद्गम–स्थल रहा है। ईसा पूर्व पांचवी छठी शदी में भातरवर्ष क्षेत्र मे काफी उथल पुथल मची तथा इसी समय भारत में बौद्ध का प्रादुर्भाव हुआ जिसमें समन्वयात्मक विश्व–कल्याण की भावना निहित थी। तत्कालीन भारतीय समाज के लौकिक जीवन का नेतृत्व रजाओं पुरोहितो तथा ऋत्विजों के हाथ में चला गया था। जो शक्ति एवं धन के बल पर भौतिक सुख, सुविधाओं को ही जीवन का लक्ष्य मानने लगे है। ऐसी स्थिति में भगवान बुद्ध ने जन–साधारण के कष्ट से आर्द्र होकर मानवता के उद्धार में ही अपनी शांति एवं निर्वाण प्राप्ति की सिद्धि की।

वस्तुतः बुद्ध की बातें किसी एक समय अथवा किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं अपितु इसका उपयोग प्रत्येक समय सब के लिए है। उन्होंने शुद्ध सात्विक चरित्र, प्रेम, अहिंसा, विश्ववन्धुत्व और समानता का जो पाठ दिया है, हमारे कष्ट, असंतोष एवं अशांति को दूर करने का एक मंत्र है। बुद्ध की कर्ण व्यवस्था भी कुछ इसी तरह है की है जिसका अनुपालन समाज एवं राष्ट्रहित में सहायक हो सकता है। भारतीय दार्शनिकों ने बार–बार ''आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पण्डितः'' का उपदेश दिया है और कहा– ''सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद् दुःखभाग् भवेत।'' हमारी चिन्तन–धारा सदैव से इस बात पर जोर देती रही कि दूसरे को आत्मवत समझना चाहिए। इस उदार दृष्टि ने भारतीय जीवन में दिव्यता तथा अदभूत आनन्द की सृष्टि एवं संचार किया और उसे उदात्त बनाने में अपूर्व योगदान किया। सन्तों ने मानव को हर प्रकार की दृष्टिवृतियों की आलोचना की। उन्होंने अपने समय की जनता को बताया कि मनुष्य को एक दूसरे का शोषण नहीं करनी चाहिए। सबको दीनता की भावना की भावना ग्रहण करके सच्चाई और ईमानदारी के साथ जीवन यापन करना चाहिए। सच यह है कि सभी संतोष और दीनता को ग्रहण कर ले तो संसार के समस्त अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार तथा संघर्ष समाप्त हो जायें और मानव मानव बनकर जीवन यापन करने लगें। अज्ञान का विसर्जन करके मूढ़ता का परित्याग कर प्रेम सद्भावना और सहृदयता का प्रचार न केवल व्यक्तिगत जीवन के लिए वरदान है वरन् समाज के उत्थान और विकास के लिए भी नितानत आवश्यक है। सन्त कवियों के उपदेश इन्हीं मानव मूल्यों का आधार स्तम्भ था।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :–

1. सुत्त निपात, वासेटठ सुत्त 3/9/57 मड़िजम निकाय, वासेटठ सुत्त, पृष्ठ 374–80, बम्बई विश्वविद्यालय, संस्करण, 1967
2. सुत्त निपात, सुन्दरिक भारद्वाज सुत्त, 3/4/18
3. दीर्घ निकाय, चक्कवत्ति–सीहनाद सुप्त
4. अरबिन्द कुमार राय, बौद्धधर्म में जातकों में सामाजिक जीवन का चित्रण, शोध प्रबंध प्राचीन भारतीय एवं ऐशियाई अध्ययन विभाग, गया कॉलेज, गया मगध विश्वविद्यालय बोधगया अंक मई 2003, पृ० 178
5. ''अद्धा खो, देगी कच्चान, एवं संते, इसे चत्रारों वण्णासूम समा होन्ति। नेसं किचिं नानाकरणं समनुपस्सामी ति'।।'' म० नि०, माधुरिय सुत्त
6. मज्झिम निकाय, अस्सलायन सुत्त।
7. दी० वि०, अम्बट्ठ सुत्त।
8. "एकवर्णमिद पूर्व विश्रवासध्यधुधिष्टिर। कर्मक्रिया विशेषण चतुर्वर्ण प्रतिष्ठितम।।" महाभारत, शांति 188110–14
9. महा०, अनु० 143150–51, 144126,48,56
10. महा०, शांति 36134–36, 4011–2, 10–11
11. म० नि०, अससलायन सुत्त, एसुकारि सुत्त
12. दीघ निकाय, सोणद्ण्ड
13. ऋग्वेद 10/85/42, 10/128/4, यजुर्वेद 3/50
14. अं० नि०, निश्रय वग्ग, मोर निवाप सुत्त
15. धीरेन्द्र उपाध्याय, आईडियल रिसर्च रिव्यू, अंक–वोल्यूम 37, नं०II, मार्च 2013, पृ० 25